राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास और
गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक रिपोर्ट
2017 – 18

नई दिल्ली

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास और
गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

वार्षिक रिपोर्ट
2017 – 18

नई दिल्ली

महानिदेशक की ओर से

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) की वर्ष 2017–18 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यह रिपोर्ट जल संसाधन विकास के क्षेत्र, विशेष तौर पर जल के अंतर–बेसिन अंतरण, जिसे सामान्यतः नदियों को जोड़ना (आई.एल.आर.) कहा जाता है, में रा.ज.वि.अ. की भूमिका का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करती है।

भारत सरकार द्वारा तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय, अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत 1982 में की गई। रा.ज.वि.अ. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी संगठन है, जो भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है। रा.ज.वि.अ. के कार्यों में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की अंतरराज्यीय लिंकों तथा राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट, संभाव्यता रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करना शामिल है। नदियों को जोड़ने की रिपोर्ट तैयार करने में संबंधित राज्य सरकारों की सहमति तथा सहयोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

बहुत सी कठिनाइयों विशेषकर तकनीकी अधिकारियों की आवश्यकता से कम संख्या होने के बावजूद रा.ज.वि.अ. ने वर्ष 2017–18 के दौरान रिपोर्ट में उल्लिखित सौंपे गए सभी कार्यों को सक्षम और प्रभावी तरीके से पूरा किया है। इस अवधि की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

- रा.ज.वि.अ. ने गुजरात सरकार के विचारों को ध्यान में रखते हुए पार–तापी–नर्मदा लिंक की डी. पी. आर. में आशोधन किया और गुजरात तथा महाराष्ट्र सरकार को भेज दी है। केन्द्रीय जल आयोग डी पी आर का तकनीकी मूल्यांकन कर रहा है।
- पार–तापी–नर्मदा तथा दमनगंगा– पिंजल लिंक के क्रियान्वयन के लिए गुजरात और महाराष्ट्र को तथा केन–बेतवा लिंक के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को सहमति ज्ञापन का प्रारूप भेज दिया गया है।
- रा.ज.वि.अ. ने नदी जोड़ कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रालय को वांछित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है।
- 5 वें भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया।
- वर्ष के दौरान माननीय मंत्री (ज. सं., न. वि. व गं. सं.) की अध्यक्षता में 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित हुई।
- वर्ष के दौरान रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 65वीं बैठक हुई।
- वर्ष के दौरान नदियों को जोड़ने हेतु विशेष समिति की दो बैठकें हुईं, जिनमें से एक बैठक माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) की अध्यक्षता में और एक बैठक माननीय राज्य मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) की अध्यक्षता में हुई।

मुझे विश्वास है कि यह वार्षिक रिपोर्ट वर्ष के दौरान रा.ज.वि.अ. की भूमिका, कार्यों तथा उपलब्धियों को समझने में सहायक होगी।

(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

वर्ष 2017–18
के दौरान मुख्य गतिविधियां

- वर्ष के दौरान 10211 करोड़ रूपये लागत की डी. पी. आर. तैयार की गई ।
- रा.ज.वि.अ. ने 15 राज्यों, उत्तरी कोईल परियोजना तथा पोलावरम परियोजना को केन्द्रीय सहायता के रूप में 6535 करोड़ रूपये संवितरित किए।
- गुजरात सरकार के विचारों को ध्यान में रखते हुए पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना की डी. पी. आर. में संशोधन किया गया तथा मई 2017 में इसे गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया। वर्तमान में कें.ज.आ. डी. पी. आर. का तकनीकी मूल्यांकन कर रहा है ।
- केन–बेतवा चरण–I एवं चरण– II की समेकित डी. पी. आर. तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।
- चार अंतः राज्यीय लिंकों नामतः (i) तमिलनाडु की पोन्नैयार–पालार लिंक तथा महाराष्ट्र की (ii) वेनगंगा (गोसीखुर्द)– नलगंगा (पूरना–तापी), (iii) दमनगंगा (इकदारे)– गोदावरी लिंक तथा (iv) दमनगंगा–वैतरणा–गोदावरी (कदवादेव) लिंक परियोजनाओं की डी. पी. आर. तैयार करने का कार्य प्रगति पर रहा।
- नदी जोड़ पर विशेष समिति की दो बैठकें हुई, जिसमें एक बैठक माननीय राज्य मंत्री (ज. सं., न. वि. व गं. सं.) की अध्यक्षता में दिनांक 27.07.2017 को हुई तथा एक बैठक माननीय मंत्री (ज. सं., न. वि. व गं. सं.) की अध्यक्षता में दिनांक 17.01.2018 को हुई।
- श्री नितिन गडकरी, माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री की अध्यक्षता में रा.ज.वि.अ. की 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक 12.09.2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुई।
- पार–तापी–नर्मदा तथा दमनगंगा–पिंजल लिंक के क्रियान्वयन के लिए सहमति ज्ञापन (एम.ओ.ए.) का प्रारूप सितंबर 2017 में गुजरात तथा महाराष्ट्र को उनकी सहमति के लिए भेज दिया गया ।
- रा.ज.वि.अ. ने 10–14 अक्टूबर 2017 तक भारत जल सप्ताह 2017 का सफलतापूर्वक आयोजन किया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी भी शामिल थे। इस सम्मेलन में देश–विदेश से लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- रा.ज.वि.अ. ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मॉनीटरिंग तथा प्रबंधन के लिए परियोजना मॉनीटरिंग यूनिट (पी.एम.यू.) की स्थापना के लिए वाप्कोस लिमिटेड के साथ अक्तूबर, 2017 में अनुबंध समझौता किया।
- रा.ज.वि.अ. ने 14–27 नवंबर 2017 तक नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2017 में भाग लिया।
- केन–बेतवा लिंक के क्रियान्वयन पर सहमति ज्ञापन का प्रारूप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को उनकी सहमति के लिए फरवरी 2018 में भेज दिया गया।
- दिनांक 20.02.2018 को जल संसाधनों पर दक्षिणी राज्यों के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ।
- सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय एवं अध्यक्ष शासी निकाय की अध्यक्षता में दिनांक 23.03.2018 को रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 65वीं बैठक हुई।
- वर्ष के दौरान नाबार्ड ने 6534.7847 करोड़ रूपए का ऋण जारी किया जिसे रा.ज.वि.अ. ने 15 राज्यों, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण तथा उत्तरी कोइल जलाशय परियोजना को संवितरित कर दिया है। वर्ष 2017–18 के दौरान रा.ज.वि.अ. ने नाबार्ड को 610.11 करोड़ रूपये ब्याज का भुगतान किया है।

विषय सूची

क्रम संख्या		पृष्ठ संख्या
अध्याय-1	**राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.)**	1
1.0	प्रस्तावना	1
1.1	रा.ज.वि.अ. की स्थापना तथा इसके कार्य	1
अध्याय-2	**मुख्यालय तथा संगठनात्मक ढांचा**	3
2.1	मुख्यालय तथा संगठनात्मक ढांचा	3
2.2	कर्मचारी संख्या	5
2.3	रा.ज.वि.अ. सोसाइटी	5
2.4	शासी निकाय	8
2.5	तकनीकी सलाहकार समिति	11
अध्याय-3	**नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति (एस. सी. आई. एल. आर.) तथा नदियों के अंतर्योजन पर कार्यबल**	13
3.1	नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति	13
3.2	नदियों के अंतर्योजन पर कार्यबल	16
3.3	कार्यबल के अधीन वित्तीय पहलुओं पर समूह का गठन	16
अध्याय-4	**तकनीकी गतिविधियां**	17
4.1	राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना	17
4.2	अंतर बेसिन जल अंतरण लिंक	17
4.3	रा.ज.वि.अ. द्वारा पूरे किए गए प्राथमिक अध्ययन	17
4.4	रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार किए जा रहे जल अंतरण लिंक	18
4.4.1	प्रायद्वीपीय घटक के अधीन अंतर बेसिन जल अंतरण लिंकों की वर्तमान स्थिति	20
4.4.2	हिमालय घटक के अधीन अंतर बेसिन जल अंतरण लिंकों की वर्तमान स्थिति	21
4.4.3	मानस–संकोश–तीस्ता–गंगा लिंक	22
अध्याय-5	**राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (रा.प.यो.) के अंतर्गत अभिज्ञात प्राथमिकता प्राप्त लिंक**	23
5.1	मतैक्यता के लिए किए गए प्रयास	23
अध्याय-6	**राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंक**	27
6.1	अंतः राज्यीय लिंक	27
6.1.1	महाराष्ट्र	27
6.1.2	गुजरात	27
6.1.3	ओडिशा	27
6.1.4	झारखंड	27

6.1.5	बिहार	28
6.1.6	राजस्थान	28
6.1.7	तमिलनाडु	28
6.1.8	कर्नाटक	28
6.1.9	छत्तीसगढ़	28
6.2	अंतःराज्यीय लिंकों की डी.पी.आर. तैयार करने की वर्तमान स्थिति	28
6.3	अंतःराज्यीय लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट/डी.पी.आर. तैयार करने की समग्र स्थिति	29
6.4	राज्य सरकार के अंतः राज्यीय नदी लिंक परियोजनाओं की डी.पी.आर. तैयार करने प्रस्तावों के लिए निधियन उपलब्ध कराना	29
अध्याय-7	**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन गतिविधियां**	30
7.1	पी.एम.के.एस.वाई.–ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत नाबार्ड फंडिंग	30
7.1.1	परियोजना की प्रक्रिया	30
7.1.2	राज्यों को निधि जारी करना (केंद्रीय सहायता)	30
7.1.3	थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग	30
7.1.4	मार्च 2018 तक विभिन्न राज्यों को जारी पी एम के एस वाई विधि का विवरण	30
अध्याय-8	**रा.ज.वि.अ. की वैबसाइट**	32
अध्याय-9	**रा.ज.वि.अ. की अन्य गतिविधियां**	33
9.1	प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास गतिविधियां	33
9.2	विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम का क्रियान्वयन	33
9.3	रा.ज.वि.अ. का नागरिक चार्टर	33
9.4	महिला कर्मचारियों के यौन शोषण की शिकायतों के लिए समिति	33
9.5	साम्प्रदायिक सद्भावना सप्ताह तथा कौमी एकता सप्ताह	34
9.6	आंतरिक पत्रिका ''जल विकास'' का प्रकाशन	34
9.7	जल मंथन–4	34
9.8	जल संसाधनों के संपोषणीय विकास तथा प्रबंधन पर जल विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोर समूह आई.ओ.आर.ए. की तीसरी कार्यशाला	36
9.9	भारत जल सप्ताह–2017	37
9.10	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आई.आई.टी.एफ.) 2017 में भागीदारी	41
9.11	बड़े व्यास वाले पाईप लाईनों के प्रयोग पर अंतराष्ट्रीय कार्यशाला	41
9.12	कमान क्षेत्र विकास पर सम्मेलन	41
9.13	स्वच्छ भारत अभियान	42
अध्याय-10	**रा.ज.वि.अ. में सतर्कता गतिविधियां**	44
10.1	सतर्कता एवं अनुशासनात्मक मामले	44
10.2	कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन	44

10.3	सतर्कता जागरूकता सप्ताह	46
अध्याय-11	**राजभाषा (हिन्दी) का प्रगामी प्रयोग**	47
अध्याय-12	**वित्त एवं लेखा**	50
12.1	राज्यों को केंद्रीय सहायता–पी.एम.के.एस.वाई. योजना के अंतर्गत दीर्घ अवधि सिंचाई निधियन (एल.टी.आई.एफ.)	50
12.2	वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान रा.ज.वि.अ. को अनुदान सहायिकी तथा वास्तविक व्यय	50
12.3	वित्त वर्ष 2017–18 के लिए रा.ज.वि.अ. के लेखों की लेखा परीक्षा	50
अध्याय-13	**आभारोक्ति**	51

परिशिष्ट की सूची

परिशिष्ट संख्या	मद	पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट–I	अंतः राज्यीय लिंक प्रस्तावों की स्थिति	52
परिशिष्ट–II	प्रशिक्षण पाठयक्रमों का विवरण जिनमें रा.ज.वि.अ. के अधिकारियों ने भाग लिया	55
परिशिष्ट–III	सेमिनारों, सम्मेलनों तथा कार्यशालाओं का विवरण जिनमें रा.ज.वि.अ. अधिकारियों ने भाग लिया	57
परिशिष्ट–IV	वर्ष 2017–18 के लिए रा.ज.वि.अ. के लेखा परीक्षा प्रमाण–पत्र, लेखा–परीक्षा रिपोर्ट और रा.ज.वि.अ. के उत्तर तथा रा.ज.वि.अ. के लेखे	61

अध्याय–1

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.)

1.0 प्रस्तावना

जीवन के लिए जल बहुत आवश्यक है तथा इसके साथ–साथ यह विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगीकरण, नगरीकरण तथा जीवन स्तर के उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न उपयोगों हेतु जल की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। विश्व में सभी विकासशील देशों में यह और भी अधिक है। समग्र रूप से जल की उपलब्धता सीमित है और उसमें भी सामयिक और स्थानिक भिन्नता है। अतः यह अनिवार्य हो गया है कि हम जल का संरक्षण करें और समेकित रूप से जल संसाधनों का ईष्टतम और दक्षता पूर्वक उपयोग करें तथा आयोजना और शासन के विभिन्न स्तरों पर इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों और पक्षों पर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है। अधिक जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल का अंतर बेसिन अंतरण, जल उपलब्धता में राष्ट्रीय स्तर पर संतुलन बनाए रखने के लिए तथा बाढ़ एवं सूखे के बुरे प्रभावों का शमन करने के लिए एक अर्थपूर्ण प्रस्ताव है।

अंतर–बेसिन जल अंतरण की अवधारणा का प्रतिपादन पूर्व में डॉ. के.एल.राव ने 1972 में 'राष्ट्रीय जल ग्रिड' तथा कैप्टन दस्तूर ने 1977 में 'गारलेंड केनाल' के द्वारा किया। विशेषज्ञों के समूह द्वारा इन दोनों योजनाओं की जांच की गई तथा इन्हें तकनीकी व आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं पाया गया। इसके पश्चात जल संसाधन मंत्रालय ने अगस्त 1980 में ''जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना'' बनाई जो अधिक जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल अंतरित करने पर बल देती है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (रा.प.यो.) के दो घटक हैं, नामतः (i) प्रायद्वीपीय नदी विकास तथा (ii) हिमालय नदी विकास।

1.1 रा.ज.वि.अ. की स्थापना तथा इसके कार्य

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय घटक की लिंकों की संभाव्यता का अध्ययन करने के लिए भारत सरकार द्वारा सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अधीन जुलाई, 1982 में एक स्वायत्तशासी सोसाइटी के रूप में की गई। रा.ज.वि.अ. भारत सरकार द्वारा पूर्ण निधियन पोषित है। बाद में, 1990 में रा.ज. वि.अ. सोसाइटी ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिमालयी नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययनों को करने का संकल्प लिया।

रा.ज.वि.अ. के कार्यों में बाद में भी समय–समय पर संशोधन किए गए। रा.ज.वि.अ. के वर्तमान कार्य हैं:–

क) तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) व केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक (1981) और हिमालय नदी विकास घटक (1994) के प्रस्ताव, जो कि जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) का हिस्सा हैं, की व्यवहार्यता के लिये संभाव्य जलाशय स्थलों तथा परस्पर जोड़ने वाले लिंकों के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण करना।

ख) विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों (1981) तथा हिमालयी नदी प्रणालियों (1994) में जल की मात्रा जो कि बेसिन/राज्यों की समुचित आवश्यकता को पूरा करने के बाद निकट भविष्य में अन्य बेसिनों/राज्यों में अंतरण किया जा सकता है, के संबध में व्यापक अध्ययन करना।

ग) प्रायद्वीपीय नदी विकास (1981) एवं हिमालय नदी विकास (1994) से जुड़ी योजना के विभिन्न घटकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।

घ) संबंधित राज्यों से सहमति मिलने के बाद जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदी लिंक प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (2006) तैयार करना।

ङ) राज्यों द्वारा यथा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंकों की पूर्व व्यवहार्यता/व्यवहार्यता रिपोर्ट (2006)/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (2011) तैयार करना। व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पहले ऐसे प्रस्तावों के लिये संबंधित संयुक्त बेसिन वाले राज्यों की सहमति ली जाएगी।

च) नदियों को जोड़ने का भाग बनने वाली परियोजनाओं या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस. वाई.) के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को पूरा करने के लिये जिनमें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) की परियोजनाएं शामिल की गई हैं, ऐसे ही अन्य परियोजनाओं (2016) को स्वयं या नियुक्त एजेंसी/संगठन/पी.एस.यू. या कम्पनी द्वारा परियोजना को अपने तहत लेना/निर्माण/मरम्मत/नवीयन/पुनर्वास/क्रियान्वयन करना।

छ) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के निर्देश पर राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जमाओं अथवा ब्याज पर दिए गये ऋण या किसी और प्रकार से प्राप्त धन के संग्रहकर्ता के रूप में कार्य करेगा और इस प्रकार उधार ली गई निधि/जमा राशि/ऋण आदि का पुनर्भुगतान सुरक्षित करने के लिये वर्तमान या भविष्य (2016) दोनों में सोसाइटी की सभी या किसी अन्य सम्पत्ति, परिसम्पत्ति को राजस्व में बंधक, गिरवी रखकर या वैध अधिकार (लियन) कर सकता है।

ज) उपर्युक्त उद्देश्यों (1981) को प्राप्त करने हेतु सोसाइटी द्वारा अन्य ऐसे प्रासंगिक, सम्पूरक अथवा सहायक कार्य करना जिन्हें सोसाइटी आवश्यक समझे।

*गजट अधिसूचना का वर्ष

अध्याय – 2

मुख्यालय तथा संगठनात्मक ढांचा

2.1 मुख्यालय तथा संगठनात्मक ढांचा

भारत सरकार के अपर सचिव के समकक्ष स्तर के महानिदेशक सोसाइटी के प्रधान कार्यकारी अधिकारी हैं, जो सोसाइटी के दिन–प्रतिदिन के कार्यों जिनमें तकनीकी, विधिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय मामले शामिल हैं, के लिए उत्तरदायी हैं। अभिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। डा. शरद कुमार जैन, निदेशक, एन.आई.एच. ने दिनांक 29.03.2017 से 28.06.2017 तक रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाला। श्री एस. मसूद हुसैन, सदस्य (डब्ल्यु पी एवं पी), कें.ज.आ. ने दिनांक 28.06.2017 से 19.12.2017 तक रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला। श्री संजय कुंडु, संयुक्त सचिव (आर.डी. एवं पी.पी.) ने 20.12.2017 से रा.ज.वि.अ. के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला। मुख्यालय में महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. की सहायता के लिए मुख्य अभियंता (मुख्या.), निदेशक (तक.), निदेशक (वित्त), निदेशक (प्रशा.), निदेशक (एम.ड़ी.यू.) एवं दो अधीक्षक अभियंता हैं। रा.ज.वि.अ. के दो क्षेत्रीय संगठन (उत्तर एवं दक्षिण) हैं, प्रत्येक का प्रमुख मुख्य अभियंता है। दिनांक 31.03.2018 को उत्तरी संगठन के अंतर्गत 3 सर्किल, 8 प्रभाग तथा 2 उप प्रभाग और दक्षिणी संगठन के अंतर्गत 2 सर्किल, 8 प्रभाग तथा 1 उप–प्रभाग हैं।

31.03.2018 को रा.ज.वि.अ. के अधीक्षक अभियंता स्तर तक का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नानुसार है।

दिनांक 31.03.2018 को राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का संगठन चार्ट

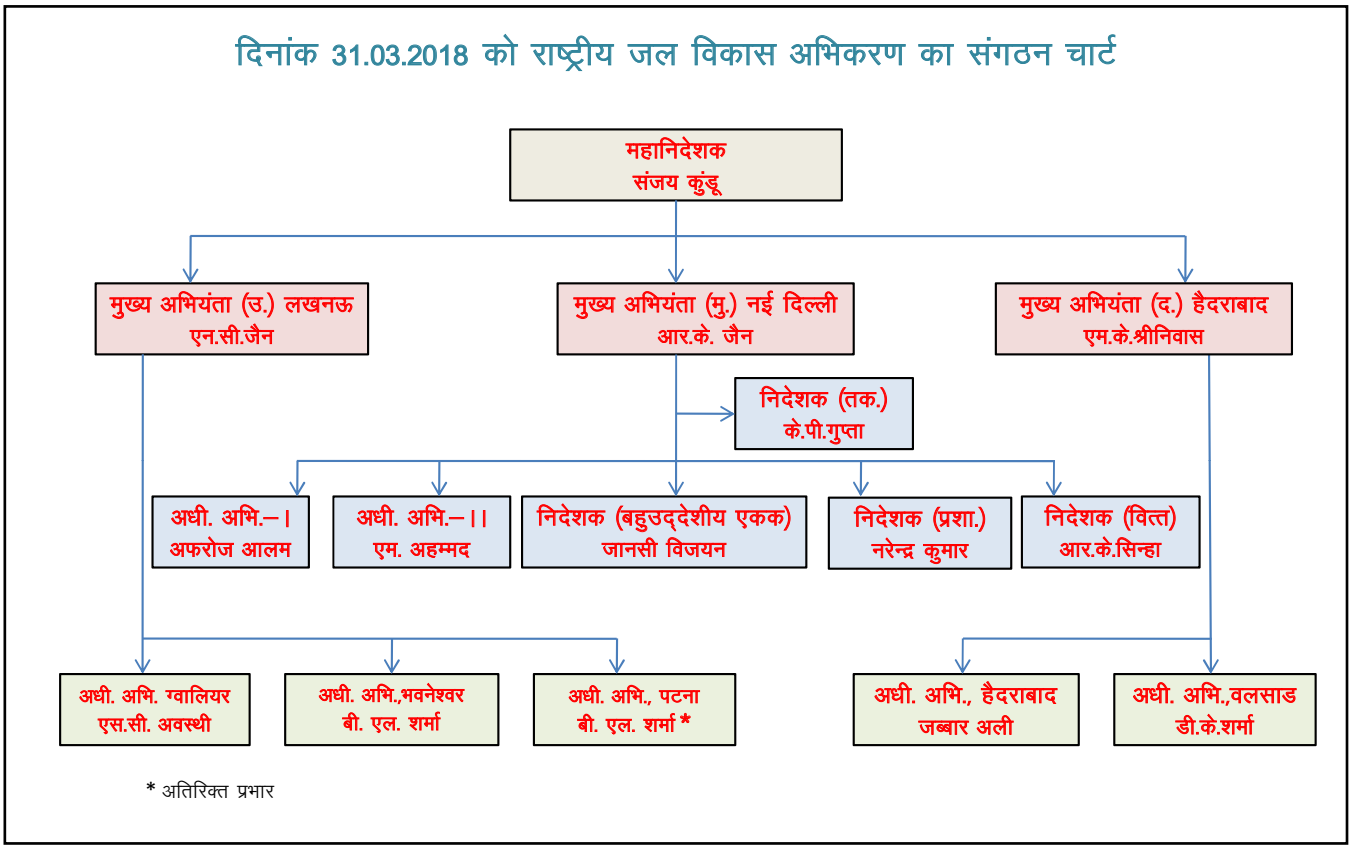

रा.ज.वि.अ. के कार्यालयों की स्थिति को दर्शाने वाला मानचित्र नीचे दिया गया है।

रा.ज.वि.अ. के कार्यालयों की स्थिति को दर्शाता हुआ मानचित्र

2.2 कर्मचारी संख्या

31 मार्च 2018 को रा.ज.वि.अ. में वर्तमान मंजूर कर्मचारी संख्या 517 है एवं 455 पद भरे हुये हैं, कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस.आई.यू.) के अनुसार कर्मचारी पद 493 हैं। रा.ज.वि.अ. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, सेना के पूर्व कर्मचारियों, शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग को सरकारी सेवाओं में नियमित आरक्षण व अन्य लाभ देने के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों तथा निर्देशों का सम्यक पालन कर रहा है। वर्ष 2017–18 के दौरान रा.ज.वि.अ. में विभिन्न ग्रेड एवं श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा दो कर्मचारियों की भर्ती की गई।

31 मार्च 2018 को रा.ज.वि.अ. में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति./अन्य पिछड वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/सामान्य श्रेणीवार कर्मचारियों की वास्तविक संख्या निम्नानुसार है:

31.03.2018 को रा.ज.वि.अ. के कर्मियों की संख्या (श्रेणीवार)

J.kh	Lohd`r ¼,l-vkbZ-;w- ds vuqlkj½	v- tkfr	v-t-u- tkfr	v-fiNMk oxZ	"kk- fodykax	Hkw- lSfud	lkekU;	dqy	,l-vkbZ- ;w- ds vuqlkj
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
समूह –क	59	7	1	-	-	-	44	52	7
समूह–ख	150	19	6	16	1	-	96	138	12
समूह–ग	308	53	20	12	6	2	172	265	43
dqy	**517**	**79**	**27**	**28**	**7**	**2**	**312**	**455**	**62**

टिप्पणी : (i) कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस.आई.यू.) की संस्तुतियों के अनुसार रा.ज.वि.अ. की कुल कर्मचारी संख्या – 493 है।

(ii) कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस.आई.यू) की संस्तुति के अनुसार घोषित अधिशेष पद भविष्य में सेवानिवृत्ति पर समायोजित होंगे।

2.3 रा.ज.वि.अ. सोसाइटी

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण संगठन का शीर्ष निकाय राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी है तथा अभिकरण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जा रही इसकी प्रगति तथा उसके कार्य–निष्पादन की समीक्षा करने तथा ऐसे नीति निर्देशन, जिन्हें सोसाइटी उचित समझे, देने के लिए सोसाइटी की वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होती है। माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष इसके कार्य संचालन के लिए उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं जो सोसाइटी द्वारा उन्हें दी जाती हैं। इसके साथ–साथ समय–समय पर सोसाइटी के कार्यों तथा प्रगति की समीक्षा करने तथा सोसाइटी के कुशल संचालन के लिए समितियां और आयोग नियुक्त करने अथवा सोसाइटी की कार्य स्थिति के विषय में जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने और ऐसे आदेश, जिन्हें वे उचित समझें, देने का अधिकार भी अध्यक्ष को प्राप्त है।

रा.ज.वि.अ. की स्थापना से 31.03.2018 तक सोसाइटी की 5 विशेष सामान्य बैठकें तथा 31 वार्षिक सामान्य बैठकें हो चुकी हैं।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी के सदस्यों की सूची निम्नानुसार है :

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी के सदस्यगण

(ज.सं.मं. पत्र सं. 2/9/2002–बी.एम./140 दिनांक 07.10.2016)

1.	केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री, भारत सरकार	उपाध्यक्ष

3.	सदस्य (कृषि एवं जल संसाधन), नीति आयोग	सदस्य
4.	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा पुड्डुचेरी संघ शासित राज्य के मुख्यमंत्री/मंत्री तथा उनके सचिव या उनके प्रतिनिधि, जिनका स्तर मुख्य अभियंता से कम न हो और जल संसाधन/सिंचाई के प्रभारी हों ।	सदस्य
5.	सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार।	सदस्य
6.	सचिव, कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
7.	सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
8.	ऊर्जा मंत्रालय के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
9.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
10.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
11.	नीति आयोग के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
12.	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग।	सदस्य
13.	अध्यक्ष, केंद्रीय भू–जल बोर्ड।	सदस्य
14.	अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्रधिकरण।	सदस्य
15.	अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार।	सदस्य
16.	सदस्य (जल नीति व आयोजन), केंद्रीय जल आयोग।	सदस्य
17.	सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केंद्रीय जल आयोग।	सदस्य
18.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
19.	महानिदेशक, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव या इसके समकक्ष से कम न हो।	सदस्य
20.	भारत के महासर्वेक्षक या उनके प्रतिनिधि, भारतीय सर्वेक्षण विभाग।	सदस्य
21.	निदेशक, राष्ट्रीय दूर संज्ञान अभिकरण या उनका प्रतिनिधि।	सदस्य
22.	संयुक्त सचिव (पी.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय।	सदस्य
23.	आयुक्त (एस.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ।	सदस्य
24.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण।	सदस्य–सचिव

(31-03-2018 को कुल सदस्य..... 63)

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ) सोसाइटी की 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, श्री नितिन जयराम गडकरी की अध्यक्षता में 12 सितंबर, 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, श्री सत्यपाल सिंह, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, श्री मैथ्यू टी. थामस, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, केरल सरकार, श्री बलदेव सिंह अलख, माननीय राज्य मंत्री, सिंचाई एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री टी. हरीश राव, माननीय मंत्री, सिंचाई विभाग, तेलंगाना सरकार, श्री डी. उमा महेश्वर राव, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, श्री सतपाल महाराज, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार, श्री चंद्रप्रकाश चौधरी, माननीय मंत्री, जल संसाधन, पेय जल एवं स्वच्छता, झारखंड सरकार, डा. राम प्रताप, माननीय जल संसाधन मंत्री, राजस्थान सरकार तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न संगठनों के सदस्यों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री ने रा.ज.वि.अ. सोसाइटी की 31वीं सामान्य बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया। माननीय मंत्री (ज. सं., न. वि. व गं. सं.) ने कहा कि सभी संबंधित राज्यों के सहयोग से नदी जोड़ का कार्यक्रम एक मिशन के रूप में पूरा किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत का लगभग 16 प्रतिशत क्षेत्र सूखा प्रभावित है जो 13 राज्यों के 256 जिलों में आता है। दूसरी ओर भारत का 13 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रवण है जो 7 राज्यों के 100 जिलों में है जहां बाढ़ के कारण जनहानि होती है। हिमालयी नदियों में जल की अधिकता है जबकि प्रायद्वीपीय नदियों में जल की कमी रहती है। हम बांधों और झीलों के माध्यम से वर्षा जल का कुल 15 प्रतिशत जल ही भंडारित कर पाते हैं जबकि 70 प्रतिशत जल बिना उपयोग में लाए समुद्र में बह जाता है। इस जल का समुचित उपयोग करने की आवश्यकता है तथा इसकी आयोजना एक चुनौती पूर्ण कार्य है। माननीय मंत्री (ज. सं., न. वि. व गं. सं.) ने इजराइल का उदाहरण दिया जहां केवल 6 इंच ही वर्षा होती है तथा वर्षा जल बिना उपयोग में लाए समुद्र में नहीं जाता है।

माननीय मंत्री ने बताया कि अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल कमी वाले बेसिनों / क्षेत्रों में जल अंतरण करने के लिए रा.ज.वि.अ. ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अधीन विभिन्न अध्ययनों के पश्चात 30 लिंक अभिज्ञात किए हैं। माननीय मंत्री ने आगे सूचित किया कि उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्रियों से दमनगंगा–पिंजल तथा पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजनाओं पर चर्चा की है तथा शीघ्र ही जल बंटवारे के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएगें। माननीय मंत्री ने केन–बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य मुद्दों को शीघ्र ही हल कर लिया जाएगा। माननीय मंत्री ने इस बात पर पीड़ा व्यक्त की कि राज्यों को समुद्र में बिना प्रयोग में लाए व्यर्थ बह जाने वाले 70 प्रतिशत जल की चिंता नहीं है, परन्तु अन्य सह बेसिन राज्यों के उपयोग पर आपत्तियां उठाते रहते हैं। उन्होंने पाइप नेटवर्क द्वारा सिंचाई का सुझाव दिया ताकि भूमि अधिग्रहण और पारेषण हानि को कम किया जा सके और अधिक क्षेत्रों तक सिंचाई पहुंचाई जा सके। उन्होंने वर्ष 2022 तक कृषि उत्पादन को 2.5 गुणा बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि नदी जोड़ कार्यक्रम उनके मंत्रालय की सबसे उच्च प्राथमिकता वाली योजना है जो देश का भविष्य बदल देगी तथा राज्यों से सहयोग का अनुरोध किया ताकि आगे बिना किसी रूकावट के नदी जोड़ कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा सके।

(श्री नितिन जयराम गडकरी, माननीय मंत्री (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) दिनांक 12.09.2017 को आयोजित रा.ज.वि.अ. सोसाइटी की 31वीं विशेष सामान्य बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उनकी बांई ओर हैं श्री अर्जुनराम मेघवाल तथा डॉ. सत्यपाल सिंह, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, डॉ. राम प्रताप, माननीय मंत्री (ज.सं.) राजस्थान सरकार, श्री टी.हरीश राव, माननीय सिंचाई मंत्री, तेलंगाना सरकार, श्री सतपाल महाराज, माननीय मंत्री (जल संसाधन) उत्तराखंड सरकार, श्री डी.उमा महेश्वर राव, माननीय मंत्री (जल संसाधन) आंध्रप्रदेश सरकार, उनकी दायीं ओर हैं डॉ अमरजीत सिंह, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा श्री एस. मसूद हुसैन, सदस्य (डब्ल्यू पी एवं पी), कें.ज.आ. एवं महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.)

रा.ज.वि.अ. सोसाइटी की 31वीं वार्षिक सामान्य बैठक में डा. सत्यपाल सिंह, माननीय राज्य मंत्री (ज.सं.,न.वि. व गं.सं.) ने कहा कि देश बाढ़ और सूखे की समस्याओं से जूझ रहा है तथा जल चक्र का संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। जल चक्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए नदी जोड़ परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तथा महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने जल के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है और हमें इन कार्यो से सीखना चाहिए। यदि राज्यों के मध्य जल उपयोग से संबंधित कोई मतभेद हैं तो राज्यों को आपसी विचार–विमर्श के माध्यम से स्वयं उन्हें हल कर लेना चाहिए।

2.4 शासी निकाय

रा.ज.वि.अ. सोसाइटी का शासी निकाय (शा.नि.) सचिव (जल संसाधन), भारत सरकार की अध्यक्षता में सोसाइटी के नियमों, उपनियमों तथा आदेशों के अनुसार सोसाइटी के कार्यों तथा निधियों की व्यवस्था, देख–रेख, उन्हें निर्दिष्ट व नियंत्रित करता है तथा आमतौर पर संस्था के ज्ञापन–पत्र के अनुसार सोसाइटी की गतिविधियों के लिए कार्य करता है तथा ऐसा करते समय सोसाइटी द्वारा निर्धारित नीति–निर्देशों तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों का अनुसरण तथा उनका कार्यान्वयन करता है।

रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय के सदस्यों की सूची निम्नानुसार है:

रा.ज.वि.अ.के शासी निकाय के सदस्यगण

¼t-l-e- lidYi l- 2@9@2002&ch-,e-@140 fnukd 07-10-2016½

1.	सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य

3.	सचिव, ऊर्जा मंत्रालय अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य
4.	सचिव, कृषि तथा कृषक कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग) अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य
5.	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य
6.	सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य
7.	सचिव, नीति आयोग अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य
8.	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग।	सदस्य
9.	अध्यक्ष, केंद्रीय भू–जल बोर्ड।	सदस्य
10.	अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण।	सदस्य
11.	अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण।	सदस्य
12.	सदस्य (जल नीति व आयोजन), केंद्रीय जल आयोग।	सदस्य
13.	सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केंद्रीय जल आयोग।	सदस्य
14.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विभाग या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद संयुक्त सचिव से कम न हो।	सदस्य
15.	संयुक्त सचिव (पी.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय।	सदस्य
16.	आयुक्त (एस.पी.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय।	सदस्य
17.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
18.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, असम	सदस्य
19.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, बिहार	सदस्य
20.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, छत्तीसगढ़	सदस्य
21.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, गुजरात	सदस्य
22.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, हरियाणा	सदस्य
23.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, झारखंड	सदस्य
24.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, कर्नाटक	सदस्य
25.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, केरल	सदस्य
26.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, मध्यप्रदेश	सदस्य
27.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, महाराष्ट्र	सदस्य
28.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, ओडिशा	सदस्य
29.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पंजाब	सदस्य
30.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, राजस्थान	सदस्य
31.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, तमिलनाडु	सदस्य
32.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, उत्तराखण्ड	सदस्य

33.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, उत्तर प्रदेश	सदस्य
34.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पश्चिम बंगाल	सदस्य
35.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, पुड्डुचेरी	सदस्य
36.	जल संसाधन सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जिनका पद मुख्य अभियंता के पद से कम न हो, तेलंगाना	सदस्य
37.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	सदस्य–सचिव

(31.03.2018 को कुल सदस्य – 37)

रा.ज.वि.अ. की स्थापना से 31 मार्च, 2018 तक रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 65 बैठकें हो चुकी हैं।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) के शासी निकाय की 65वीं बैठक 23 मार्च, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में श्री यू.पी. सिंह, सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई। सचिव (ज.सं.,न.वि. व गं.सं.) एवं रा.ज.वि.अ. सोसाइटी के शासी निकाय के अध्यक्ष ने बैठक में भाग लेने वाले सभी भागीदारों और सदस्यों का स्वागत किया। शासी निकाय ने रा.ज.वि.अ. द्वारा आरंभ किए गए कार्यों पर चर्चा की तथा प्रगति और उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया।

श्री यू.पी. सिंह, सचिव (ज.सं., न.वि. व गं. सं.), रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 65वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए। उनके बायीं ओर श्री एस. मसूद हुसैन, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, श्री टॉम जोस, अपर मुख्य सचिव, केरल सरकार और उनके दायी ओर हैं श्री संजय कुंडु, संयुक्त सचिव (आर.डी एवं पी.पी.) ज.सं., न.वि. व गं.सं., एवं महानिदेशक रा.ज.वि.अ., श्री आर. के. जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ.

2.5 तकनीकी सलाहकार समिति

रा.ज.वि.अ. सोसाइटी के शासी निकाय ने अभिकरण द्वारा तैयार किये गए विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों की परीक्षा एवं जांच करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार समिति (त.स.स.) का गठन किया है। अभी तक रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति की 42 बैठकें हो चुकी हैं। रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति की पिछली बैठक 23 मई, 2016 को नई दिल्ली में हुई।

संदर्भ की शर्तों के साथ–साथ रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची तथा विशिष्ट आमंत्रितों की सूची निम्नानुसार हैः

रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों की सूची

(रा.ज.वि.अ. पत्र सं. रा.ज.वि.अ./112/5/तक. – 1/2005/खंड 37/4639 – 85 दिनांक 04.05.2006)

1.	अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	सदस्य (जल नीति व आयोजन), केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
3.	सदस्य (आरेख एवं अनुसंधान), केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली	सदस्य
4.	सदस्य (एच.ई.),केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
6.	सलाहकार (आई.ए.), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
7.	महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता	सदस्य
8.	अध्यक्ष, केंद्रीय भू–जल बोर्ड, फरीदाबाद	सदस्य
9.	महानिदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
10.	निदेशक/वैज्ञानिक (एफ.), राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की	सदस्य
11.	अध्यक्ष, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा	सदस्य
12.	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली	सदस्य–सचिव
13.	मुख्य अभियंता (जल संसाधन), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	विशेष आमंत्रित
14.	मुख्य अभियंता व संयुक्त सचिव, नर्मदा एवं जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार	विशेष आमंत्रित
15.	प्रमुख अभियंता (अंतर्राज्यीय व जल संसाधन), सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	विशेष आमंत्रित
16.	मुख्य अभियंता (बोधी), जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	विशेष आमंत्रित
17.	मुख्य अभियंता (जल संसाधन) व संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार	विशेष आमंत्रित
18.	मुख्य अभियंता, अंतर्राज्यीय जल, केरल सरकार	विशेष आमंत्रित
19.	मुख्य अभियंता (सिंचाई, अभिकल्प एवं अनुसंधान), सिंचाई एकक, राजस्थान सरकार	विशेष आमंत्रित
20.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन संगठन, तमिलनाडु सरकार	विशेष आमंत्रित
21.	मुख्य अभियंता, केंद्रीय योजना एकक, सिंचाई विभाग, ओडिशा सरकार	विशेष आमंत्रित
22.	प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, जल संसाधन विकास संगठन, कर्नाटक सरकार	विशेष आमंत्रित
23.	मुख्य अभियंता (ज.सं.), सिंचाई निर्माण कार्य, पंजाब सरकार	विशेष आमंत्रित
24.	मुख्य अभियंता (लिफ्ट नहर), सिंचाई विभाग, हरियाणा सरकार	विशेष आमंत्रित
25.	मुख्य अभियंता, पी.पी. प्रकोष्ठ, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	विशेष आमंत्रित

26.	मुख्य अभियंता (अभिकल्प एवं अनुसंधान), सिंचाई व जलमार्ग निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार	विशेष आमंत्रित
27.	मुख्य अभियंता (पी.एंड डी.),ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी, असम	विशेष आमंत्रित
28.	मुख्य अभियंता (सिंचाई), सिंचाई विभाग, असम सरकार	विशेष आमंत्रित
29.	मुख्य अभियंता (सिंचाई एवं बाढ़), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	विशेष आमंत्रित
30.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार	विशेष आमंत्रित
31.	मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड सरकार	विशेष आमंत्रित
32.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार	विशेष आमंत्रित

(31.03.2018 को कुल सदस्य – 12)

(31.03.2018 को कुल विशेष आमंत्रित – 20)

संदर्भ की शर्तें

1. रा.ज.वि.अ. द्वारा किए जाने वाले अध्ययनों तथा अन्वेषणों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना।
2. जलवैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए रा.ज.वि.अ. द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणाली पर विचार करना और उसे स्वीकृति देना ।
3. संबद्ध राज्यों से प्राप्त टिप्पणियों/विचारों के प्रकाश में रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार जल संतुलन तथा पूर्व संभाव्यता रिपोर्टों पर विचार करना तथा स्वीकृति देना।
4. जल अंतरण लिंक प्रस्तावों के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा विस्तृत अन्वेषण करने पर विचार करना तथा सहमति प्रदान करना।
5. संभाव्यता रिपोर्टों के विस्तृत अन्वेषण तथा तैयारी के लिए मार्गदर्शन देना।

अध्याय – 3

नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति (एस.सी.आई.एल.आर.) तथा नदियों के अंतर्योजन पर कार्यबल

3.1 नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति

माननीय उच्चतम न्यायालय ने समादेश याचिका (सिविल) सं. 512 वर्ष 2002 ''नदियों के अंतर्योजन'' तथा समादेश याचिका (सिविल) सं. 668 वर्ष 2002 के मामले पर दिनांक 27.02.2012 के अपने निर्णय में भारत संघ विशेषकर जल संसाधन मंत्रालय को नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए माननीय मंत्री, जल संसाधन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्देश दिया।

दिनांक 24.07.2014 को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 27.02.2012 के निर्णयों का अनुपालन करते हुए "नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति" के गठन को मंजूरी दे दी। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने दिनांक 23.09. 2014 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा "नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति" का गठन किया। मंत्रिमंडल की दिनांक 15.11.2016 को आयोजित बैठक में प्रगति रिपोर्ट की स्थिति तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2002 की समादेश याचिका (सिविल)–512: नदियों की नैटवर्किंग के साथ 2002 की समादेश याचिका संख्या सं. 668 के मामले पर दिनांक 27.02.2012 को दिए गए निर्णय के अनुपालन में ''नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति'' के गठन की समीक्षा की।

वर्ष 2017–18 के दौरान नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति की दो बैठकें हुईं ।

श्री संजीव बालयान, माननीय केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्यमंत्री, की अध्यक्षता में 27 जुलाई 2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति की तेरहवीं बैठक हुई। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न संगठनों के सदस्यों/ प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

बैठक में, उप समिति–I एवं II के संदर्भ की शर्तो (टी ओ आर) तथा कार्यो की प्रगति पर विचार–विमर्श किया। विशेष समिति ने उप समिति–I एवं II का कार्यकाल 12.08.2017 से आगे 6 माह तक के लिए बढ़ा दिया। माननीय राज्य मंत्री (ज. सं., न. वि. व ग. सं.) ने ज. सं., न. वि. व ग. सं. मं. द्वारा शीघ्र ही रा.ज.वि.अ. के ढाचें के पुनर्गठन का कार्य पूरा करने की इच्छा व्यक्त की।

{नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति की 13वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डा. संजीव कुमार बालयान, माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री। उनकी बायीं ओर हैं श्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) और अध्यक्ष, नदी जोड़ कार्य बल, श्री गिरीश महाजन माननीय मंत्री, (ज.सं.वि.) महाराष्ट्र सरकार। उनकी दायीं ओर हैं डॉ. अमरजीत सिंह, सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) तथा श्री एस.मसूद हुसैन, सदस्य (डब्ल्यू. पी. एवं पी.), कें.ज.आ. एवं महानिदेशक, रा.ज.वि.अ.}

श्री नितिन जयराम गडकरी, माननीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री की अध्यक्षता में 17 जनवरी 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति की 14वीं बैठक हुई। बैठक में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों के सदस्यों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में माननीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री ने विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रियों से विभिन्न नदी बेसिनों में अधिशेष जल के संबंध में संबंधित राज्यों में मतैक्यता विकसित करने का अनुरोध किया ताकि समुद्र में बहकर जाने वाले अतिरिक्त जल को जल की मांग करने वाले क्षेत्रों में उपयोग किया जा सके। परियोजना से प्रभावित लोगों को उचित पुनर्वास और पुनः स्थापना उपलब्ध करा कर नदियों के अंतर्योजन के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाना है। आगे, उन्होंने नदी जोड़ कार्यक्रम को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेसिंयों से कम ब्याज दर पर निधियन जुटाने जैसे बेहतर वित्तीय माडल विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। विशेष समिति ने संस्तुति दी कि नदी जोड़ परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं की सूची में रखा जाए जिसमें 90 प्रतिशत (केन्द्र) : 10 प्रतिशत (राज्य) द्वारा निधियन उपलब्ध कराया जाये ।

{श्री नितिन जयराम गडकरी, माननीय मंत्री (ज.सं.,न.वि.व गं.सं.) नदी जोड़ समिति की 14 वीं विशेष बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उनकी बायीं ओर हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय राज्य मंत्री (ज.सं.,न.वि.व गं.सं.), श्री सत्यपाल सिंह, माननीय राज्यमंत्री (ज.सं.,न.वि.व गं.सं)। उनकी दायीं ओर हैं श्री संजय कुंडु, संयुक्त सचिव (पी.पी. एवं आर. डी.) एवं महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. और श्री एस. मसूद हुसैन, अध्यक्ष, कें. ज.आ.}

नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति ने 4 विशेष उप समितियों का गठन किया है नामतः (i) नदी जोड़ मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों के समेकित मूल्याकंन के लिए उप समिति (ii) सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना को अभिज्ञात करने के लिए प्रणाली अध्ययनों पर उप समिति (iii) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के ढांचे के पुनगर्ठन के लिए उप समिति (iv) संबंधित राज्यों के बीच मध्यस्थता तथा अनुबंध द्वारा मतैक्यता स्थापित कराने पर उप–समिति। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के दिनांक 13.02.2015 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा क्रम संख्या (i) से क्रम संख्या (iii) तक की तीन उप–समितियों का गठन किया गया। ज.सं.,न.वि.व गं.सं. मंत्रालय द्वारा जून, 2002 में क्रम संख्या (iv) की उप–समिति का गठन किया जो रा. ज.वि.अ. के अंतर बेसिन जल अंतरण प्रस्तावों पर राज्यों के बीच मतैक्यता स्थापित करेगी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.01.2016 के पत्र द्वारा नाम बदल कर संबंधित राज्यों के बीच मध्यस्थता तथा अनुबंध द्वारा मतैक्यता स्थापित कराने की उप–समिति कर दिया गया।

दिनांक 28.12.2017 को नदियों के अंतर्योजन पर विभिन्न अध्ययनों/रिपोर्टों के समेकित मूल्यांकन के लिए उप समिति (उप समिति–I) की आठवीं बैठक हुई।

सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना को अभिज्ञात करने के लिए प्रणाली अध्ययनों पर उप समिति (उप समिति–II) की 11वीं बैठक 26.02.2018 को आयोजित की गई ।

रा.ज.वि.अ. के ढ़ांचे के पुनर्गठन की उप समिति ने दिनांक 21.09.2015 को अपनी रिपोर्ट माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री तथा अध्यक्ष, विशेष समिति

को सौंप दी। दिनांक 30 मई, 2016 को माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री के समक्ष रा.ज.वि.अ. के ढ़ांचे के पुनर्गठन पर एक प्रस्तुतीकरण दिया गया। 08 दिसम्बर, 2016 को सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) को भी एक प्रस्तुतीकरण दिया गया। सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) ने इच्छा व्यक्त की कि अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता में संभावित कमी के अनुरूप संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जाए। रा.ज.वि.अ. ने अतिरिक्त कर्मियों की संशोधित आवश्यकता 17 मई 2017 को सौंप दी है। नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति (एस. सी. आई. एल. आर) की 13वीं बैठक में विचार–विमर्श के दौरान माननीय राज्य मंत्री (ज.सं.,न.वि.व गं.सं.) ने निर्देश दिया कि रा.ज.वि.अ. के ढ़ांचे के पुनर्गठन पर मंत्रालय शीघ्र कार्यवाही करे। मंत्रालय ने दिसंबर 2017 में सूचित किया कि आई. एल. आर. के समग्र पुनर्गठन के साथ–साथ रा.ज.वि.अ. के ढ़ांचे का पुनर्गठन किया जाएगा। प्राथमिकता प्राप्त आई. एल. आर. परियोजनाओं– केन–बेतवा लिंक परियोजना, पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना तथा दमनगंगा–पिंजल लिंक परियोजना के महत्व को देखते हुए रा.ज.वि.अ. द्वारा किए जा रहे अन्य कार्यों के साथ–साथ इनका भी क्रियान्वयन किया जाएगा। नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति (एस.सी.आई.एल.आर.) की 14वीं बैठक में माननीय मंत्री (ज.सं.,न.वि.व गं.सं.) ने सुझाव दिया कि सचिव (ज.सं., न.वि. व गं.सं.) रा.ज.वि.अ. के ढ़ांचे के तात्कालिक पुनर्गठन पर पुनः विचार करें।

3.2 नदियों के अंतर्योजन पर कार्यबल

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी 24 जुलाई, 2014 को आयोजित बैठक में नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति के गठन को मंजूरी देते समय, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्देश दिया था कि नदियों के अंतर्योजन से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन किया जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुदेशों के अनुपालन में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने दिनांक 13 अप्रैल, 2015 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा श्री बी.एन.नवलावाला, मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में नदियों के अंतर्योजन पर एक कार्यबल का गठन किया । यह कार्यबल नदियों के अंतर्योजन के क्रियान्वयन के संबंध में नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सहायता करेगा। वर्ष 2017 – 18 के दौरान कार्यबल की दो बैठकें हुईं।

दिनांक 11.05.2017 को आयोजित इसकी 7 वीं बैठक में कार्यबल ने समूह की रिपोर्ट के विधिक पहलुओं पर विचार–विमर्श किया। यह निर्णय लिया गया कि एक या दो ख्याति प्राप्त विधिक विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाए। दिनांक 15.09.2017 को आयोजित कार्यबल की 8वीं बैठक में डॉ. एन.आर. माधव मेनन, सेवानिवृत्त निदेशक, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, बंगलूरू के विधिक सुझावों सहित विधिक पहलुओं पर समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की तथा यह निर्णय लिया कि रा.ज.वि.अ. नदी अंतर्योजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर श्वेत पत्र/स्थिति पत्र लाए। कार्य बल ने इस बैठक में नदी बेसिन में जल संतुलन अध्ययन करने के दिशानिर्देशों को विचार–विमर्श करके अंतिम रूप दिया।

3.3 कार्यबल के अंतर्गत वित्तीय पहलुओं पर समूह का गठन

नदी जोड़ परियोजनाओं के वित्तीय पहलुओं पर विचार करने तथा इसके क्रियान्वयन के लिए निधियन प्रणाली का सुझाव देने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने 12 सितंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा कार्य बल के अधीन वित्तीय पहलुओं पर एक समूह का गठन किया। वर्ष 2017–18 के दौरान समूह ने 7 बैठकें की।

अध्याय – 4

तकनीकी गतिविधियां

4.1 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना

समय–समय पर अधिशेष जल वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल अंतरित करने के लिए राष्ट्रीय जल ग्रिड के सुझाव आते रहे हैं। पूर्व में सातवें दशक में जिन दो प्रस्तावों ने पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया वे हैं– डॉ. के. एल.राव के राष्ट्रीय जल ग्रिड तथा कैप्टन दस्तूर का नहर माल प्रस्ताव। चूंकि ये प्रस्ताव तकनीकी आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं पाए गए इसलिए इन प्रस्तावों पर सरकार ने आगे विचार नहीं किया।

व्यक्तिगत/संगठनात्मक स्तर पर दिखाई जा रही निरंतर रूचि के परिणामस्वरूप अंतर–बेसिन जल अंतरण प्रस्तावों के अध्ययन को बल मिला। तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने जल संसाधनों के विकास के लिए अगस्त 1980 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) तैयार की। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में दो घटक शामिल है नामतः (i) प्रायद्वीपीय नदी विकास तथा (ii) हिमालयी नदी विकास।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के क्रियान्वयन से सतही जल द्वारा 25 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई, भू जल के बढ़े हुए उपयोग से 10 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई जिससे ईष्टतम सिंचाई क्षमता 140 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 175 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगी तथा 34 मिलियन किलोवाट ऊर्जा उत्पादन जैसे लाभों के अतिरिक्त बाढ़ नियंत्रण, नौवहन, जल आपूर्ति, मत्स्य पालन, लवणता तथा प्रदूषण नियंत्रण जैसे आनुषांगिक लाभ होंगे।

4.2 अंतर बेसिन जल अंतरण लिंक

आरंभ में रा.ज.वि.अ. को जल संसाधन के विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययन सौंपे गए थे। तदनंतर, 1990–91 में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिमालयी नदी विकास घटक से संबंधित अध्ययन के कार्य भी सौंपे गए। वर्ष 2006–07 में राज्यों से सहमति के बाद लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भी रा.ज.वि.अ. को सौंपा गया। तदनुसार, रा.ज.वि.अ. ने वर्ष 2006–07 में केन–बेतवा लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य आरंभ किया, जिसे 31.12.2008 को पूरा किया गया। केन–बेतवा लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को आगे चरण–I एवं II में बांटा गया है। केन–बेतवा चरण–I में दौधन बांध तथा इसके संगत कार्य, सुरंग, ऊर्जाघर तथा लिंक नहर शामिल हैं, इसे 2010 में पूरा किया गया। वर्ष 2013–14 में रा. ज.वि.अ. ने केन–बेतवा चरण–II तथा दमनगंगा–पिंजाल लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें पूरी कर ली हैं। पार–तापी–नर्मदा लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य 2015–16 में पूरा किया गया। इस रिपोर्ट को गुजरात सरकार की टिप्पणियों के आधार पर संशोधित किया गया एवं मई 2017 में महाराष्ट्र एवं गुजरात सरकार को भेजा गया।

राज्यों द्वारा यथा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंकों की संभाव्यता रिपोर्ट/पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य वर्ष 2006–07 के दौरान रा.ज.वि.अ. को सौंपा गया। तत्पश्चात अंतःराज्यीय लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य भी वर्ष 2011 में रा.ज.वि.अ. को सौंपा गया। वर्ष के दौरान बिहार राज्य की दो लिंकों बूढ़ी गंडक–नून–बाया–गंगा एवं कोसी–मेची की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली। इस वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य की वेनगंगा (गोसीखुर्द) – नलगंगा (पूरना तापी) लिंक, दमनगंगा (इकदारे)– गोदावरी लिंक तथा दमनगंगा–वेतरणा–गोदावरी (कदवादेव) लिंक एवं तमिलनाडु की पोनय्यार–पालार लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है । रा.ज.वि.अ. ने 31 मार्च 2018 तक राज्यों द्वारा प्रस्तावित 36 अंतःराज्यीय लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्टें तैयार कर ली है ।

4.3 रा.ज.वि.अ. द्वारा पूर्ण किये गये प्राथमिक अध्ययन

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के प्रायद्वीपीय तथा हिमालयी घटक के अधीन रा.ज.वि.अ. द्वारा पूरे किए गए प्राथमिक अध्ययन तालिका–1 में दर्शाये गये हैं।

तालिका - 1

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अधीन रा.ज.वि.अ. द्वारा पूर्ण किये गये प्राथमिक अध्ययन

Ø- l	v/;;u dk uke	çk;}hih; ?kVd	fgeky;h ?kVd	i.k fd, x, dy ikjfEHkd v/;;u
1	2	3	4	5
I	जल संतुलन अध्ययन			
	– बेसिन/उप – बेसिन	137	–	137
	– पंथातरण स्थल तक	52	19	71
	dy	189	19	208
II	स्थलाकृतिक अध्ययन			
	– जलाशय भंडारण स्थल	58	16	74
	– लिंक संरेखण	18	19	37
	dy	76	35	111
III	लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट जिनमें एक अतिरिक्त तथा एक वैकल्पिक अध्ययन शामिल है	18	14	32

4.4 रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार किये जा रहे जल अंतरण लिंक

संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए रा.ज.वि.अ. द्वारा अभिज्ञात जल अंतरण लिंकः

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटकः

1. महानदी (मणिभद्रा) –गोदावरी (दौलेश्वरम)
2. गोदावरी (पोलावरम) – कृष्णा (विजयवाड़ा)
3. गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (पुलिचिंतला)
4. गोदावरी (इंचमपल्ली) – कृष्णा (नागार्जुनसागर)
5. कृष्णा (नागार्जुनसागर) – पेन्नार (सोमासिला)
6. कृष्णा (श्रीसेलम) – पेन्नार
7. कृष्णा (अलमट्टी) – पेन्नार
8. पेन्नार (सोमासिला) – कावेरी (ग्रांड अनीकट)
9. कावेरी (कट्टालई) – वैगाई – गुण्डार
10. पार्बती – कालीसिंध – चम्बल
11. दमनगंगा – पिंजाल
12. पार – तापी – नर्मदा
13. केन – बेतवा
14. पम्बा – अच्चनकोविल – वैप्पार
15. नेत्रावती – हेमावती
16. बेदती – वरदा

हिमालय नदी विकास घटक

1. मानस – संकोष – तिस्ता – गंगा (एम.एस.टी.जी.)
2. कोसी–घाघरा
3. गंडक – गंगा
4. घाघरा – यमुना
5. शारदा – यमुना
6. यमुना – राजस्थान
7. राजस्थान – साबरमती
8. चुनार – सोन बैराज
9. सोन बांध – गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां
10. गंगा (फरक्का) – दामोदर – सुबर्णरेखा
11. सुबर्णरेखा – महानदी
12. कोसी – मेची
13. फरक्का – सुन्दरबन
14. जोगीघोपा – तीस्ता – फरक्का (एम.एस.टी.जी. का विकल्प)

अध्ययन किये जा रहे विभिन्न प्रस्तावित अंतरबेसिन जल अंतरण लिंकों को दर्शाने वाला मानचित्र निम्नानुसार

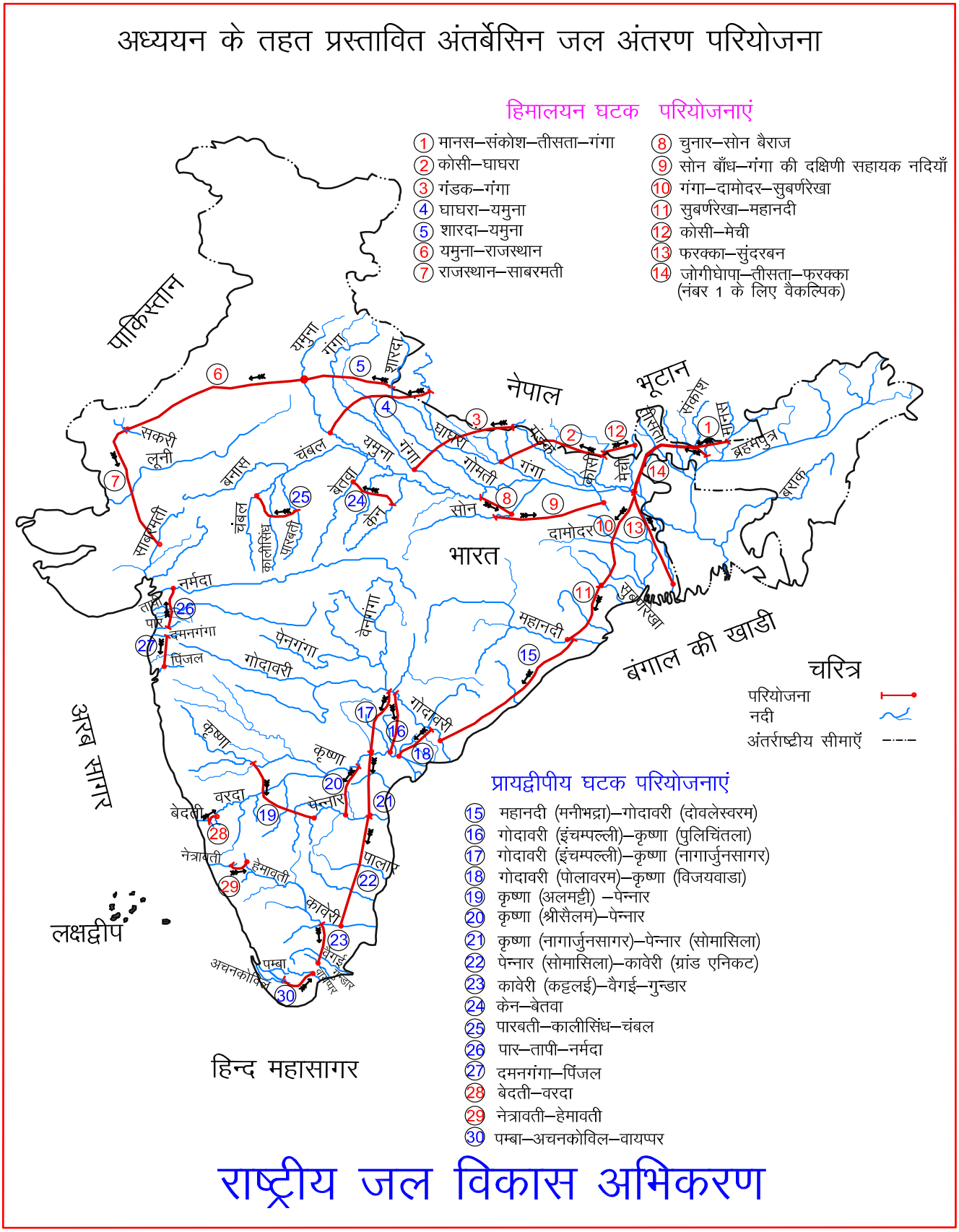

4.4.1 प्रायद्वीपीय घटक के अधीन अंतर- बेसिन जल अंतरण लिंकों की वर्तमान स्थिति

प्रायद्वीपीय घटक के अधीन अभिज्ञात 16 लिंकों में से दो लघु लिंक नामतः बेदती–वरदा तथा नेत्रावती–हेमावती, जो कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं, के अलावा सभी लिंकों की संभाव्यता रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं।

¼i½ cnrh&ojnk fyad

कर्नाटक सरकार ने संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहमति दे दी, किन्तु स्थानीय गैर सरकारी संगठन के विरोध के कारण कार्य रूक गया, जिसकी मांग थी कि सर्वेक्षण और अन्वेषण से पहले कर्नाटक सरकार उनके द्वारा तैयार संदर्भ की शर्तों पर संबंधित क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन करे। दिनांक 23.03.2018 को आयोजित रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 65वीं बैठक में कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि इस लिंक की ई.आई.ए. अध्ययन के संदर्भ की शर्तों पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुछ टिप्पणियां दी हैं तथा कर्नाटक शीघ्र ही आवश्यक स्पष्टीकरण सौंप देगी। संदर्भ की शर्तों के अनुमोदित होने के बाद कनार्टक सरकार बेदती–वरदा लिंक का ई.आई.ए. अध्ययन आरंभ करेगी।

¼ii½ u=korh&gsekorh fyad

संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अभी तक कर्नाटक सरकार ने अपनी सहमति नहीं दी है। लिंक की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण करने की सहमति के लिए रा.ज.वि.अ. कर्नाटक सरकार से बराबर संपर्क में है। दिनांक 27.01.2016 को आयोजित रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 62वीं बैठक में कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि नेत्रावती जल के अंतरण पर बल देते हुए यतिनहोल परियोजना की डी.पी.आर. रा.ज.वि.अ. को भेज दी गई है। रा.ज.वि.अ. द्वारा रिपोर्ट की जांच की गई तथा 11.11.2016 को रा.ज. वि.अ. की टिप्पणियां भेज दी गई।

दिनांक 23.03.2018 को आयोजित रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय की 65वीं बैठक में कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि कर्नाटक सरकार ने यतिनहोल परियोजना की आयोजना की हुई है इसलिए वे नेत्रावती–हेमावती लिंक की संभाव्यता रिपोर्ट आरंभ करने के पक्ष में नहीं हैं। यह स्पष्ट किया गया कि रा.ज.वि.अ. ने यतिनहोल परियोजना की डी. पी.आर. की संवीक्षा की है तथा उसकी टिप्पणियां कर्नाटक सरकार को भेज दी गई कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत, कर्नाटक सरकार द्वारा तैयार यतिनहोल परियोजना तथा रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार नेत्रावती–हेमावती लिंक, दोनों परियोजनाएं क्रियान्वयन योग्य हैं।

¼iii½ egkunh& xksnkojh fyad ifj;kstuk

एन.आई. एच. द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार, बरमूल बांध स्थल (मार्च 2017) पर महानदी बेसिन में 75% धारणीयता पर समग्र जल उपलब्धता तथा जल संतुलन क्रमशः 51263 एम.सी.एम. तथा 9908 एम.सी.एम आकलित किया गया है। एन.आई.एच. द्वारा किए गए जल संतुलन अध्ययनों से ओड़िशा सरकार सहमत नहीं है तथा एन.आई. एच. द्वारा किए गए अध्ययनों पर कुछ टिप्पणियां की हैं, जिनकी जांच रा.ज.वि.अ. कर रहा है।

प्रायद्वीपीय घटक के अधीन विभिन्न अध्ययनों की 31 मार्च, 2018 तक की स्थिति निम्नानुसार है :

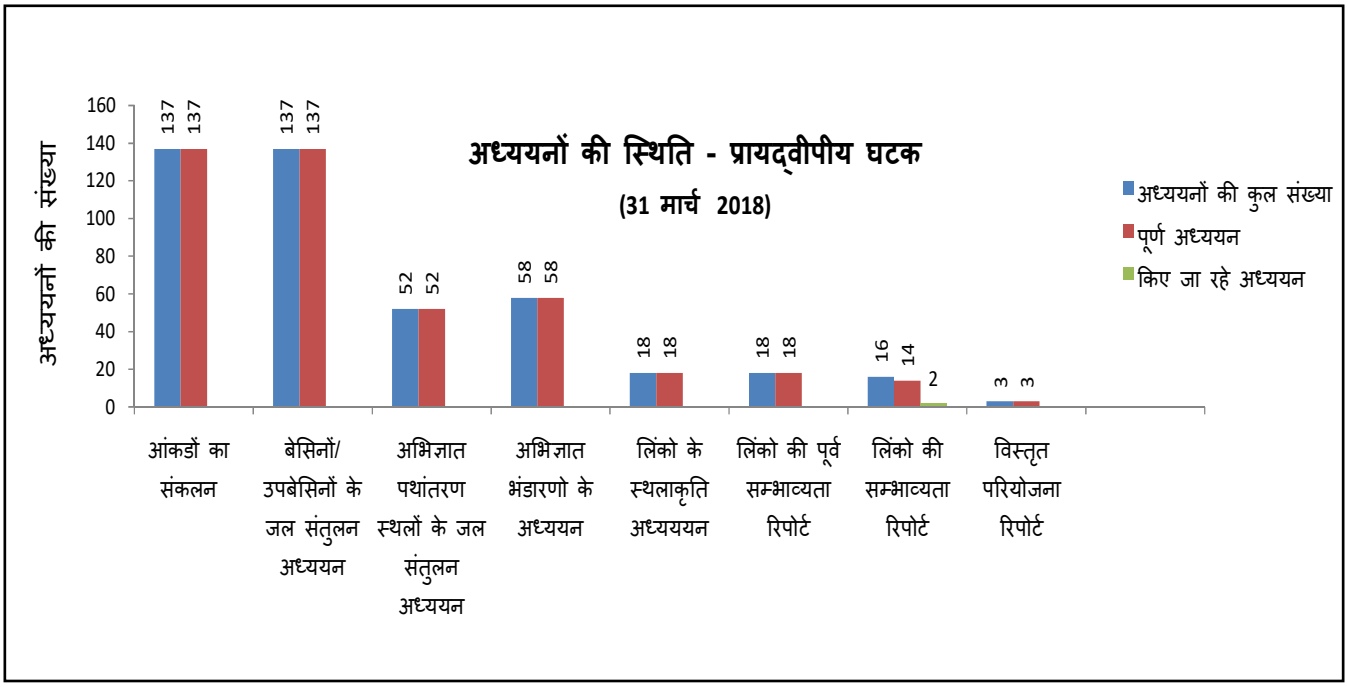

4.4.2 हिमालयी घटक के अधीन अंतर-बेसिन जल अंतरण लिंकों की वर्तमान स्थिति

हिमालयी घटक में अभिज्ञात 14 लिंकों में से रा.ज.वि.अ. ने दो लिंकों नामतः शारदा – यमुना एवं घाघरा – यमुना के भारतीय भूभाग के संभाव्यता अध्ययन पूरे कर लिए हैं। तथापि नेपाल क्षेत्र में कार्य पूर्ण न होने के कारण उन्हें परिचालित नहीं किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त, भारतीय भाग से संबंधित 7 लिंकों नामतः (i)यमुना – राजस्थान लिंक (ii) चुनार – सोन बैराज लिंक (iii) सुबर्णरेखा – महानदी लिंक (iv) गंगा – दामोदर – सुबर्णरेखा लिंक (v) फरक्का – सुन्दरबन लिंक (vi) राजस्थान – साबरमती लिंक तथा (vii) गंडक – गंगा लिंकों के सर्वेक्षण तथा अन्वेषण और प्रारूप संभाव्यता रिपोर्टें तैयार करने का कार्य पूरा हो गया है।

केंद्रीय जल आयोग/पंचेश्वर विकास प्राधिकरण द्वारा पंचेश्वर बांध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी होने के बाद शारदा – यमुना लिंक की संभाव्यता रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। चूंकि संपूर्ण कोसी–मेची लिंक नेपाल की सीमा क्षेत्र में आती है, इसलिए सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य आरंभ नहीं किया जा सका। संभाव्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए कोसी – घाघरा तथा मानस – संकोष – तीस्ता – गंगा (एम.एस.टी.जी.) लिंकों का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य पूरा किया जा चुका है। सुदूर संवेदन (Remote Sensing) नक्शों का प्रयोग करते हुए सोन बांध–गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां (एस.टी.जी.) का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य पूरा किया गया है। चूंकि जोगीघोपा–तीस्ता–फरक्का लिंक एम.एस.टी.जी. लिंक का विकल्प है, इसलिए इसका सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य आंरभ नहीं किया जा सका।

31 मार्च, 2018 तक हिमालयी घटक के अधीन विभिन्न अध्य्यनों की स्थिति निम्नानुसार है :

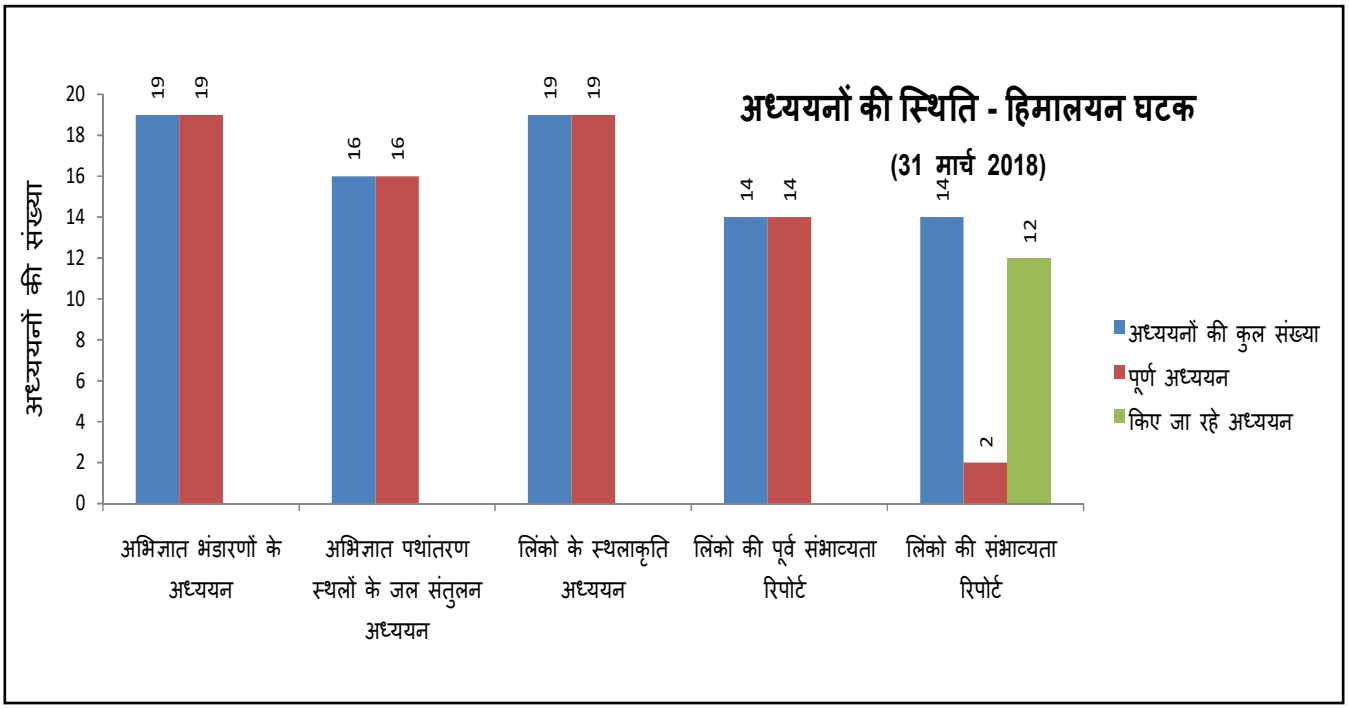

4.4.3 मानस – संकोश – तीस्ता – गंगा (एम एस टी जी) लिंक

मानस – संकोष – तीस्ता – गंगा लिंक का संरेखण मानस टाइगर रिजर्व, बक्सा टाइगर रिजर्व तथा अन्य वनों से होकर गुजरता है, इसलिए वास्तविक संरेखण के अनुसार मानस – संकोष – तीस्ता – गंगा लिंक की संभाव्यता रिपोर्ट (एफ.आर.) पूरी नहीं की जा सकी। इन क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के दौरान कार्य में आने वाली व्यावहारिक परेशानियों को देखते हुए, रा.ज.वि.अ. ने विभिन्न रिजर्व वनों को छोड़ते हुए लगभग 80 मीटर लिफ्ट सहित एक नया वैकल्पिक संरेखण अध्ययन किया है। संभाव्यता रिपोर्ट पूरी होने के बाद इसे पश्चिम बंगाल, असम तथा बिहार सरकारों को उनके सुझाव / टिप्पणी हेतु भेजी जाएगी।

अध्याय – 5

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (रा.प.यो.) के अंतर्गत अभिज्ञात प्राथमिकता प्राप्त लिंक

5.1 मतैक्यता के लिए किए गए प्रयास

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने निम्नलिखित लिंकों को मतैक्यता स्थापित कराने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त लिंक के रूप में अभिज्ञात किया:

1. केन – बेतवा लिंक
2. पार – तापी – नर्मदा लिंक
3. दमनगंगा – पिंजल लिंक
4. संकोष – महानदी–गोदावरी लिंक

केन – बेतवा लिंक परियोजना चरण –I तथा दमनगंगा–पिंजल लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट क्रमशः अगस्त 2010 तथा मार्च 2014 में पूरी कर ली गई। केन – बेतवा लिंक परियोजना चरण –II की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जनवरी 2014 में पूरी कर ली है तथा मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से इसमें संशोधन किया जा रहा है। पार – तापी– नर्मदा लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अगस्त 2015 में पूरी कर ली है तथा गुजरात सरकार के सुझावों के अनुसार इसे अप्रैल 2017 में संशोधित किया गया है। संकोष–महानदी–गोदावरी लिंक तंत्र को भी मतैक्यता स्थापित कराने की प्रक्रिया के लिए अभिज्ञात किया गया है। रा.ज.वि.अ. ने इस लिंक तंत्र की महानदी–गोदावरी घटक की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली है। मणिभद्रा जलाशय के बड़े डूब क्षेत्र के कारण ओडिशा सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं है। इसलिए रा.ज.वि.अ. ने कम से कम डूब वाले प्रस्ताव का विकल्प तैयार किया है। एम.एस.टी.जी. (हिमालयी घटक) को महानदी – गोदावरी (प्रायद्वीपीय घटक) से जोड़ने की संभावना भी तलाशी जा रही है।

(i) केन–बेतवा लिंक परियोजना (के बी एल पी) (चरण–I)

d i ch ,y ih pj.k&I dh fofHkUu e tfj;k dh fLFkfr

Ø-la-	xfrfofèk;k	orZeku fLFkfr
i	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा तकनीकी–आर्थिक मंजूरियां	सचिव (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण) की अध्यक्षता में दिनांक 08–07–2016 को आयोजित जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सलाहकार समिति की 129 वीं बैठक में परियोजना को तकनीकी–आर्थिक मंजूरी की संस्तुति की गई।
ii	सांविधिक मंजूरियां	
¼d½	वन्य जीव मंजूरी	एन.बी.डब्ल्यू.एल. की स्थाई समिति की दिनांक 23.08.2016 को आयोजित 39वीं बैठक में कुछ शर्तों के साथ वन्य जीव मंजूरी की संस्तुति दे दी गई।
¼[k½	पर्यावरणीय मंजूरी	वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 25.08.2017 के पत्र द्वारा आवश्यक पर्यावरण मंजूरी दे दी।
¼x½	वन भूमि पथांतरण मंजूरी	फोरेस्ट एडवाइजरी कमेटी (एफ ए सी) ने दिनांक 16 मई 2017 को आयोजित बैठक में वन मंजूरी की संस्तुति दे दी। कुछ शर्तों के साथ दिनांक 25.05.2017 को चरण–I की मंजूरी दे दी।
¼?k½	जन–जातीय कार्य मंत्रालय से मंजूरी	जन–जातीय कार्य मंत्रालय ने दिनांक 04.01.2017 के पत्र द्वारा मंजूरी दे दी है।
¼M½	भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की केन्द्रीय सशक्त समिति (सी.ई.सी.)	1 मई 2017 को आयोजित बैठक में केन्द्रीय सशक्त समिति (सी.ई.सी.) ने प्रस्ताव पर विचार किया। समिति ने प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त सूचनाओं का अनुरोध किया जो 23.05.2017 को सौंप दी गई।

iii	निवेश मंजूरी	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की निवेश मंजूरी समिति ने दिनांक 19.06.2017 को 18,057.08 करोड़ राशि के व्यय की मंजूरी दे दी।
iv	निधियन मंजूरी	के बी एल पी के लिए निधियन क्रियाविधि 90% : 10% (केंद्रः राज्य) के अनुपात में है। नीति आयोग ने प्रस्ताव का समर्थन किया है।
v	क्रियान्वयन क्रियाविधि	सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त होने के बाद के बी एल पी के क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों को 30 मई 2017 को प्रारूप कैबिनेट नोट परिचालित किया गया तथा प्रारूप पी आई बी नोट भी दिनांक 09.06.2017 को परिचालित किया गया।

(2) केन-बेतवा लिंक परियोजना (चरण-II)

केन–बेतवा लिंक परियोजना की डी.पी.आर. चरण–II पूरी कर ली गई है तथा संबंधित राज्यों मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश को जनवरी, 2014 में इसे सौंप दिया है। केन–बेतवा लिंक परियोजना चरण II का पूरा लाभ मध्य प्रदेश राज्य को मिलेगा। तद्नुसार जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने डी पी आर में अतिरिक्त परियोजना घटक शामिल करने का सुझाव दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्तावों के अनुसार, 2014 के बी एल पी चरण–II के डी पी आर में लोअर आर बांध तथा अन्य बैराजों को शामिल किया गया है। तद्नुसार इसमें बीना काम्पलैक्स को जोड़ दिया गया तथा दो बैराज नामतः नीमखेड़ा तथा बराडी को छोड़ दिया गया। केन–बेतवा लिंक परियोजना चरण–II की डी. पी. आर., जिसमें अब लोअर आर, कोठा बैराज और बीना काम्पलैक्स जोड़ा गया है, केन्द्रीय जल आयोग तकनीकी मूल्यांकन कर रहा है। वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है–

(i) yksvj vkj ifj;kstuk

केन्द्रीय जल आयोग लोअर आर परियोजना की डी पी आर का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन कर रहा है। पर्यावरणीय मंजूरी के लिए वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ई.ए.सी.) ने दिनांक 02.05.2016 को परियोजना की संस्तुति की। 30 मार्च 2017 को आयोजित वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन परामर्श समिति की बैठक में परियोजना पर विचार किया तथा वन भूमि पथांतरण मंजूरी के लिए परियोजना के संस्तुति दी।

¼ii½ chuk d‚EiysDl

बीना कॉम्पलेक्स परियोजना की डी पी आर का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन केन्द्रीय जल आयोग कर रहा है। वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ई.ए.सी. ने पर्यावरणीय मंजूरी तथा वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की फोरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने वन भूमि पथांतरण मंजूरी के लिए परियोजना पर विचार किया है।

¼iii½ dksBk cjkt

केन्द्रीय जल आयोग कोठा बैराज परियोजना की डी पी आर का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन कर रहा है। दिसंबर 2016 में वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संदर्भ की शर्तों के अनुसार जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने कोठा बैराज का ई.आई.ए. अध्ययन पूर्व में ही आरंभ कर दिया है।

¼iv½ dsu csrok fyad ifj;kstuk ds vrxZr deku {ks= c<+kuk %&

उपरोक्त के अतिरिक्त, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में 3.57 लाख हेक्टेयर से 4.47 लाख हेक्टेयर कल्चरेविल कमान क्षेत्र (सी सी ए) बढ़ाने का अनुरोध किया है।

(v) चरण–I, II तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्र के साथ केन–बेतवा लिंक परियोजना की समेकित डी. पी. आर. तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

माननीय मंत्री (ज. सं., न. वि. व गं. सं.) की बैठकें

वर्ष 2017–18 के दौरान माननीय मंत्री (ज. सं., न. वि. व गं. सं.) ने निम्नानुसार बैठक आयोजित की:

(i) दिनांक 25.09.2017 को उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। दोनों मुख्यमंत्रियों ने केन–बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन पर सहमति व्यक्त की है।

(ii) दिनांक 16.01.2018 को ज. सं., न. वि. व गं. सं., कें.ज.आ., रा.ज.वि.अ., उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश

सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें केन–बेतवा लिंक परियोजना पर चर्चा की गई।

(iii) दिनांक 13.02.2018 को माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के साथ बैठक हुई।

दिनांक 07.02.2018 को केन–बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन (एम. ओ. ए.) का प्रारूप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार को उनकी सहमति के लिए भेज दिया गया है।

(3 एवं 4) दमनगंगा–पिंजल तथा पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजनाएं

दमनगंगा–पिंजल लिंक परियोजना तथा पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना जुड़वां लिंक हैं, जो महाराष्ट्र तथा गुजरात से संबधित हैं। दमनगंगा–पिंजल लिंक परियोजना से महाराष्ट्र को तथा पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना से गुजरात को लाभ मिलेगा। जल बंटवारे के लिए दोनों राज्यों के मध्य समझौता ज्ञापन कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों लिंको की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली हैं। दमनगंगा–पिंजल लिंक को तकनीकी–आर्थिक मंजूरी मिल गई हैं।

रा.ज.वि.अ. ने गुजरात सरकार के विचारों को शामिल करते हुए पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में आशोधन किया है तथा दिनांक 05.05.2017 के पत्र द्वारा गुजरात तथा महाराष्ट्र सरकारों को भेज दिया है। गुजरात सरकार ने पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन करने के लिए दिनांक 04.07.2017 के पत्र द्वारा इसे केन्द्रीय जल आयोग को सौंप दिया है। पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना का तकनीकी आर्थिक–मूल्यांकन लगभग पूरा होने वाला है।

गुजरात सरकार ने पार–तापी–नर्मदा लिंक के ई.आई.ए अध्ययन के लिए बदले हुए क्षेत्र (अतिरिक्त कमान क्षेत्र) सहित संदर्भ की शर्तें वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सौंप दी हैं तथा वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने दिनांक 11.07.2017 को आयोजित बैठक में इस पर विचार किया और अपनी सहमति भी दी।

माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र सरकार ने अपने 20 जुलाई 2017 के पत्र द्वारा चार अंतःराज्यीय लिंकों नामतः पार–नार–गिरना घाटी लिंक, पार–गोदावरी लिंक, दमनगंगा (इकदारे)–गोदावरी लिंक तथा दमनगंगा–वैतरना–गोदावरी (कदवा देव) लिंक को शामिल करने का अनुरोध किया है। पहली दो लिंकों की डी.पी.आर. महाराष्ट्र सरकार तैयार कर रही है तथा अंतिम दो लिंकों की डी.पी.आर. रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार की जा रही है ।

उपरोक्त चार लिंको के साथ–साथ दमनगंगा–पिंजल लिंक तथा पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन का प्रारूप गुजरात तथा महाराष्ट्र सरकारों को उनकी सहमति के लिए सितंबर 2017 में भेज दिया गया है।

पार–तापी–नर्मदा तथा दमनगंगा–पिंजल लिंक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर विचार–विमर्श करने के लिए माननीय केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री ने संबंधित राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ 8 सितंबर 2017 को मुम्बई तथा 25 सितंबर 2017 को दिल्ली में बैठक की ।

दोनों राज्यों की सहमति के लिए माननीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री ने ज. सं., न. वि. व गं. सं., कें.ज.आ., रा.ज.वि.अ., गुजरात तथा महाराष्ट्र सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिनांक 16.01.2018 को एक बैठक की, जिसमें दमनगंगा–पिंजल तथा पार–तापी–नर्मदा लिंक परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।

(5) संकोष–महानदी–गोदावरी लिंक परियोजना (महानदी–गोदावरी घटक)

एन.आई.एच. द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार महानदी बेसिन में बढ़मूल बांध स्थल (मार्च 2017) तक 75% धारणीयता पर समग्र उपलब्धता तथा जल संतुलन क्रमशः 51263 मि क्यू मी तथा 9908 मि क्यू मी आकलित की गई है। एन.आई.एच. द्वारा किए गए जल संतुलन अध्ययनों से ओडिशा सरकार सहमत नहीं है तथा उसने एन.आई.एच. द्वारा किए गए अध्ययन पर कुछ आपत्तियां उठाई हैं, जिनकी जांच रा.ज.वि.अ. कर रहा है।

एम.एस.टी.जी. (हिमालयी घटक) को महानदी–गोदावरी

लिंक (प्रायद्वीपीय घटक) से जोड़ने की भी संभावना तलाशी जा रही है।

(6) कावेरी बेसिन तक गोदावरी जल के पथांतरण का वैकल्पिक प्रस्ताव

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) के प्रायद्वीपीय घटक की आयोजना के अनुसार महानदी तथा गोदावरी नदियों से लगभग 20,796 मि क्यू. मी जल 9 लिंकों के तंत्र नामतः (i) महानदी–गोदावरी लिंक (ii) इंचमपल्ली–नागार्जुनसागर लिंक (iii) इंचमपल्ली–पुलिचिंतला लिंक (iv) पोलावरम–विजयवाड़ा लिंक (आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित) (v) अलमट्टी–पेन्नार लिंक (vi) श्रीसेलम–पेन्नार लिंक (vii) नागार्जुनसागर–सोमासिला लिंक (viii) सोमासिला–ग्रांड अनीकट लिंक तथा (ix) कावेरी–वैगई–गुंडार लिंक द्वारा कृष्णा, पेन्नार और कावेरी बेसिनों में उपयोग करने के लिए अंतरित किया जाएगा।

तथापि महानदी बेसिन में अधिशेष जल पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं होने तथा मणिभद्रा और इंचमपल्ली बांध के क्रियान्वयन नहीं हो पाने के कारण इस प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

इस परिदृश्य में, रा.ज.वि.अ. ने छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से के अप्रयुक्त जल को गोदावरी बेसिन के इंद्रावती उप बेसिन (गोदावरी जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार) से गोदावरी–कावेरी (ग्रांड अनीकट) लिंक द्वारा कावेरी बेसिन में अंतरित करने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया है।

इस प्रस्ताव में लगभग 7000 मि क्यु मी जल अंतरित किया जा सकता है। गोदावरी बेसिन के अधिशेष जल को कावेरी बेसिन में अंतरित करने के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव पर एक तकनीकी संभाव्यता नोट दिनांक 18.12.2017 को तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु राज्यों को परिचालित कर दिया है। दिनांक 17.01.2018 को आयोजित 'नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति' की 14वीं बैठक में समिति ने इस पर विचार किया। इस लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनुबंध ज्ञापन दिनांक 15.02.2018 को पक्षकार राज्यों तथा दिनांक 12.03.2018 को पुड्डुचेरी केन्द्र शासित प्रदेश को परिचालित कर दिया है।

जैसा कि विशेष समिति ने निर्णय लिया तदनुसार, माननीय राज्य मंत्री (ज. सं, न. वि. व गं. सं.) की अध्यक्षता में दिनांक 20.02.2018 को हैदराबाद में आयोजित जल संसाधन पर दक्षिणी राज्यों के क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। यह निर्णय लिया गया कि जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन जल विज्ञानी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग प्रस्ताव के जल विज्ञानी पहलुओं की जांच करेंगे। केन्द्रीय जल आयोग ने प्रस्ताव की जांच की और यह संस्तुति दी कि (i) यदि छत्तीसगढ़ राज्य इंद्रावती के आबंटित कुल 300 टी.एम.सी. जल का स्वयं उपयोग करता है तो 75% धारणीयता पर अंतरण के लिए जल की मात्रा शून्य होगी (ii) छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जल उपयोग करने के बाद, 50% धारणीयता पर केवल 247 टी.एम.सी. जल की उपलब्धता संभव होगी तथा (iii) यदि छत्तीसगढ़ राज्य 300 टी.एम.सी. जल का उपयोग स्वयं नहीं कर पाता है तो उस दशा में रा.ज.वि.अ द्वारा यथा प्रस्तावित 247 टी.एम.सी. जल का अंतरण 75% धारणीयता पर भी संभव होगा।

अध्याय-6

राज्यों द्वारा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंक

6.1 अंतःराज्यीय लिंक

जल संसाधन मंत्रालय ने जून 2005 में बिहार जैसे राज्यों में अंतः राज्यीय लिंकों को अभिज्ञात करने तथा रा.ज.वि.अ. द्वारा पूर्व संभाव्यता एवं संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने का अनुमोदन सूचित किया। 28.06.2006 को आयोजित रा.ज. वि.अ. सोसाइटी की विशेष सामान्य बैठक में अनुमोदन के बाद इसे रा.ज.वि.अ. के कार्यों में जोड़ दिया गया। इसके बाद वर्ष 2011 में अंतः राज्यीय लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भी रा.ज.वि.अ. के कार्यों में जोड़ दिया गया ।

रा.ज.वि.अ. ने सभी राज्यों/संघ राज्यों से अनुरोध किया कि उन अंतःराज्यीय लिंकों के विवरण सूचित किए जाएं, जिनके लिए रा.ज.वि.अ. को आगे अध्ययन करने हैं। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान राज्यों तथा पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दमन व दिउ संघ शासित प्रदेशों से उत्तर प्राप्त हुए। नागालैंड, मेघालय, केरल, पंजाब, दिल्ली राज्यों तथा पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दिउ संघ शासित प्रदेशों ने सूचित किया है कि उनके राज्य/संघ राज्य से संबंधित कोई अंतःराज्यीय लिंक प्रस्ताव नहीं है।

6.1.1 महाराष्ट्र

महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 20 लिंकों में से 17 लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गईं। महाराष्ट्र सरकार ने वेनगंगा (गोसीखुर्द) – गोदावरी (एस आर एस पी) लिंक का प्रस्ताव वापस ले लिया तथा दो लिंक, नामतः खरियागुट्टा–नवाथा–सतपुड़ा फुटहिल और खारीघुट्टी घाट–तापी लिंक भूजल पुनःभरण योजनाएं हैं, जिनका अध्ययन केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किया जाना है, इसलिए रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति ने इनको पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट अध्ययन करने के लिए स्वीकार नहीं किया। वर्ष के दौरान अंतः राज्यीय लिंक वेनगंगा (गोसीखुर्द)–नलगंगा (पूरना– तापी) लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य प्रगति पर रहा । आगे, महाराष्ट्र सरकार ने रा.ज.वि.अ. से दो और अंतः राज्यीय लिंकों नामतः दमनगंगा (इकदारे) – गोदावरी घाटी लिंक परियोजना तथा दमनगंगा– वैतरना – गोदावरी (कदवा देव) लिंक परियोजनाओं की डी.पी.आर. उनकी लागत पर तैयार करने का अनुरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार ने उपरोक्त दोनों लिंकों की डी.पी.आर. तैयार करने का लागत आकलन स्वीकार कर लिया है तथा इसके लिए आवश्यक कार्य आंरभ करने के लिए रा.ज.वि.अ. को सूचित कर दिया है। तद्नुसार इन दो लिंकों की डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है।

6.1.2 गुजरात

गुजरात सरकार ने दमनगंगा–साबरमती–चोरवाड अंतःराज्यीय लिंक की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट प्रारंभ करने का सुझाव दिया। इस लिंक की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई। गुजरात सरकार के अनुरोध के अनुसार लिंक की डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य आरंभ कर दिया गया है।

6.1.3 ओडिशा

ओडिशा सरकार ने 3 अंतःराज्यीय लिंकों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किएं। रा.ज.वि.अ. ने महानदी–ब्रह्माणी अंतःराज्यीय लिंक की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली तथा उसे तकनीकी आर्थिक रूप से संभाव्य नहीं पाया। दो अन्य लिंकों नामतः –(i) महानदी–रूषिकुल्या (बढ़मूल) लिंक परियोजना तथा (ii) वम्सधारा–रूषिकुल्या (नन्दिनीनाला) परियोजना की पूर्व संभाव्यता रिपोर्टें पूरी कर ली गई हैं। परियोजना क्षेत्र में नक्सल समस्या के कारण वम्सधारा–रूषिकुल्या (नन्दिनीनाला) परियोजना की डी.पी.आर. का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

6.1.4 झारखंड

झारखंड सरकार ने तीन अंतःराज्यीय लिंक प्रस्तावों नामतः– (i) बारकर–दामोदर–सुबर्णरेखा (ii) सांख–दक्षिणी कोइल तथा (iii) दक्षिणी कोइल–सुबर्णरेखा लिंकों का सुझाव दिया। सभी तीन लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई हैं। दिनांक 24.02.2011 को आयोजित रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति की 39वीं बैठक में झारखंड

के प्रतिनिधि ने इन लिंकों की डी.पी.आर. शीघ्र ही आरंभ करने की इच्छा व्यक्त की। पश्चिम बंगाल सरकार ने बारकर –दामोदर – सुबर्णरेखा लिंक परियोजना के डी.पी.आर. तैयार करने के संबंध में, अनुप्रवाह में तटीय जल के उपयोग पर कुछ संदेह व्यक्त किया है। इस लिंक पर ओडिशा को कोई आपंत्ति नहीं है। ओडिशा, सांख–दक्षिणी कोइल तथा दक्षिणी कोइल–सुबर्णरेखा लिंकों की डी.पी.आर. तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना चाहता है। इस प्रकार, सभी लिंकों के अंतर्राज्यीय निहितार्थ हैं इसलिए इनकी डी.पी.आर. आरंभ करने से पहले पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा सरकार सह–बेसिन राज्यों के बीच मतैक्यता आवश्यक है।

6.1.5 बिहार

रा.ज.वि.अ. ने बिहार सरकार के अनुरोध पर, 7 अंतःराज्यीय लिंकों नामतः कोसी–मेची लिंक, बूढ़ी गंडक–नून–बाया–गंगा लिंक, कोहरा–चंद्रावत लिंक, बागमती–बूढ़ी गंडक (बेलवाधार होते हुए), बाढ़–नवादा पंप नहर योजना, कोसी (बागमती)–गंगा लिंक तथा कोसी– अधवारा– बागमती लिंक की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली हैं।

रा.ज.वि.अ. ने बूढ़ी गंडक–नून–बाया–गंगा एवं कोसी–मेची अंतःराज्यीय लिंकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें क्रमशः दिसम्बर, 2013 एवं मार्च, 2014 में तैयार कर ली और बिहार सरकार को सौंप दी। केंद्रीय जल आयोग ने बूढ़ी गंडक–नून–बाया–गंगा लिंक परियोजना का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन पूरा कर लिया है । केन्द्रीय जल आयोग ने इस परियोजना को बाढ़ योजना के रूप में स्वीकार करने का सुझाव दिया है तथा रा.ज.वि.अ. ने भी दिनांक 14.03.2017 के पत्र द्वारा बिहार सरकार को इसकी सूचना दे दी है। केन्द्रीय जल आयोग ने कोसी–मेची लिंक का तकनीकी मूल्यांकन पूरा कर लिया है। सचिव (ज. सं., न. वि. व गं. सं.) की अध्यक्षता में दिनांक 08.07.2016 को आयोजित जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं पर सलाहकार समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई तथा इसे तकनीकी–आर्थिक मंजूरी दे दी गई बशर्ते इसे सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त हो जाएं।

बिहार सरकार ने दिनांक 22.09.2014 के पत्र द्वारा एक और अंतःराज्यीय लिंक नामतः सोन नदी को फाल्गु नदी से जोड़ने का प्रस्ताव दिया है । रा.ज.वि.अ. ने सोन नदी को फाल्गु नदी से जोड़ने के लिए पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट का कार्य आरंभ कर दिया है ।

6.1.6 राजस्थान

राजस्थान सरकार ने अंतःराज्यीय लिंकों के दो प्रस्ताव नामतः (i) माही–लूनी लिंक और (ii) वाकल–साबरमती–सेई–पश्चिमी बनास–कमेरी लिंक प्रस्तुत किए। दोनों लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई हैं।

6.1.7 तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार ने कृष्णा गिरी जलाशय के नीचे के पोन्नयार नदी के बाढ़ के बहाव को पोन्नयार–पालार लिंक द्वारा जल की कमी वाले पालार बेसिन में व्यपवर्तन के लिए प्रस्ताव भेजा जिसकी पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट वर्ष 2011–12 में पूरी कर ली गई। तमिलनाडु सरकार ने डी.पी.आर. तैयार करने की सहमति दे दी तथा वर्ष 2017–18 के दौरान रा.ज.वि.अ. ने पोन्नयार–पालार लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली है।

6.1.8 कर्नाटक

कर्नाटक से कुल 6 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनका तकनीकी परीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया, इनमें से 4 प्रस्ताव पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए संभाव्य पाए गए। एक लिंक नामतः बेदती–धरमा और वरदा लिंक की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट 2015–16 के दौरान पूरी कर ली गई। दिनांक 09.11.2016 को आयोजित 'नदी अंतर्योजन पर विशेष समिति' की 11वीं बैठक में कर्नाटक ने दो अंतःराज्यीय लिंकों नामतः (i) भद्रा – वेदावती (वाणी विलास सागर) लिंक (ii) पश्चिमी प्रवाही नदियों के पंथातरण की योजना (बारापोल – ऊपरी कावेरी लिंक) को छोड़ देने का अनुरोध किया।

6.1.9 छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक लिंक नामतः पायरी–महानदी लिंक का प्रस्ताव किया। इस लिंक की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूरी हो चुकी है।

6.2 अंतःराज्यीय लिंकों की डी.पी.आर. तैयार करने की वर्तमान स्थिति

राज्यों द्वारा सुझाए गए अंतःराज्यीय लिंकों की डी.पी.आर. तैयार करने की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

Ø-l-	çyd dk uke	ufn;k	jkT;	Mh-ih-vkj- dh fLFkfr
1	बूढ़ी गंडक – नून – बाया – गंगा लिंक	बूढ़ी गंडक तथा गंगा	बिहार	डी.पी.आर. पूर्ण हो गई तथा बिहार सरकार को सौंप दी गई । केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी मूल्यांकन पूर्ण हो गया। केन्द्रीय जल आयोग ने लिंक योजना को बाढ़ नियंत्रण योजना के रूप में किए जाने की संस्तुति दी है ।
2	कोसी–मेची लिंक	कोसी तथा मेची	बिहार	दिनांक 08.07.2016 को आयोजित बैठक में ज. सं., न. वि. व गं. सं. मंत्रालय की सलाहकार समिति ने तकनीकी आर्थिक मंजूरी दे दी है बशर्ते सभी सांविधिक मंजूरियां सौंप दी जाए।
3	पोन्नयार–पालार लिंक	पोन्नयार और पालार	तमिलनाडु	डी.पी.आर का प्रारूप पूर्ण हो गया है।
4	वेनगंगा (गोसी खुर्द)–नलगंगा (पूर्णा तापी) लिंक	वेनगंगा और पूर्णा तापी	महाराष्ट्र	डी.पी.आर. प्रगति पर है।
5	दमनगंगा (इकदारे)–गोदावरी लिंक	दमनगंगा और गोदावरी	महाराष्ट्र	डी.पी.आर. प्रगति पर है ।
6	दमनगंगा–वैतरना–गोदावरी (कदवा देव) लिंक	दमनगंगा, वैतरना और गोदावरी	महाराष्ट्र	डी.पी.आर. प्रगति पर है ।

6.3 अंतः राज्यीय लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट/ डी.पी.आर. तैयार करने की समग्र स्थिति

रा.ज.वि.अ. ने कुल 47 अंतःराज्यीय लिंकों में से मार्च 2018 तक 36 लिंकों की पूर्व संभाव्यता रिपोर्टें पूरी कर ली हैं। दो लिंकों नामतः बूढ़ी गंडक–नून–बाया–गंगा लिंक तथा कोसी–मेची लिंक परियोजनाओं की डी.पी.आर. पूर्व में ही पूरी कर ली तथा बिहार सरकार को सौंप दी गई। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार अंतःराज्यीय लिंकों की स्थिति परिशिष्ट–। में दी गई है ।

6.4 राज्य सरकार के अंतःराज्यीय नदी लिंक परियोजनाओं की डी.पी.आर. तैयार करने के प्रस्तावों के लिए निधियन उपलब्ध कराना ।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के दिनांक 19 मई 2011 के संकल्प तथा 11 जून 2011 की राजपत्र अधिसूचना के द्वारा अंतःराज्यीय नदी लिंक परियोजनाओं की डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य रा.ज. वि.अ. के कार्यों/अधिदेश में जोड़ दिया गया।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने पत्र संख्या 02/12/2015–बी एम/2217 दिनांक 01. 12.2015 के द्वारा अंतःराज्यीय लिंकों की डी.पी.आर. के निधियन के संबंध में निम्नलिखित निर्णय सूचित किया :

''रा.ज.वि.अ. को सामान्यतः अपने आप को अंतर्राज्यीय नदी तंत्र परियोजना की डी.पी.आर. तक सीमित रखना चाहिए। अंतःराज्यीय नदी तंत्र परियोजनाओं को, यदि किसी राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है तो, केवल सलाहकार कार्यों के रूप में लिया जा सकता है। अंतःराज्यीय नदी जोड़ परियोजनाओं की डी.पी.आर. तैयार करने के लिए भारत सरकार के निधियन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।''

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के उपरोक्त निर्णयों/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए रा.ज.वि.अ. द्वारा भविष्य में तैयार की जाने वाली अंतःराज्यीय लिंकों की डी.पी.आर. की लागत को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

अध्याय–7

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अधीन गतिविधियां

7.1 पी.एम.के.एस.वाई.– ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत नाबार्ड फंडिंग

रा.ज.वि.अ. ने ''प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मॉनीटरिंग और प्रबंधन करने के लिए प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट की स्थापना'' करने के लिए वाप्कोस लिमिटेड के साथ अक्तूबर 2017 में एक अनुबंध समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। वाप्कोस लिमिटेड ने प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट (पी एम यू) की स्थापना की है। पी एम यू को सौंपे गए कार्यों की प्रगति की मॉनीटरिंग करने के लिए मुख्य अभियंता (मु.), रा.ज. वि.अ., नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति (सी एम सी) का गठन दिनांक 03.05.2018 के रा.ज.वि.अ. के पत्र द्वारा किया गया। यह पी एम के एस वाई– ए आई बी पी के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता जारी करने तथा नाबार्ड निधियन के लिए प्रक्रिया की संस्तुति एवं प्रक्रिया करने में रा.ज.वि.अ. की सहायता करेगा।

7.1.1 परियोजना की प्रक्रिया

अगली केंद्रीय सहायता जारी करने की अर्हता के संबंध में पी.एम.यू. थर्ड पार्टी और केंद्रीय जल आयोग की मानीटरिंग रिपोर्ट पर आधारित समेकित नोट तैयार करता है। तत्पश्चात राज्यों का अंश जारी करने के संबंध में नाबार्ड को संस्तुति भी देता है।

7.1.2 राज्यों को निधि जारी करना (केंद्रीय सहायता)

नाबार्ड से प्राप्त निधियन को रा.ज.वि.अ., पास थ्रू विंडो के रूप में कार्य करते हुए, राज्यों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराता है। यह सुनिश्चित किया गया कि नाबार्ड से प्राप्त निधियन, नाबार्ड से प्राप्ति के एक दिन के भीतर परियोजना के लिए जारी हो जाए ताकि निधियन बेकार न पड़ा रहे।

7.1.3 थर्ड पार्टी मॉनीटरिंग

मिशन में प्राप्त संयुक्त प्रस्तावों के आधार पर, थर्ड पार्टी का मॉनीटरिंग दौरा इस प्रकार योजनाबद्ध किया गया कि अगली किस्त जारी होने से पहले रिपोर्ट उपलब्ध हो। केंद्रीय जल आयोग द्वारा किए जाने वाले दौरों को ध्यान में रखते हुए थर्ड पार्टी दौरे रखे गये।

प्राथमिकता प्राप्त पी.एम.के.एस.वाई.–ए.आई.बी.पी. (बड़ी एवं मध्यम सिंचाई) परियोजनाओं तथा उनके कमान क्षेत्र विकास व संरक्षण प्रबंधन कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए तथा उन्हें समयबद्ध रूप से पूरा करने की दृष्टि से, एल.टी.आई. एफ. से संसाधनों को प्राप्त कर, राज्यों को केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए रा.ज.वि.अ. को अभिकरण के रूप में अभिज्ञात किया गया है। इन परियोजनाओं को केंद्रीय अंश के रूप में निधि प्रदान करने के लिए नाबार्ड से निधियन प्राप्त करने हेतु 06 सितम्बर, 2016 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, रा.ज.वि.अ. एवं नाबार्ड के द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

7.1.4 मार्च 2018 तक विभिन्न राज्यों को जारी पी एम के एस वाई निधि का विवरण–

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान नाबार्ड ने एल टी आई एफ–पी एम के एस वाई परियोजना के अंतर्गत 6534.7847 करोड़ रूपए का ऋण रा.ज.वि.अ. को जारी किया जिसे रा. ज.वि.अ. ने 15 राज्यों, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण तथा उत्तरी कोइल जलाशय परियोजना को संवितरित कर दिया। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान रा.ज.वि.अ. ने नाबार्ड को 610.11 करोड़ रूपये ब्याज का भुगतान किया।

मॉनीटरिंग दौरों एवं एम आई एस में सूचनाओं को अद्यतित करने के लिए रा.ज.वि.अ. के अधीन पी एम यू केन्द्रीय जल आयोग के साथ समन्वयन से कार्य कर रहा है। एम आई एस प्रणाली को अद्यतन करने/ परियोजना विशेष की सूचनाओं के लिए पी एम यू प्रत्येक परियोजना के नोडल अधिकारी से सीधे तौर पर या केन्द्रीय जल आयोग के माध्यम से समन्वय कर रहा है।

31.03.2018 तक विभिन्न राज्यों को आबंटित पी एम के एस वाई निधि का विवरण :

¼djksM+ :i;s esa½

Ø-l-	fofHkUu jkT;ksa dks fufèk;u dk vkcaVu	31-03-2017 rd tkjh fufèk;u	o"kZ 2017&18 ds nkSjku tkjh fufèk;u	31-03-2018 rd tkjh dqy fufèk;u
1	आंध्र प्रदेश	7.4000	15.2300	22.6300
2	बिहार	12.6433	55.0800	67.7233
3	छत्तीसगढ़	13.2900	29.0300	42.3200
4	गुजरात	1476.8577	2100.9610	3577.8187
5	जम्मू और कश्मीर	0.0000	9.5722	9.5722
6	झारखंड	145.7500	305.1000	450.8500
7	कर्नाटक	88.2970	474.7600	563.0570
8	मध्य प्रदेश	285.4140	284.0510	569.4650
9	महाराष्ट्र	207.8520	395.8478	603.6998
10	मणिपुर	126.9940	25.4200	152.4140
11	ओडिशा	493.0120	523.2757	1016.2877
12	पंजाब	52.4160	0.0000	52.4160
13	राजस्थान	45.8900	219.3450	265.2350
14	तेलंगाना	245.4320	23.4620	268.8940
15	उत्तर प्रदेश	135.6320	65.6000	201.2320
16	पोलावरम परियोजना	2414.1600	2000.0000	4414.1600
17	उत्तरी कोइल परियोजना	0.0000	8.0500	8.0500
	ldy dqy	**5751.0400**	**6534.7847**	**12285.8247**

अध्याय-8

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की वैबसाइट

30 सितम्बर, 2005 को रा.ज.वि.अ. ने अपनी वैबसाइट http//www.nwda.gov.in प्रारंभ की। वैबसाइट द्विभाषी बनायी गयी है। प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 14 वैब फ्रैंडली संभाव्यता रिपोर्टों को मूल रूप में वैबसाइट पर उपलब्ध कर दिया गया है।

रा.ज.वि.अ. वैबसाइट को और अधिक प्रभावशाली तथा आकर्षक बनाने के लिए एन आई सी की सहायता से वैबसाइट को पुनः डिजाइन किया गया है तथा नई पुनः डिजाइन की हुई वैब साइट को अक्तूबर, 2017 में प्रारंभ किया।

नई वैबसाइट के मुख्य लिंक हैं– नया क्या है, हमारे बारे में, संगठन, रा.ज.वि.अ. द्वारा अध्ययन, सूचना का अधिकार अधिनियम, रिक्ति/परिपत्र, टेंडर, ई– गवर्नेंस, पी. एम.के.एस.वाई./ए.आइ.बी.पी., हमसे संपर्क करें, नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति, भारत जल सप्ताह, नागरिक चार्टर, नदियों के अंतर्योजन से संबंधित मामले, प्रकाशन, शिकायतों का निवारण, सतर्कता संबंधित मामले, न्यायालय संबंधित मामले, राजभाषा हिन्दी का प्रयोग, मीडिया में जल संसाधन, संसद में नदी जोड़, बैठकें, शब्दावली, संबंधित लिंक, फ्रीक्यून्ट प्रश्न नदी जोड़ पर विचार, विचार–विमर्श फोरम। उपरोक्त लिंकों को समयबद्ध तरीके से अद्यतित किया जाता है।

अध्याय–9

रा.ज.वि.अ. की अन्य गतिविधियां

9.1 प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास गतिविधियां

रा.ज.वि.अ. में प्रशिक्षण एवं ज्ञान के आदान–प्रदान को विशेष महत्व दिया जाता है। वर्ष 2017–18 के दौरान मानव संसाधन विकास के एक भाग के रूप में जल संसाधन इंजीनियरिंग क्षेत्र में नवीनतम तकनीक की जानकारी कम्प्यूटर प्रचालन, लेखा प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में ज्ञान बढ़ाने हेतु, विभिन्न संगठनों/ अभिकरणों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सेमिनारों में भाग लेने के लिए, रा.ज.वि.अ. के अधिकारियों को भेजा गया। रा.ज.वि.अ. अधिकारियों ने जिन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लिया उनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट–II में दर्शाया गया है। सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि का विस्तृत विवरण, जिन में रा.ज.वि.अ. अधिकारियों ने भाग लिया, को परिशिष्ट–III में दर्शाया गया है।

9.2 विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिनियम का कार्यान्वयन

रा.ज.वि.अ. में विकलांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर, सुरक्षा का अधिकार तथा भागीदारी) अधिनियम 1995 के कार्यान्वयन का विवरण निम्नलिखित है:

1. भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का क्रियान्वयन किया गया ।
2. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों कनिष्ठ अभियंता, आशुलिपिक–श्रेणी–।।, प्रारूपकार श्रेणी–।।।, हिन्दी अनुवादक, अवर श्रेणी लिपिक एवं एम.टी.एस. पदों के लिए ऐसे व्यक्तियों को आरक्षण दिया गया है। सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों तथा मार्गदर्शकों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को, वर्ग एम.टी.एस. से वर्ग ''ग'' तथा वर्ग ''ग'' के भीतर जहां कहीं लागू हो, पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जाता है ।

9.3 रा.ज.वि.अ. का नागरिक चार्टर

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, (प्र. सु. एवं शि. वि.) तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शकों के अनुरूप रा.ज.वि.अ. ने, इस उद्देश्य के लिए गठित कार्यबल द्वारा तैयार किये गए चार्टर के अनुसार, नागरिक चार्टर का मसौदा तैयार किया है। रा.ज.वि.अ. के नागरिक चार्टर में रा.ज.वि.अ. की प्रस्तावना, स्थापना, संगठनात्मक ढ़ांचा, गतिविधियां, शिकायतों के निवारण हेतु क्रियाविधि, भागीदारी आदि शामिल हैं। नागरिक चार्टर के लिए मुख्य अभियंता (मु.) को जन शिकायत अधिकारी तथा निदेशक (तक.) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। अंतिम चार्टर संपादन प्रबंधन प्रभाग, मंत्रिमंडलीय सचिवालय तथा संसद भवन के पुस्तकालय को भेज दिया गया है तथा रा.ज.वि.अ. की वैबसाइट पर भी इसे स्थापित किया गया है। इसके कार्यबल की संघटना निम्नानुसार है:

1.	मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ.	vè;{k
2.	निदेशक (एम.ड़ी.यू.), रा.ज.वि.अ.	l nL;
3.	निदेशक (प्रशासन), रा.ज.वि.अ.	l nL;
4.	मुख्य अनुसंधान अधिकारी, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	l nL;
5.	निदेशक (तकनीकी समन्वय), केन्द्रीय जल आयोग	l nL;
6.	निदेशक (तक), राजविअ	l nL;& l fpo@ukMy vf/kdkjh

9.4 महिला कर्मचारियों के यौन शोषण की शिकायतों के लिए समिति

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा महिला कर्मचारियों के यौन शोषण को रोकने के लिए दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार रा.ज.वि.अ. में कार्यरत महिला कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने के लिए एक समिति कार्य कर रही है । समिति की संघटना निम्नानुसार है:

1.	श्रीमती जानसी विजयन	–अध्यक्ष	निदेशक (एम.ड़ी.यू.)
2.	श्री राकेश कुमार गुप्ता	–सदस्य	कार्यपालक अभियंता (मुख्यालय)

3. डॉ. (श्रीमती) आर. मलीथा	–सदस्य	प्रतिनिधि, नारी रक्षा समिति, एन.जी.ओ., 2, राज निवास मार्ग, सिविल लाईन्स, दिल्ली–56
4. श्रीमती जसविंदर कौर	–सदस्य	सहायक अभियंता

समिति अपनी जांच को आवश्यक कार्यवाही के लिए महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. को सौंपती है। समिति को वर्ष 2017–18 में रा.ज.वि.अ. की किसी महिला कर्मचारी से कोई शिकायत नहीं मिली है ।

9.5 साम्प्रदायिक सदभावना सप्ताह तथा कौमी एकता सप्ताह

रा.ज.वि.अ. में साम्प्रदायिक सद्भावना की भावना का उत्थान करने के लिए 19 से 25 नवम्बर, 2017 तक साम्प्रदायिक सदभावना सप्ताह एवं कौमी एकता सप्ताह एक साथ मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान रा.ज.वि.अ. के सभी कर्मचारियों को ''राष्ट्रीय अखंडता की शपथ'' दिलाई गई। कार्यालय परिसर में जगह–जगह द्विभाषी पोस्टर लगाये गये।

9.6 आंतरिक पत्रिका ''जल विकास'' का प्रकाशन

रा.ज.वि.अ. की उपलब्धियों तथा गतिविधियों की सूचनाओं को प्रसारित करने के उद्देश्य से रा.ज.वि.अ. अक्तूबर, 1991 से त्रैमासिक आंतरिक पत्रिका ''जल विकास'' का प्रकाशन कर रहा है। यह पत्रिका देश में जल संसाधनों से संबंधित मुद्दों पर नवीनतम सूचनाओं, देश में जल संसाधनों के विकास के मुद्दे पर संसद में होने वाली चर्चाओं, रा.ज.वि.अ. में होने वाली गतिविधियों की झलकियों और बहु आयामी क्षेत्रो पर लेखों, जल विज्ञान, भूजल, सिंचित कृषि, सतही जल विकास संबंधी मुद्दों तथा कार्यक्रमों जैसे प्रासंगिक पहलुओं को प्रमुखता से प्रकाशित करने पर बल देती है।

यह पत्रिका देश के विभिन्न केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों के जल संसाधन अभियंताओं तथा वैज्ञानिकों एवं अन्य/ संबंधित संस्थाओं को भेजी जाती है। प्रति वर्ष, पत्रिका का अक्तूबर अंक केवल हिन्दी में ''राजभाषा विशेषांक'' के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

9.7 जल मंथन –4

28–29 जुलाई 2017 को दो दिवसीय सम्मेलन "जल मंथन –4'' का आयोजन विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया। पहले दिन, पी. एम. के. एस. वाई. तथा इसके क्रियान्वयन, ए. आई. बी. पी. तथा सी. ए. डी. के अंतर्गत राज्यों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा, भूजल प्रबंधन, जल सुरक्षा पर परामर्श और विचार–विमर्श किया गया। दूसरे दिन का विचार–विमर्श नदियों के अंतर्योजन पर केंद्रित रहा। सुश्री उमा भारती, माननीय केन्द्रीय ज. सं., न. वि. व गं. सं. मंत्री ने दूसरे दिन एक चिंतन बैठक भी की।

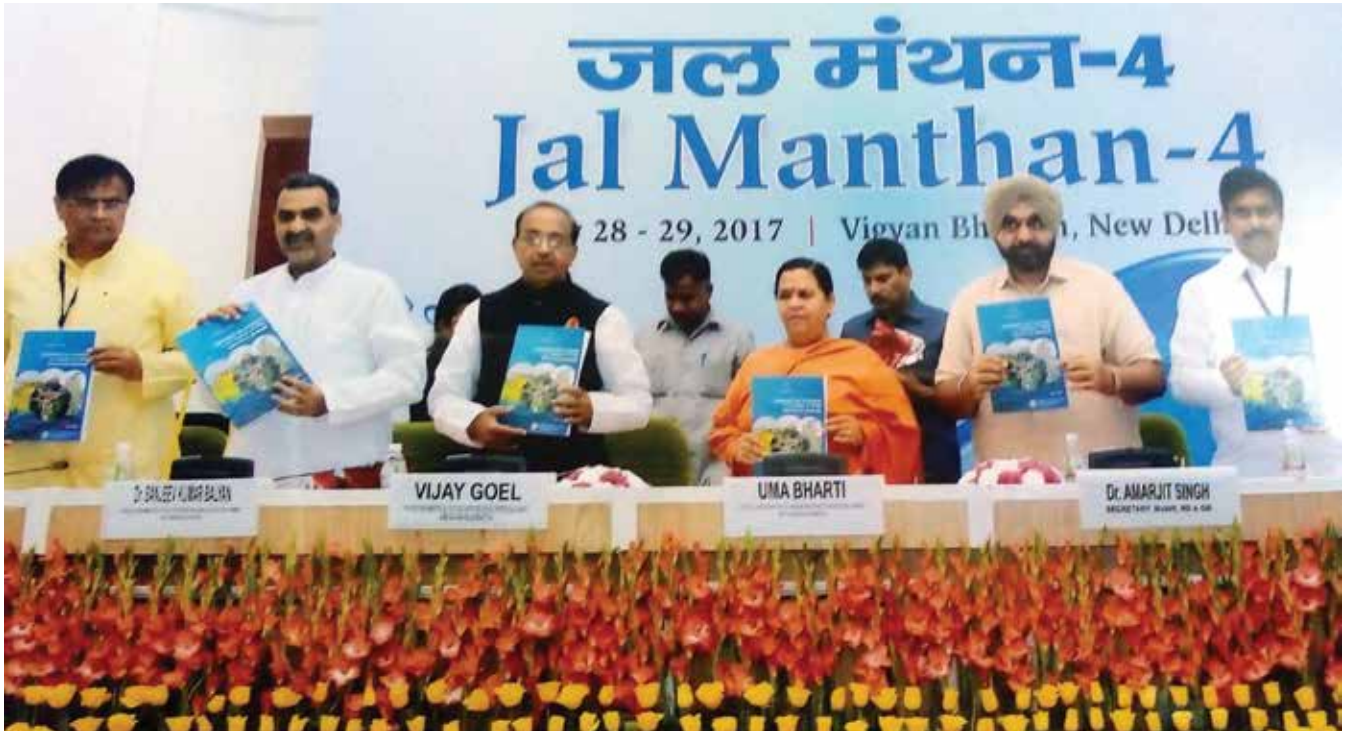

{सुश्री उमा भारती, माननीय मंत्री (ज. सं., न. वि. व गं. सं.) उनकी बायीं ओर हैं डॉ. अमरजीत सिंह, सचिव (ज. सं., न. वि. व गं. सं.); श्री डी. उमा महेश्वर राव, माननीय मंत्री (ज.सं.), आंध्र प्रदेश सरकार उनके दायीं ओर हैं श्री विजय गोयल, माननीय राज्य मंत्री (ज. सं., न. वि. व गं. सं); श्री संजीव बालियान, माननीय राज्य मंत्री (ज. सं., न. वि. व गं. सं.)}

{सुश्री उमा भारती, माननीय मंत्री (ज. सं., न. वि. व गं. सं.) उनकी बायीं ओर हैं ड़ॉ अमरजीत सिंह, सचिव (ज. सं., न. वि. व गं. सं.) श्री डी. उमा माहेश्वर राव, माननीय मंत्री (ज.सं.), आंध्र प्रदेश सरकार उनके दांयी ओर है श्री विजय गोयल, माननीय राज्य मंत्री (ज. सं., न. वि. व गं. सं.); श्री संजीव बालियान, माननीय राज्य मंत्री, (ज. सं., न. वि. व गं. सं.)}

9.8 "जल संसाधनों के संपोषणीय विकास तथा प्रबंधन" पर जल विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोर समूह, आई.ओ.आर.ए. की तीसरी कार्यशाला

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की ओर से रा.ज.वि.अ. ने भारतीय समुद्री रिम संगठन (आई. ओ. आर. ए.) जल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय कोर समूह की "जल संसाधनों के संपोषणीय विकास तथा प्रबंधन" पर तीसरी कार्यशाला 5 सितंबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित की। कार्यशाला में डॉ. अमरजीत सिंह, सचिव, ज. सं., न. वि. व गं. सं. मं.; माननीय के.वी. भगीरथ, महासचिव, आई.ओ.आर.ए. सचिवालय; डॉ. मसिबी, समूह कार्यकारी, नई खोज एवं प्रभाव, जल अनुसंधान आयोग; प्रोफेसर वी.एन. अत्री, अध्यक्ष, भारतीय समुद्री अध्ययन; डा. सफीक अदम्सश – डब्यू) ज. आर.सी. दक्षिणी अफ्रीका; श्री ए.बी.पंड्या, पूर्व अध्यक्ष, कें.ज.आ., भारत सरकार; श्री ग्राहम एंड्रर्सन, निदेशक, आई.ओ.आर.ए. सचिवालय; श्री एन. गोपालाकृष्णन, पूर्व महासचिव, आई. सी. आई. डी. तथा ज. सं., न. वि. व गं. सं. मं., विदेश मंत्रालय, नीति आयोग, कें. ज. आ., सी. जी. डब्यु. बी., आई. सी. आई. डी., एन. आई. एच., आई. आई. टी. दिल्ली और रा.ज.वि.अ. के अन्य उच्च पदाधिकारी आदि सहित 53 प्रतिनिधियों और आमंत्रितों ने भाग लिया।

{आई.ओ.आर.ए. की "जल संसाधनों के संपोषणीय विकास तथा प्रबंधन" पर तीसरी कार्यशाला के उद्घाटन समारोह के दौरान दायीं से बायीं ओर – श्री संजय पंडा, संयुक्त सचिव (आई ओ आर) विदेश मंत्रालय; माननीय के. वी. भगीरथ, महासचिव, आई ओ आर ए सचिवालय; डॉ. मंडेलनकोसी इनोसेंट मसिबी, समूह कार्यकारी, नई खोज एवं प्रभाव, जल अनुसंधान आयोग तथा श्री ए. बी. पंड़या, पूर्व अध्यक्ष, कें.ज.आ., भारत सरकार}

9.9 भारत जल सप्ताह – 2017

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय वर्ष 2012 से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी भारत जल सप्ताह (भा.ज.स.) का आयोजन कर रहा है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने भारत जल सप्ताह के आयोजन का दायित्व रा.ज.वि.अ. को सौंपा है ।

भारत जल सप्ताह 2017 का आयोजन 10–14 अक्तूबर, 2017 तक नई दिल्ली में किया गया जिसका विषय ''समावेशी विकास के लिए जल एंव ऊर्जा'' था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी शामिल थी । भारत जल सप्ताह 2017 के आयोजन में यूरोपीय संघ विदेशी भागीदार था तथा नीदरलैंड विदेशी प्रयोजक के रूप में सम्मिलित हुआ। 10 अक्तूबर, 2017 को आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि भारत के महामहिम राष्ट्रपति थे । जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन से संबंधित सभी बड़े विषयों को इस सम्मेलन में शामिल किया गया और इस प्रकार भारत सरकार के स्वप्न –'जल एवं ऊर्जा' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक रणनीति बनाने हेतु जल संसाधन बिरादरी को उचित मंच उपलब्ध कराया गया। जल की कमी तथा ऊर्जा के मुद्दे पर चर्चा हुई तथा इसे सम्मेलन के प्रासंगिक सत्र में शामिल किया गया।

पूरा कार्यक्रम रा.ज.वि.अ. ने केंद्रीय जल आयोग तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अन्य संगठनों के सहयोग से आयोजित किया। देश–विदेश से लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया ।

{भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद पांचवें भारत जल सप्ताह 2017 का उद्घाटन करते हुए}

{श्री नितिन जयराम गडकरी, माननीय (ज. सं., न. वि. व गं. सं. मंत्री) 5वें भारत जल सप्ताह–2017 की प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए}

{श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय राज्य मंत्री (ज. सं., न. वि. व गं. सं.) 5वें भारत जल सप्ताह–2017 के विदाई समारोह के दौरान}

5वें भारत जल सप्ताह- 2017 की झलकियां

9.10 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आई.आई. टी.एफ) 2017 में भागीदारी

14–27 नवम्बर, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2017 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने नदियों के अंतर्योजन से संबंधित मुद्दों का जोरदार प्रदर्शन करते हुए भाग लिया। मेले के दौरान जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के मंडप में रा.ज.वि.अ. के स्टॉल पर अंतर–बेसिन जल अंतरण प्रस्तावों की विस्तृत प्रदर्शनी की गई। रा.ज.वि.अ. के स्टॉल पर पधारे दर्शकों को रा.ज.वि.अ. द्वारा अध्ययन किए जा रहे अंतर–बेसिन जल अंतरण लिंकों के बारे में जानकारी दी गई।

9.11 बड़े व्यास वाले पाइपों के प्रयोग पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

9 मार्च 2018 को नई दिल्ली में वाप्कोस तथा रा.ज.वि.अ. ने संयुक्त रूप से जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय के तत्वाधान में ''वृहत जल परिवहन प्रणाली के लिए बड़े व्यास वाले पाइप लाइनों के प्रयोग'' पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। श्री नितिन जयराम गडकरी, माननीय मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी तथा जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे। श्री अर्जुन राम मेघवाल, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय; डॉ. सत्यपाल सिंह, माननीय राज्य मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार इस आयोजन के विशिष्ट अतिथि थे।

9.12 कमान क्षेत्र विकास पर सम्मेलन

कें.ज.आ.,रा.ज.वि.अ. तथा वाप्कोस ने 13.03.2018 को सी. एस. एम. आर. एस., नई दिल्ली में कमान क्षेत्र विकास (सी. ए. डी.) पर संयुक्त रूप से एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई ए आर आई), अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई एवं जल निकासी आयोग (आई सी आई डी) तथा भागीदारी सिंचाई प्रबंधन पर भारतीय नेटवर्क (आई एन पी आई एम) ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। माननीय मंत्री (ज. सं., न. वि. व गं. सं.) ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सम्मेलन में सचिव (ज. सं., न. वि. व गं. सं.); अध्यक्ष, कें. ज. आ; ज. सं., न. वि. व गं. सं. के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं जल संसाधन से जुड़े हुए अन्य संगठन उपस्थित थे।

{श्री नितिन जयराम गडकरी, माननीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालयभारत सरकार पर एक दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुये}

9.13 स्वच्छ भारत अभियान

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े स्वच्छता अभियान क्लीन इंडिया मिशन (स्वच्छ भारत अभियान) का आधिकारिक शुभारंभ 2 अक्तूबर, 2014 को राजघाट नई दिल्ली में किया था। तब से, विभिन्न मंत्रालयों के नेतृत्व में पूरे वर्ष ''स्वच्छता पखवाड़ा'' के रूप में जागरूकता कार्यक्रम निरंतर चलाया जा रहा है। इस मिशन का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच करने से मुक्त कराना है। स्वच्छता पखवाड़ा कैलेंडर 2018 के अनुसार जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा उससे संबद्ध सभी कार्यालयों, अधीनस्थ संगठनों तथा पी एस यू ने 16–31 मार्च 2018 के दौरान स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया। मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, रा.ज.वि.अ. मुख्यालय के साथ उसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 16.03.2018 से 31.03.2018 तक बड़े गर्व के साथ सफलतापूर्वक स्वछता पखवाड़ा आयोजित किया गया । इसके दौरान निम्नानुसार गतिविधियां आयोजित की गईं :

1 रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली के अधिकारियों ने दिनांक 27.03.2018 को पुराना यमुना पुल के आस–पास के क्षेत्र में स्व्च्छता अभियान में भाग लिया।

2 ग्वालियर, वलसाड तथा चेन्नै स्थित रा.ज.वि.अ. के कार्यालयों ने स्थानीय जल निकायों की सफाई का कार्य किया।

3 ग्वालियर और नासिक स्थित रा.ज.वि.अ. के कार्यालयों ने पौधरोपण किया।

4 स्वच्छता जागरूकता पर दिनांक 26.03.2018 को नई दिल्ली में दो घंटे की कार्यशाला का आयोजन किया गया।

5 कार्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों की सफाई, सेनेटरी उपस्करों की मरम्मत पर विशेष जोर देते हुए शौचालयों की सफाई की गई, पुरानी फाइलों का निपटान तथा मरम्मत योग्य औज़ार एवं संयंत्र सामग्री का निपटान किया गया।

6 रा.ज.वि.अ. मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वच्छता के महत्व के संदेश के साथ स्वच्छता संदेश रैलियां निकाली गई।

रा.ज.वि.अ. अधिकारीयों द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान की झलकियां

अध्याय – 10

रा.ज.वि.अ. में सतर्कता गतिविधियां

10.1 सतर्कता एवं अनुशासनात्मक मामले

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी. वी. सी.) द्वारा समय–समय पर जारी सभी निर्देशों का पालन कर रहा है। मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी. वी. ओ.) रा.ज.वि.अ. के कर्मचारियों के सभी सतर्कता मामलों के हल करने के लिए उत्तरदायी हैं। श्री के.पी. गुप्ता, निदेशक (तकनीकी), रा.ज.वि.अ. के अंशकालिक तौर पर मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं ।

वर्ष 2017–18 के दौरान, सी सी एस (सी. सी. ए.) नियमों के नियम 14 के अंतर्गत एक समूह 'ख' अधिकारी पर बड़ी दण्ड प्रक्रिया के तहत आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया है। एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसका निस्तारण कर दिया गया है।

उपरोक्त मामलों पर सभी मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रिपोर्टें समय–समय पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय/केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजी जाती हैं ।

वर्ष 2017–18 के दौरान तीन (i) कार्यालय अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता, अन्वेषण वृत्त/अन्वेषण प्रभाग, वलसाड, (ii) कार्यपालक अभियंता, अन्वेषण प्रभाग, कोलकाता तथा (iii) अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, अन्वेषण वृत्त/ प्रभाग, भुवनेष्वर का सतर्कता संबंधी निरीक्षण किया गया।

10.2 कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन

मुख्य अभियंता (द.), हैदराबाद के अधीन बंगलूरू स्थित कार्यालय में रा.ज.वि.अ. की सतर्कता यूनिट ने दिनांक 10 एवं 11 नवंबर 2017 को ''सतर्कता प्रशासन'' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। मुख्य अभियंता (द), हैदराबाद ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला में रा.ज.वि.अ. के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से लगभग 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान मुख्य सतर्कता अधिकारी, रा.ज.वि.अ., व्याख्यातागण तथा रा.ज.वि.अ. के अन्य उच्च अधिकारियों ने अपने वक्तव्य दिए। कार्यशाला में सतर्कता संबंधी विभिन्न विषय यथा अनुशासनात्मक/सतर्कता मामले, शिकायतों पर कार्यवाही, आचरण नियमावली, निलंबन, आरोप पत्र तैयार करना, दण्ड, छानबीन रिपोर्ट, अपील एवं समीक्षा आदि को शामिल किया गया था। अधिकतर अधिकारियों ने सतर्कता मामलों की कार्यवाही में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों पर विचार–विमर्श किया। यहां तक कि दोपहर के भोजन के दौरान भी प्रतिभागी व्याख्याताओं से विचार–विमर्श करते दिखे। मुख्य अभियंता (मु.) एवं पूर्व मु.स.अ., रा.ज.वि.अ. ने समापन समारोह की अध्यक्षता की।

{10–11 नवंबर 2017 को बंगलूरू में आयोजित ''सतर्कता प्रशासन'' पर कार्यशाला के दौरान श्री एम. के. श्रीनिवास, मु. अ. (द.); श्री के.पी. गुप्ता, निदेशक (तक.) व मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा श्री नरेंद्र कुमार, निदेशक (प्रशा.)}

{श्री के. पी. गुप्ता, निदेशक (तक.) व मुख्य सतर्कता अधिकारी 10–11 नवंबर 2017 को बंगलूरू में आयोजित सतर्कता प्रशासन पर कार्यशाला के दौरान}

{"सतर्कता प्रशासन–2017" पर आयोजित कार्यशाला के दौरान व्याख्याता तथा प्रतिभागियों का समूह फोटो}

10.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

दिनांक 30.10.2017 से 04.11.2017 तक रा.ज.वि.अ. के सभी कार्यालयों द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया । महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने दिनांक 30.10.2017 को रा.ज.वि.अ. (मुख्यालय) में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस संबंध में शपथ दिलाई। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार, रा.ज.वि.अ. मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य स्थानों पर भ्रष्टाचार के विरूद्ध बैनर तथा पोस्टर लगाए गए। श्री के. पी. गुप्ता, निदेशक (तक.) व मुख्य सतर्कता अधिकारी, रा.ज.वि.अ. ने "मेरा सपना – भ्रष्टाचार मुक्त भारत" विषय पर कर्मचारियों/अधिकारियों के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए । दिनांक 29.01.2018 के पत्र द्वारा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली को अनुपालना रिपोर्ट भेज दी गई है ।

अध्याय-11

राजभाषा (हिन्दी) का प्रगामी प्रयोग

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) राजभाषा (हिन्दी) के प्रगामी प्रयोग में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है तथा रा.ज.वि.अ. राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके नियमों के प्रावधानों का वास्तविक क्रियान्वयन करने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें रा.ज.वि.अ. मुख्यालय, नई दिल्ली एवं इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. तथा कार्यालय प्रमुखों की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों में किए गए विचार–विमर्शों तथा समीक्षाओं में यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि हिन्दी का कार्यालयीन प्रयोग और हिन्दी पत्राचार दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है। राजभाषा अधिकारी तथा सहायक निदेशक (राजभाषा) ने जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लिया तथा इन बैठकों में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। वर्ष 2017–18 के दौरान राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए ।

वर्ष 2017–18 में मुख्य अभियंता (मुख्यालय), निदेशक (तकनीकी) एवं राजभाषा अधिकारी तथा सहायक निदेशक (राजभाषा) ने राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी 07 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया ।

रा.ज.वि.अ. के तकनीकी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए, हिन्दी में एक तकनीकी संगोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन 20–21 अप्रैल, 2017 के दौरान वडोदरा में किया गया । संगोष्ठी का विषय ''नदी जोड़ परियोजना – सतत विकास के लिए जल आवश्यकताओं की पूर्ति'' था। रा.ज. वि.अ. तथा अन्य संगठनों के अभियंताओं ने 27 तकनीकी लेख प्रस्तुत किए, जिन्हें स्मारिका में प्रकाशित किया गया । श्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि थे तथा श्री के.बी. रबाड़िया, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार, श्री एन.के. भंडारी, पूर्व अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग एवं सलाहकार गुजरात सरकार ने तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की । सरदार सरोवर बांध के लिए एक दिवसीय अध्ययन दौरा भी किया ।

{श्री एन.सी.जैन, मुख्य अभियंता (उत्तर), रा.ज.वि.अ., श्री एम.के. श्रीनिवास, मुख्य अभियंता (दक्षिण), रा.ज.वि.अ., श्री के.बी. रबाड़िया, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार, श्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, श्री एस.के. जैन, महानिदेशक, रा.ज. वि.अ.; श्री आर.के. जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ. तथा श्री के.पी. गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) एवं राजभाषा अधिकारी, रा.ज.वि.अ.}

राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की अनुपालना हेतु रा.ज.वि.अ. मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में 01 सितम्बर से 15 सितम्बर, 2017 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने पखवाड़े के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु अपील जारी की। महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे राजभाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें तथा कार्यों को मूल रूप से हिन्दी में करें और यह भी कहा कि राजभाषा का प्रयोग मात्र पखवाड़े के दौरान ही नहीं वरन इसे अपने कार्यों में निरंतर प्रयोग में लाना चाहिए। पखवाड़े के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

{हिन्दी पखवाड़ा–2017 के उद्घाटन समारोह के दौरान श्री आर.के. जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ.; श्री के.पी. गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) और राज भाषा अधिकारी, रा.ज.वि.अ. एवं श्री नरेन्द्र कुमार, निदेशक (प्रशासन), रा.ज.वि.अ.}

{हिन्दी पखवाड़ा–2017 के दौरान श्री आर. के. जैन, मुख्य अभियंता(मुख्यालय) द्वारा प्रतिभगियों को प्रमाणपत्र का वितरण}

रा.ज.वि.अ. के मुख्य अभियंता (उत्तर) व (दक्षिण) कार्यालयों तथा सभी क्षेत्रीय सर्किल/प्रभाग कार्यालयों में भी 01 से 15 सितम्बर 2017 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान महानिदेशक महोदय, रा.ज.वि.अ. द्वारा जारी अपील का वाचन किया गया। दोनों मुख्य अभियंताओं और सभी कार्यालयों के प्रमुखों ने अपने–अपने कार्यालयों में पखवाड़े में विभिन्न कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं का आयोजन किया तथा विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कातर वितरित किए।

मुख्य अभियंता (दक्षिण) कार्यालय में हिन्दी पखवाड़ा

मुख्य अभियंता (उत्तर) कार्यालय में हिन्दी पखवाड़े का समापन समारोह

अध्याय–12

वित्त एवं लेखा

12.1 राज्यों को केंद्रीय सहायता – पी.एम.के.एस. वाई. योजना के अंतर्गत दीर्घ अवधि सिंचाई निधियन (एल.टी.आई.एफ.)

पी.एम.के.एस.वाई. योजना के अंतर्गत अभिज्ञात परियोजनाओं को एक निश्चित समय–सीमा में पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता के रूप में निधियन जारी करने के लिए एल.टी.आई.एफ. से संसाधन उधार लेने के लिए केंद्र सरकार ने रा.ज.वि.अ. को एक एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए अभिज्ञात किया है। इन परियोजनाओं को केंद्रीय अंश जारी करने के लिए नाबार्ड से ऋण लेने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, रा.ज.वि.अ. तथा नाबार्ड के मध्य 6 सितम्बर, 2016 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, नाबार्ड ने एल. टी. आई. एफ.–पी. एम. के. एस. वाई. योजना के अंतर्गत 6534.7827 करोड़ रूपए का ऋण जारी किया, जिसे रा.ज.वि.अ. ने 15 राज्यों, पोलावरम परियोजना प्राधिकरण तथा उत्तरी कोईल जलाशय परियोजना को आबंटित कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान रा.ज.वि.अ. ने नाबार्ड को 610.11 करोड़ रूपये ब्याज का भुगतान किया है।

12.2 वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान रा.ज.वि.अ. को अनुदान सहायिकी तथा वास्तविक व्यय

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए रा.ज.वि.अ. की आयोजना योजना के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार ने 75.23 करोड़ रूपये अनुदान सहायिकी आबंटित की जिसमें से रा.ज.वि.अ. ने 74.26 करोड़ रूपये का वास्तविक व्यय किया है ।

12.3 वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए रा.ज.वि.अ. के लेखों की लेखा परीक्षा

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को वर्ष 2014–15 से 5 वर्षों की अवधि के लिए अभिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा करने का दायित्व सौंपा गया। प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा, वैज्ञानिक विभाग ने रा.ज.वि.अ. के वर्ष 2017–18 के लेखों की लेखा परीक्षा की।

वर्ष 2017–18 के लिए अभिकरण के लेखों का लेखापरीक्षा प्रमाण–पत्र, लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ–साथ रा.ज.वि.अ. के पैरा वार उत्तर एवं अभिकरण के लेखों का लेखापरीक्षित विवरण परिशिष्ट – IV पर दिए गए हैं।

अध्याय–13

आभारोक्ति

सुश्री उमा भारती, माननीय केन्द्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय; श्री नितिन गडकरी, माननीय केन्द्रीय मंत्री, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा रा.ज.वि.अ. सोसाइटी के अध्यक्ष; डॉ. संजीव कुमार बालियान, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री विजय गोयल एवं श्री सत्यपाल सिंह, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री तथा रा.ज.वि.अ. सोसाइटी के उपाध्यक्ष; डॉ अमर जीत सिंह एवं श्री यू पी सिंह, सचिव (ज. सं., न. वि. व. गं. सं. मंत्रालय) तथा रा.ज.वि.अ. शासी निकाय के अध्यक्ष; श्री नरेन्द्र कुमार एवं श्री एस. मसूद हुसैन, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग एवं रा.ज.वि.अ. की तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष तथा मतैक्यता समूह के अध्यक्ष तथा रा.ज.वि.अ. सोसाइटी के सभी सदस्य, नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति तथा इसकी उप समितियों, नदियों के अंतर्योजन पर कार्यबल, शासी निकाय, तकनीकी सलाहकार समिति आदि के योग्य निर्देशन एवं मार्गदर्शन में वर्ष 2017–18 के दौरान रा.ज.वि.अ. ने अपनी विभिन्न गतिविधियों में अच्छी प्रगति की है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के सचिवों, प्रमुख अभियंताओं तथा मुख्य अभियंताओं एवं अन्य अधिकारियों से प्राप्त उनके अपूर्व सहयोग के प्रति भी आभार प्रकट करता है। रा.ज.वि.अ. के यथायोजित उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय भू–सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला, एन. आर. एस. सी. तथा बी. आई. एस. ए. जी. आदि के अधिकारियों से प्राप्त अभूतपूर्व सहयोग के लिए अभिकरण उनका भी आभार मानता है।

ifjf'k"V&A

vr%jkT;h; Çyd çLrkoksa dh fLFkfr

Ø-l-	vr%jkT;h; Çyd dk uke	ufn;k	iwoZ lEHkkO;rk fjiksVZ@Mh-ih-vkj dh orZeku fLFkfr
egkjk"V			
1.	वेनगंगा(गोसीखुर्द) – नलगंगा (पूरना तापी)	वेनगंगा और नलगंगा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण तथा डी.पी.आर. प्रगति पर
2.	वेनगंगा – मंजरा घाटी	वेनगंगा और मंजरा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
3.	ऊपरी कृष्णा – भीमा (छः लिंकों का तंत्र)	कृष्णा और भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
4.	दमनगंगा (एकदारे)–गोदावरी घाटी	दमनगंगा और गोदावरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण तथा डी.पी.आर. आरम्भ की गई
5(i)	ऊपरी वैतरना–गोदावरी घाटी	वैतरना और गोदावरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
5(ii)	दमनगंगा – वैतरना – गोदावरी (कदवा देव) घाटी	दमनगंगा, वैतरना और गोदावरी	संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण तथा डी.पी.आर. आरम्भ की गई
6.	उत्तरी कोंकण – गोदावरी घाटी	पातालगंगा और गोदावरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
7.	कोयना–मुम्बई शहर	कोयना	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
8.	श्रीराम सागर प्रोजेक्ट (गोदावरी)– पूर्णा–मंजीरा	गोदावरी, पूरना और मंजीरा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
9.	वेनगंगा (गोसीखुर्द) – गोदावरी (एस.आर.एस.पी.)	वेनगंगा और गोदावरी	महाराष्ट्र सरकार द्वारा वापस ली गई।
10.	मध्य कोंकण – भीमा घाटी	सावित्री, कुन्डालिका, अम्बा और भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई।)
11.	कोयना–नीरा	कोयना और नीरा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
12.	मुल्सी–भीमा	मुल्सी–भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
13.	सावित्री–भीमा	सावित्री और भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
14.	कोल्हापुर–शांगली–शंगोला	कृष्णा और भीमा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
15.	तापी बेसिन और जलगांव जिले की नदी अंतर्योजन परियोजनाएं	तापी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
16.	नार–पार – गिरना घाटी	नार–पार – गिरना	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
17.	नर्मदा–तापी	नर्मदा–तापी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
18.	खरियाघुट्टा – नवाथा सतपुडा फुट हिल	छोड़ दी गई	भू–जल पुनर्भरण योजना जिसका अध्ययन केन्द्रीय भू–जल बोर्ड द्वारा किया जाना है। इसलिए पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट अध्ययन के लिए राजविअ की तकनीकी सहलाहकार समिति ने स्वीकार नहीं किया।
19.	खरियाघुट्टा घाट – तापी	छोड़ दी गई	

Ø-l-	vrjkT;h; Çyd dk uke	ufn;k	iol lHkk0;rk fjikVl@Mh-ih-vkj dh orleku fLFkfr
20.	जिगाँव – तापी – गोदावरी घाटी	तापी और गोदावरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
x|tjkr			
21.	दमनगंगा – साबरमती – चोरवाड	दमनगंगा, साबरमती और चोरवाड	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
vkfM'kk			
22.	महानदी – ब्रह्मानी	महानदी और ब्रह्मानी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई।)
23.	महानदी – रूषिकुल्या (बरमूल परियोजना)	महानदी और रूषिकुल्या	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
24.	वम्सधारा – रूषिकुल्या (नन्दिनी नला परियोजना)	वम्सधारा और रूषिकुल्या	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
>kj[kM			
25.	दक्षिण कोइल – सुबर्णरेखा	दक्षिण कोइल और सुबर्णरेखा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण। ओडिशा की टिप्पणियों के आधार पर डी पी आर तैयार करने के लिए, जलविज्ञानी अध्ययन कार्य एन आई एच को सौंप दिया गया है। एन आई एच ने प्रारूप रिपोर्ट सौंप दी है।
26.	शंख–दक्षिण कोइल	शंख–दक्षिण कोइल	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण। ओडिशा की टिप्पणियों के आधार पर डी पी आर तैयार करने के लिए जल विज्ञानी अध्ययन कार्य एन आई एच को सौंप दिया गया है। एन आई एच ने प्रारूप रिपोर्ट सौंप दी है।
27.	बारकर–दामोदर– सुबर्णरेखा	बारकर, दामोदर और सुबर्णरेखा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण। पश्चिम बंगाल की सहमति मिलने तक डी पी आर का कार्य रोक दिया गया है। डी पी आर तैयार करने के एक भाग के रूप में, बारकर नदी पर प्रस्तावित बालापहाड़ी बांध तक जल संतुलन अध्ययन का कार्य प्रगति पर है।
fcgkj			
28.	कोसी–मेची (पूर्ण रूप से भारत में स्थित)	कोसी और मेची	डी.पी.आर. पूर्ण। ज. सं., न. वि. व गं. सं. मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा तकनीकी आर्थिक मंजूरी दी गई।
29.	बाढ़–नवादा	गंगा और किउल	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई।)
30.	कोहरा–चंद्रावत (अब कोहरा लालबेगी)	कोहरा और चंद्रावत	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई।)

Ø-l-	vUr%jkT;h; fyad dk uke	ufn;k	iwoZ lEHkkO;rk fjiksVZ@Mh-ih-vkj dh orZeku fLFkfr
31.	बूढी गंडक . नोन– बाया– गंगा	बूढी गंडक . नोन– बाया और गंगा	डीपीआर पूर्ण तथा केंद्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी मूल्यांकन पूर्ण । केन्द्रीय जल आयोग ने इस लिंक परियोजना को बाढ़ शमन परियोजना के रूप में संस्तुति दी है।
32.	बूढी गंडक– बागमती (बेलवाधार)	बूढी गंडक और बागमती (बेलवाधार)	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
33.	कोसी–गंगा	कोसी और गंगा	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
34.	बागमती सिंचाई और जल निकासी परियोजना–चरण–।। का विकास (मुजफ्फरपुर जिले में कटौंझा के निकट बैराज) और कोसी–अधवारा–बागमती लिंक के साथ अधवारा बहुउद्देशीय परियोजना	कोसी– अधवारा और बागमती	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
35.	बक्सर में पंप कैनाल योजना के माध्यम से दक्षिण बिहार में गंगा जल का अंतरण	गंगा	आरंभिक तौर पर राजविअ ने कार्य करने की सहमति दे दी थी लेकिन बिहार सरकार से विवरण प्राप्त होने के बाद यह पाया गया कि ये अंतःराज्यीय लिंक नहीं है अतः इनको आरंभ नहीं किया गया।
36.	बदुआ –चंदन बेसिन का विकास	बदुआ और चंदन	
37.	सोन–फाल्गू लिंक	सोन और फाल्गू	प्रारंभिक अध्ययन आरंभ किया गया।
jktLFkku			
38.	माही–लूनी लिंक	माही और लूनी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
39.	वाकल–साबरमती–सेई–पश्चिम बनास– कामेरी लिंक	वाकल, साबरमती, सेई पश्चिम बनास और कामेरी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण (संभाव्य नहीं पायी गई)
rfeyukMq			
40.	पोन्नयार–पालार लिंक	पोन्नयार और पालार	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण तथा डीपीआर अंतिम चरण में
dukZVd			
41.	अलमट्टी (बगल कोट)–मालाप्रभा उप बेसिन	मालाप्रभा और अलमटटी	प्रथम दृष्टया संभाव्य नहीं पायी गई
42.	मालाप्रभा–तुंगभद्रा उप बेसिन	मालाप्रभा और तुंगभद्रा	प्रथम दृष्टया संभाव्य नहीं पायी गई
43.	बेदती–धरमा–वरधा लिंक	बेदती– धरमा और वरधा लिंक	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण
44.	भद्रा–वेदावथी (वाणी विलास सागर) लिंक	भद्रा और वेदावथी	नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति की 11वीं बैठक में कर्नाटक सरकार ने प्रस्ताव वापस ले लिये।
45.	पश्चिम प्रवाही नदियों की योजनाओं का पथांतरण (बारापोल–ऊपरी कावेरी लिंक)	बारापोल – ऊपरी कावेरी	
46.	वेदती और अघनासिनी से वरदा को पथांतरण	अघनासिनी और वरदा	संभाव्य पायी गई तथा पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी के लिए कार्य आरम्भ किया जाएगा।
NÙkhlx<+			
47.	पायरी–महानदी लिंक	पायरी और महानदी	पूर्व संभाव्यता रिपोर्ट पूर्ण

ifjf'k"V&AA

çf'k{k.k ikBîØeksa dk fooj.k ftuesa jktfov dh vfèkdkfj;ksa us Hkkx fy;k

Ø-l-	çf'k{k.k	vofèk	LFkku	vk;kstd	Hkkx ysus okys vfèkdkjh
1	''खरीदारों के लिए गवर्नमेंट ई – मार्केट प्लेस (जेम)'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	16.05.17	डी. जी. एस. एवं डी दूसरा तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली	डी. जी. एस. एवं डी, दिल्ली	1. श्री आर. के. सिन्हा, निदेशक (वित्त) 2. श्री एस. एस. महापात्रा लेखा अधिकारी–I 3. श्री जगमीत सिंह, लेखा अधिकारी –II 4. श्री राम कुमार, कनिष्ठ लेखा अधिकारी 5. श्री वेद प्रकाश, कनिष्ठ लेखा अधिकारी
2	जल लेखा तथा उत्पादकता पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम नामतः– कार्य 1 ए– पायथन, क्यू जी आई एस आदि का प्रयोग करते हुए साफ्टवेयर टूल्स का प्रारंभिक प्रशिक्षण तथा कार्य–2 आसान पहुंच (दूरस्थ संज्ञान) आंकडों को एकत्र करना तथा जल लेखा पत्र तैयार करना।	08–12 मई 2017 तथा 19–24 मई 2017	कें.ज.आ., पुस्तकालय भवन, दूसरा तल, पश्चिमी ब्लाक, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	आई.डब्यु.के .एम. आई और यूनेस्को	1.श्री एम. पी. कृष्णामूर्ति, सहायक अभियंता, नासिक 2.श्री राजेश पटेल, कनिष्ठ अभियंता, भोपाल
3	"दूरस्थ संज्ञान– निर्णय लेने वालों के लिए अवलोकन'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	12–15 जून 2017	भारतीय दूरस्थ संज्ञान संस्थान, (आई.आई.आर.ए) देहरादून	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अधीन भारतीय दूरस्थ संज्ञान संस्थान	1.श्री आर. के. जैन, मुख्य अभियंता (मु), नई दिल्ली 2. श्री के के राव, उ.नि. (ज.वि.), नई दिल्ली
4	''जल संसाधनों के ढ़ांचे के डिजाइन में एडवांस्ड साफ्टवेयर का उपयोग'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	05–09 जून 2017	नेशनल वाटर अकादमी, कें.ज. आ. पुणे	नेशनल वाटर अकादमी, कें.ज. आ. पुणे	श्री सी. एच. वाई. सुब्रहमन्यम, अधिशासी अभियंता, वडोदरा
5	''ओपन सोर्स जी आई एस का उपयोग करते हुए डिजिटल सर्फेस माडिलिंग तथा वाटरशेड माडलिंग'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	11 से 22 सितंबर, 2017	नेशनल वाटर अकादमी, पुणे	नेशनल वाटर अकादमी, के.ज. आ., पुणे	श्री पी. अंजनेयुलु, सहायक अभियंता
6	''ई. एच. आर. एम. एस.'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	07–11–2017	रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली	रा.ज.वि.अ.	रा.ज.वि.अ. के 22 भागीदार
7	''जल संसाधन परियोजनाओं का पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक पहलू'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	20–11–2017 से 24–11–2017	नेशनल वाटर अकादमी, पुणे	नेशनल वाटर अकादमी, पुणे	1 श्रीमती जानसी विजयन, निदेशक (एम. डी. यू.), नई दिल्ली 2 श्री राहुल सक्सेना, क.अ., लखनऊ

Ø-l-	çf'k{k.k	vofèk	LFkku	vk;kstd	Hkkx ysus okys vfèkdkjh
8	''जी. आई. एस. से रेनफाल–रनआफ'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	04–5 दिसंबर, 2017	नेशनल वाटर अकादमी, पुणे	नेशनल वाटर अकादमी, पुणे	श्री एम. पी. कृष्णामूर्ति, सहायक अभियंता, बंगलूरू
9	''तटबंध बांध – अन्वेषण एवं गुणवत्ता नियंत्रण'' पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	07–08 दिसंबर, 2017	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला (सी. एस. एम. आर. एस.)	सी. एस. एम. आर. एस., नई दिल्ली	श्री जे. एन. चौहान, सहायक अभियंता, अन्वेषण वृत्त, वलसाड
10	''जल संसाधन विकास (ख) में समेकित जल प्रबंधन'' पर देश पर केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम	21 जनवरी से 10 फरवरी, 2018	जापान–आयोजित (जीसा)	जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी	श्री के. पी. गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)
11	''परियोजनाओं में अनुबंध प्रबंधन तथा विवाद निवारण'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	5 से 8 फरवरी, 2018	ई. एस. सी. आई. हैदराबाद		1. श्री सीएच. वाई. सुब्रहमन्यम, अधिशासी अभियंता, वडोरदरा 2. श्री एस. आर. माहोर, अधिशासी अभियंता, ग्वालियर 3. श्री एन. जी. राव, उपनिदेशक, हैदराबाद
12	''कांक्रीट जलीय ढ़ांचे के निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	15–16 फरवरी, 2018	सी. एस. एम. आर. एस., नई दिल्ली	सी. एस. एम. आर. एस., नई दिल्ली	श्री बी.के.एस. ठाकुर, सहायक अधिशासी अभियंता, अन्वेषण वृत्त, हैदराबाद

ifjf'k"V&III

lfeukjksa] lEesyuksa rFkk dk;Z'kkykvksa dk fooj.k ftuesa jktfov ds vfèkdkfj;ksa us Hkkx fy;kA

Ø- l-	lfeukj@lEesyu@ dk;Z'kkyk,¡	vofèk	LFkku	vk;kstd	Hkkx ysus okys vfèkdkjh dk uke
v	lEesyu				
1	''जल क्षेत्र में सुधार–केन्द्रीय संगठनों की भूमिका'' पर सेमिनार	14.04.2017	कें.ज.आ., ओडिटोरियम, आर.के.पुरम, नई दिल्ली	कें.ज.आ., नई दिल्ली	1.श्री मुजफ्फर अहमद, अधी.अभियंता 2.श्री नरेंद्र कुमार, निदेशक (प्रशा.) 3. श्री आर. के. सिन्हा, निदेशक (वित्त) 4.श्री अफरोज आलम, उप निदेशक 5.श्री आर के शर्मा, उप निदेशक 6.श्री नागेश महाजन, उप निदेशक
2	''विश्व की बड़ी नदियों की स्थिति और उनका भविष्य'' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	18–21 अप्रैल 2017	इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली	युनिवर्सिटी आफ नेचुरल रिर्सोसेज तथा लाइफ साइंस, आस्ट्रेलिया तथा एन. आई. एच.	1.श्रीमती जानसी विजयन, निदेशक (एम डी यू) 2.श्री के. के. श्रीवास्तव, उप निदेशक
3	मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संरक्षण गतिविधियों पर केन्द्रीय सहायता को बढ़ाने के लिए मिशन बुंदेलखंड कार्यक्रम	28 अप्रैल, 2017	मलथोन (म.प्र.) और ललितपुर (उ.प्र.)	जल संसाधन मंत्रालय	1. श्री एस.सी. अवस्थी, अधीक्षक अभियंता 2. श्री सी.पी.एस. सेंगर, अधिशासी अभियंता 3. श्री आर.के. गुप्ता, सहायक निदेशक 4. श्री बी.डी. शर्मा, कनिष्ठ अभियंता 5. श्री जी.एस. सोनी, कनिष्ठ अभियंता
4	''गंगा और ब्रहमपुत्र बेसिन में अंतर्देशीय जल मार्ग के नौवहन संबंधी उपयोगों को प्रोत्साहित कर सीमा पार जल के व्यापारिक लाभों को बढ़ाना''	23 मई 2017	इंडिया इंटरनेंशनल सेंटर, नई दिल्ली	सी. यू. टी. एस. इंटरनेंशनल–दि एशिया फाउंडेशन	श्रीमती जानसी विजयन, निदेशक (एम. डी. यू.)
5	हिन्दी पर 31वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मलेन	25–27 मई, 2017	मुन्नार, केरल	भारतीय भाषा एवं संस्कृति केन्द्र, नई दिल्ली	श्री के. पी. गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)
6	जी. एफ. आर. के अंतर्गत सरकारी खरीद पर विचार–विमर्श सत्र	23.05.2017	सम्मेलन कक्ष, ज.सं., न.वि. व गं.सं. मंत्रालय, नई दिल्ली	जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय	श्री आर.के.सिन्हा, निदेशक (वित्त)
7	''सिंधु जल संधि पर 2 दिवसीय सम्मेलन	16–17 जून, 2017	इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली	ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल (जी. सी.टी.सी.), नई दिल्ली	श्री अफरोज आलम, अधी.अभियंता

Ø-l-	lfeukj@lEesyu@dk;'kkyk,	vofèk	LFkku	vk;kstd	Hkkx yus okys vfèkdkjh dk uke
8	''जल सुरक्षा के लिए ट्रैकिंग प्रबंधन पहल'' पर राष्ट्रीय कार्यशाला	14.06.2017	विज्ञान भवन, नई दिल्ली	नीति आयोग	1. श्री के.पी. गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) 2. श्री ओ. पी. एस. कुशवाह, अधी. अभियंता 3. श्री अफरोज आलम, अधी.अभियंता 4. श्रीमती जानसी विजयन, निदेशक (एम. डी. यू.) 5. श्री आर. के. शर्मा, उप निदेशक
9	''स्वच्छ जल– स्वच्छ भारत'' पर सम्मेलन	21.07. 2017	हयात रीजेंसी, नई दिल्ली	एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	1. श्री के. पी. गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) 2. श्रीमती जानसी विजयन, निदेशक (एम डी यू) 3. श्री एन. पी. साहू, सहायक निदेशक श्री एस. मसूद हुसैन, महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. ने ''भारतीय नदियों की सफाई : नमामि गंगे जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को आसान बनाने के लिए बहु भागीदारी'' पर आयोजित दूसरे सत्र की अध्यक्षता की ।
10	''साइबर क्राइसिस प्रबंधन (सी. सी. एम. पी.)'' पर कार्यशाला	30 अगस्त, 2017 (अर्द्ध दिवसीय)	सी. ई. आर. टी–इन, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी. जी. ओ. कांपलेक्स, नई दिल्ली	इलेक्ट्रानिकस एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	श्री के. के. राव, उप निदेशक (ज. वि.)
11	''ई– एच. आर. एम. एस'' पर प्रदर्शन	22.08.2017	श्रम शक्ति भवन, जल संसाधन मंत्रालय	ज. सं. मं.	1. श्री नरेंद्र कुमार, निदेशक (प्रशा.) 2. श्री ई केंपन्ना, अधीक्षक 3. श्री अजय प्रताप सिंह, अ.श्रे.लि.
12	''एम. एस. एक्सेल'' पर कार्यशाला	13–15 सितम्बर, 2017	आई. एस. टी. एम., नई दिल्ली	आई.एस. टी.एम., नई दिल्ली	1 श्रीमती अनिता लालचंदानी, सहायक निदेशक 2 श्रीमती दीपिका शर्मा, सहायक अभियंता 3 श्री नरेंद्र, अ.श्रे.लि. 4 श्री अजय प्रताप सिंह, अ.श्रे.लि. 5 श्रीमती राधा, अ.श्रे.लि. 6 श्रीमती मिथिलेश, अ.श्रे.लि.

Ø- l-	lfeukj@lEesyu@ dk;Z'kkyk,a	vof/k	LFkku	vk;kstd	Hkkx ysus okys vf/kdkjh dk uke
13	'' राजभाषा सम्मेलन''	07 नवंबर, 2017	असम प्रशासनिक स्टाफ महाविद्यालय, गुवाहाटी, असम	ब्रहमपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	1 श्री रूपेश कुमार सिन्हा , निदेशक (वित्त), 2 श्रीमती अर्चना गुप्त, सहायक निदेशक (राजभाषा)
14	''सतर्कता प्रशासन'' पर कार्यशाला	10–11 नवंबर, 2017	बंगलूरू	रा.ज.वि.अ.	25 प्रतिभागी
15	''भू–स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से गंगा बेसिन की खोज'' पर आपसी विचार–विमर्श सत्र	15.11.2017	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन. एम. सी. जी.), नई दिल्ली	एन. एम. सी. जी.	श्री के के राव, उप निदेशक (ज.वि.)
16	''भूजल स्वप्न 2030: जल सुरक्षा, चुनौतियां तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन'' पर अंतर्राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन (आई जी डब्ल्यू सी 2017)	11–13 दिसंबर, 2017	आई. सी. ए. आर. – एन. ए. एस. सी. कांपलेक्स, पूसा, नई दिल्ली	एन. आई. एच., रूड़की, तथा सी. जी. डब्ल्यू. बी. के सहयोग से एसोशिएशन आफ ग्लोबल ग्राउंड वाटर साइंटिस्ट (ए. जी. जी. एस.) तथा टेक्सास ए एवं एम यूनिवर्सिटी	1 श्रीमती जानसी विजयन, निदेशक (एम. डी. यू.) 2 श्री अफरोज आलम, अधी.अभियंता
17	''नदियों के अंतर्योजन'' पर कार्यशाला	10 जनवरी, 2018	एन.डब्य.ए., पुणे		श्री आर. के. जैन, मुख्य अभियंता (मुख्या.) ने नदी अंतर्योजन तकनीकी सत्र में व्याख्यान दिया
18	''तीसरा राष्ट्रीय भूजल मंथन''	16–17 फरवरी, 2018	कविवर सुरेश भट्ट सभागृह, रेशमी बाग, नागपुर	सी .जी. डब्यू. बी.	1 श्री आर. के. जैन, मुख्य अभियंता (मुख्या.) 2 श्री एम. के. श्रीनिवास, मुख्य अभियंता (दक्षिण) 3 श्री एन.एस.आर.के.रेड्डी, अधिशासी अभियंता, नागपुर 4 श्री रूपराव आर. हेडाऊ, सहायक अधिशासी अभियंता, नागपुर 5 श्री एस.के. गावंडे, सहायक अभियंता, नागपुर 6 श्री एस. सुरेश, सहायक अभियंता, नागपुर 7 श्री एस. राजा, कनिष्ठ अभियंता, नागपुर 8 श्री विजय लक्ष्मी, प्रारूपकार–श्रेणी–I, नागपुर

Ø-l-	lfeukj@lEesyu@dk;'kkyk,	vofèk	LFkku	vk;kstd	Hkkx yus okys vfèkdkjh dk uke
19	''मेगा जल परिवहन प्रणाली के लिए बड़े व्यास वाले पाइपों का उपयोग'' पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला	09.03.2018	ली मेरिडियन, नई दिल्ली	रा.ज.वि.अ. एवं वाप्कोस लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित	महानिदेशक, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), निदेशक (तकनीकी) तथा रा.ज.वि.अ. के अन्य वरिष्ठ अधिकारी
20	''कमान क्षेत्र विकास (सी. ए. डी.)'' पर एक दिवसीय सम्मेलन	13.03.2018	सी. एस. एम. आर. एस., नई दिल्ली	सी. ए. डी. डब्य. एम. विंग, ज., सं. न. वि. व गं. सं. मत्रालय.	रा.ज.वि.अ. के अधिकारी गण

ifjf'k"V-IV

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली

सं.प्र.नि.वै.वि./प.ले./MoWR,RD&GR/एस.ए.आर./NWDA/2018–19/1681 **दिनांक:** 01.02.2019

सेवा में,

Sh.M.K. Srinivas,
Director General,
National Water Development Agency,
18-20, community Centre, Saket,
New Delhi-110 007

विषय: वर्ष 2017–18 के लिए National Water Development Agency, New Delhi का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

मुझे वर्ष 2017–18 के लिए **National Water Development Agency, New Delhi** का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखों को संस्थान के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा ज़ारी किया गया रेज़ोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए उसकी तीन प्रतियाँ इस कार्यालय तथा दो प्रतियाँ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

भवदीय,

संलग्नक:-- पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

उप निदेशक (पर्या.ले.)

ikQkek

o"kl 2017&18 ds fy, jk"Vh; ty fodkl vfHkdj.k] uÃ fnYyh ds y[kk ij vyx y[kk ijh{kk fjikVl

स्वायत्तशासी निकाय का नामः राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली

<table>
<tr><td>1.</td><td>राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा लेखा परीक्षा के लिए रिपोर्ट सौंपने की तारीख</td><td colspan="3">29.06.2018</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>योग्यताओं के साथ लेखों को प्रमाणित नहीं किया जा सका इसके कारणों को दर्शाते हुए लेखों को वापस करने के लिए लागू होने वाला कारण</td><td colspan="3">लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>लेखा परीक्षक को संशोधित लेखों को सौंपे जाने की तारीख, जहां कि संशोधन आवश्यक था।</td><td colspan="3">लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>लेखा परीक्षा आंरभ करने और पूर्ण करने की तारीख</td><td colspan="3">01.11.2018 को आरंभ किया तथा 15.11.2018 को पूर्ण किया।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>उत्तर/ टिप्पणी के लिए बोर्ड को एस. ए. आर. का प्रारूप जारी करने की तारीख</td><td colspan="3">11.09.2018</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>बोर्ड से उत्तर/टिप्पणी प्राप्त करने की तारीख (यदि प्राप्त हुई हों)</td><td colspan="3">15.10.2018</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>नियंत्रक एवं महालेखाकार (सी. ए. जी.) के कार्यालय को स्मरण पत्र के साथ–साथ बोर्ड के उत्तर/ टिप्पणियों सहित एस.ए.आर. का प्रारूप अनुमोदन के लिए जारी किए जाने की तारीख</td><td colspan="3">18.01.2019</td></tr>
<tr><td>8. (क)</td><td>भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (सी. ए. जी) द्वारा एस.ए.आर. का अनुमा. ेदन प्रदान करने वाले पत्र की तारीख</td><td colspan="3">29.01.2019
(ई मेल)</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>(क) पर पत्र की प्राप्ति एवं अनुमोदन की तारीख</td><td colspan="3">29.01.2019
(ई मेल)</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>भारत सरकार/राज्य सरकार/नियंत्रक एवं महालेखाकार (सी. ए. जी.) के कार्यालय को अंतिम अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करने की तारीख</td><td colspan="3">01.02.2019</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>विभिन्न स्तरों पर बिलंब का कारण, यदि कोई हो;</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">संसद के समक्ष पूर्ण लेखा परीक्षा रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की तारीख</td><td>वर्ष</td><td>लोक सभा</td><td>राज्य सभा</td></tr>
<tr><td>2016–17</td><td>05.04.2018</td><td>05.04.2018</td></tr>
<tr><td></td><td>(यदि पूर्व वर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है तो उस वर्ष को भी स्पष्ट करें जिस से संबंधित है)</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

उपनिदेशक (ई ए)

31 ekp] 2018 dks lekIr o"kZ ds fy, jk"Vªh; ty fodkl vfHkdj.k ¼jk-t-fo-v-½]ubZ fnYyh ds ys[kk ij Hkkjr ds fu;a=d rFkk egkys[kk ijh{kd dh vyx ls lefdr ys[kk ijh{kk fjiksVZ

1. हमने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) के 31 मार्च, 2018 के संलग्न तुलनपत्र, आय तथा व्यय लेखा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षा नियंत्रक तथा महालेखाकार, (दायित्व, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के खंड 20 (1) के अधीन लेखा परीक्षा की है। हमें यह लेखा परीक्षा 2018–19 तक की अवधि के लिए सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का है। हमारा उत्तरदायित्व इन विवरणों पर अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है।

2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों के अनुरूप, लेखा मानकों तथा प्रकटन मानकों आदि के संबंध में लेखाकरण व्यवहारों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (सी. ए.जी.) की टिप्पणियां हैं। विधि, नियम तथा विनियमों (मालिकाना तथा विनियामक) तथा कार्यकुशलता व निष्पादन पक्षों आदि के संबंध में वित्तीय लेन देन पर लेखा परीक्षकों के पर्यवेक्षण यदि कोई हैं, तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्टों/ सी.ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में अलग से दर्शाया गया है ।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है । इन मानकों में अपेक्षित है कि हम यह उपयुक्त आष्वासन लें कि वित्तीय विवरणों में गलत विवरण नहीं दर्शाया गया है और फिर लेखा परीक्षा का आयोजन और निष्पादन करें। लेखा परीक्षा में परीक्षण आधार पर राशि के समर्थन में साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन की जांच शामिल है। लेखा परीक्षा में उपयोग में लाए गए लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों के साथ–साथ वित्तीय विवरणों की समग्र–प्रस्तुति का निर्धारण शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय हेतु एक उचित आधार प्रदान करती है ।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :

(i) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास हेतु आवश्यक थे, लेखा परीक्षा के लिये प्राप्त कर लिये हैं।

(ii) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलनपत्र, आय एवं व्यय लेखे तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखे वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में उपयुक्ततः तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में, जहां तक इन बही खातों की हमारी लेखा परीक्षा से प्रतीत होता है कि नियत परिसंपत्ति रजिस्टर को छोड़कर अभिकरण द्वारा रा.ज.वि.अ. के विनियमों के नियम 19 में आवश्यक रूप से उपयुक्त लेखा बहीखाते तथा अन्य संगत रिकार्ड रखे गए हैं।

हम आगे सूचित करते हैं किः

d- ifjlaifÙk;k

d-1 fu;r ifjlaifÙk;k 3-14 djksM+ :i;s

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली ने पालिका भवन स्थित कार्यालय के लिए एयर कंडीशनर, फर्नीचर, फायर अलार्म तथा एक्जास्ट फैन्स पर 55.12 लाख रूपये व्यय किया है। परंतु इसे पूंजीकृत नहीं किया है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने एल.ई.डी. टीवी, आयल फिल्ड रेडिएटर, हीटर आदि के क्रय पर 18.52 लाख रूपये व्यय किए हैं। इस राशि को फर्नीचर एवं जुड़नार के अंतर्गत अनुसूची–8 पर नियत परिसंपत्तियों के बजाय आय एवं व्यय खातों में दर्शाया गया है तथा छमाही आधार पर 5 प्रतिशत की दर से 2.76 लाख रूपये एवं 0.93 रूपये मूल्यह्रास का अधिभार किया गया है। इसके कारण 69.96 लाख रूपये की व्यय राशि अधिक दर्शाई गई है तथा इतनी ही राशि को नियत परिसंपत्तियों में कम दर्शाया गया है।

[k- çkfIr rFkk Hkqxrku

ख.1 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण हैदराबाद कार्यालय ने 16.95 करोड़ रूपये भारत सरकार से प्राप्त कुल अनुदान दर्शाया है। जिसका विवरण इस प्रकार है:

Ø-l-	fooj.k	jkf'k ¼djksM+ :i;s esa½
1.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकण (मुख्या.), नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान	14.181
2.	योगः अंशदायी भविष्य निधि से वसूली	2.705
3.	योगः जी एस एल आई एस से वसूली	0.035
4.	योगः नई पेंशन योजना से वसूली	0.026
	कुल	16.947

यद्यपि राष्ट्रीय जल विकास अभिकण को अनुदान सहायिकी के रूप में केवल 14.18 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं जिसमें मुख्यालय से वास्तविक नकदी प्रवाह के बिना प्राप्ति एवं भुगतान खानों में अंशदायी भविष्य निधि, जी. एस. एल. आई. एस. तथा नई पेंशन योजना से वसूली गई कुल राशि 2.77 करोड़ रूपये भी शामिल किया गया है। वास्तव में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को 2.77 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त नहीं हुई है। जिसके कारण प्राप्तियों में 2.77 करोड़ रूपये तक अधिक दर्शाया गया है तथा कम दर्शाई गई देयताओं के लेखा समाधान की आवश्यकता है।

x- lkekU;%

¼i½ lsokfuo`fÙk isa'ku] xzsP;qVh] vodk'k udnhdj.k ds fy, ns;rkvksa dk çko/kku

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने अनुसूची 7 में अवकाश नकदीकरण, अनुदान आदि को केन्द्रीय स्वयत्तशासी निकायों के लेखों के लिए निर्धारित सामान्य फार्मेट तथा सामान्य फार्मेट के निदेशों पर नोट

के अनुसार नहीं दर्शाया गया है। सेवानिवृत्ति, पेंशन, अनुदान तथा अवकाश नकदीकरण की देयताओं को वास्तविक आधार पर तैयार करने की आवश्यकता है तथा अनुसूची–7 के अंतर्गत दर्शाई गयी राशि का प्रावधान वर्तमान देयताओं और प्रावधानों में करने की आवश्यकता है। वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार लेखा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के भाग पर देयताओं की स्थिति को नहीं दर्शाया गया है।

(ii) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली 01.06.2017 से 31.03.2018 तक के बैंक लेखा विवरण का अपनी रोकड़ बही के साथ समाधान नहीं कर पाया है, जिसके कारण लेखा परीक्षा में लेन देन की सत्यता/प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी है।

(iii) वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए तैयार किए गए फार्मेट के अनुसार राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, दिल्ली में परिसंपत्तियों का वर्गीकरण नहीं किया है। वित्त मंत्रालय के निदेशानुसार यूपीएस प्रणाली को ''फर्नीचर एवं जुड़नार'' उपशीर्ष में रखा जाना चाहिए जबकि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने इसे ''कंप्यूटर तथा आनुषांगिक उपकरण'' के रूप में वर्गीकृत किया है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, दिल्ली ने एक्वागार्ड को ''कार्यालय उपस्कर'' शीर्ष में रखा है जबकि इसे ''फर्नीचर एवं जुड़नार'' उपशीर्ष में रखना चाहिए था। आगे इलेक्ट्रिक सामान/बिजली तथा अन्य सामानों को ''इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन'' उपशीर्ष में रखा जाना चाहिए जबकि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण दिल्ली में ''इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन'' के नाम से कोई उपशीर्ष नहीं है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में इसके कारण नियत परिसंपत्तियों का गलत वर्गीकरण हुआ है।

(iv) संस्थान में आय कर अधिनियम में निहित मूल्यह्रास दर के अनुसार कंप्यूटर संबंधी सामग्री एवं तकनीकी पुस्तकों पर मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है।

?k- lgk;rk vu|nku

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को सहायता अनुदान के रूप में 74.99 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त 25.27 करोड़ रूपये लंबित राशि (pending balance) तथा अन्य 4.58 करोड़ रूपये अन्य प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुये हैं। कुल उपलब्ध रूपये 104.84 करोड़ रूपये में से राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने 97.35 करोड़ रूपये का भुगतान किया है तथा 7.50 करोड़ रूपये बैंक में जमा हैं।

p- i|c|/ku i=

जिन कमियों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है उनके उपचार/सुधार कार्य के लिए अलग से जारी प्रबंधन पत्र द्वारा महानिदेशक, रा.ज.वि.अ. का ध्यान आकर्शित कराया गया है।

(v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारे पर्यवेक्षणों के आधार पर हम सूचित करते हैं कि इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलनपत्र, आय व व्यय लेखे/प्राप्ति व भुगतान लेखे लेखाबहियों के अनुरूप हैं।

(vi) हमारी राय से तथा हमें मिली पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और लेखा टिप्पणों के साथ पठित ऊपर बताए गए मामलों और अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में सूचित किए मामलों की शर्तों पर भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों को पुष्ट करते हुए सच्ची और वास्तविक स्थिति दर्शाते हैं।

(क) जहां तक कि तुलन पत्र का संबंध है इसमें राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के 31 मार्च, 2018 तक की गतिविधियों की स्थिति शामिल हैं, और

(ख) जहां तक कि आय व व्यय लेखे का संबंध है इसमें उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष शामिल है।

कृते और भारत के महा लेखा परीक्षक की ओर से

स्थानः नई दिल्ली

तिथिः 01.02.2019

महानिदेशक लेखा परीक्षा (वैज्ञानिक विभाग)

vuqyXud&1

1- vkarfjd y[kkijh{kk dh i;kIrrk

(i) जल संसाधन मंत्रालय (ज.सं.मं.) ने 13 से 17 अप्रैल, 2017 तक आंतरिक लेखापरीक्षा किया तथा समायोजन के लिए 24 पैरा लंबित हैं ।

(ii) रा.ज.वि.अ. की आंतरिक लेखा परीक्षा विंग ने 5 सर्किलों और 17 प्रभागों में से वर्ष 2017–18 में 1 सर्किल (वलसाड) एवं 5 प्रभाग (वलसाड, कोलकाता, हैदराबाद, नासिक तथा चेन्नई) की आंतरिक लेखा परीक्षा की है।

2- vkarfjd fu;a=.k ç.kkyh dh i;kIrrk

रा.ज.वि.अ. की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में चूंकि कमियां पाई गई हैं, अतः निम्नलिखित सुधार की संभावना हैः

(i) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली ने वार्षिक खातों के लिए केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के निर्धारित समान फार्मेट का अनुपालन नहीं किया है, तथा लेखों में अनुसूची 2,4,5,6,10,12,14,15,16,19,22 एवं 23 को संलग्न नहीं किया है।

(ii) नई दिल्ली मुख्यालय तथा हैदराबाद में जी. ए. आर 3 में कैश बुक का रख–रखाव नहीं किया गया है।

(iii) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली में कैश बुक, लेजर तथा अन्य लेखों को हाथ से ही तैयार किया है तथा इन लेखों में पेंसिल से कुल एवं अंतिम राशि दर्शाई गई है जो अस्थाई प्रतीत होती है।

(iv) रोकड़िया ने प्राप्त नकद राशि को 3 से 11 दिनों के बाद बैंक में जमा किया है।

(v) कार्य नियंत्रण रजिस्टर, ई. एम. डी. रजिस्टर, अनुबंध रजिस्टर तथा अनुबंध रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है।

(vi) बहुमूल्य वस्तुओं का रजिस्टर (जी.ए.आर.–5), एसेशन रजिस्टर (जी.एफ.आर.–18), उपयोग योग्य वस्तुओं का रजिस्टर तथा निवेश रजिस्टर निर्धारित प्रोफार्मा में तैयार नहीं किया गया है।

(vii) हैदराबाद में नकदी का औचक निरीक्षण नहीं किया जा रहा है।

viii) कंप्यूटर अग्रिम जैसे दीर्घ कालीन अग्रिमों की ब्रॉडशीट नहीं तैयार की गई है। ब्रॉडशीट न होने की स्थिति में लेखा परीक्षा में हैदराबाद में तुलन पत्र में दर्शाए गए दीर्घ कालीन अग्रिमों के अंतिम शेष की सत्यता का अनुमान नहीं लगाया जा सका ।

(ix) अन्य विभिन्न संगठनों से हैदराबाद सर्किल को अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान के रूप में 4.50 लाख रूपये मिलना अपेक्षित है। इसमें कई वर्षों के दौरान 20 मदें शामिल हो गई हैं। लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि कुल 20 मदों में से 14 मदें 10 वर्षो से अधिक समय की हैं तथापि सर्किल ने इन संदिग्ध वसूलियों से संबंधित अशोध्य कर्ज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। आगे, वर्ष 2017–18 के वार्षिक रिपोर्ट के कॉलम बी एवं सी की अनुसूची 11 के अंतर्गत ''वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम'' में दिए गए विवरणों के अनुसार राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण अन्वेषण सर्किल, ग्वालियर ने विभिन्न निजी पार्टियों तथा रा.ज.वि.अ. के कर्मचारियों को दिए गए 669.64 लाख रूपये को अग्रिम समायोजित नहीं किया है तथा जिसमें से 6.44 लाख रूपये 5 से 35 वर्षों से शेष हैं जिन्हें अनुलग्नक 'क' पर दिया गया है।

(x) नई दिल्ली तथा हैदराबाद में जी. एफ. आर. 22 के अनुसार परिसंपत्तियों के रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रहा है अतः मार्च 2018 तक उपलब्ध विशिष्ट प्रकार की परिसंपत्तियों की वास्तविक संख्या, विशेष वर्ष में क्रय की गई परिसंपत्तियों की संख्या तथा परिसंपत्तियों की मूल्यह्रास की कीमतों संबंधी विवरण का आकलन नहीं जा सका।

3- lifÙk lwph ds HkkSfrd lR;kiu dh ç.kkyh

(क) वर्ष 2017–18 तक की परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया। फिर भी रा.ज.वि.अ. नई दिल्ली द्वारा चिन्हित परिसंपत्तियों का निपटान अभी होना है।

(ख) परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वलसाड के अतिरिक्त, वर्ष 2017–18 तक स्टेशनरी एवं उपयोग्य वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया है ।

4- lkafof/kd ns;rkvksa dk fu;fer Hkqxrku

राष्ट्रीय जल विकस अभिकरण सांविधिक देयताओं का नियमित भुगतान करता है।

mifuns'kd ¼Ã ,½

मनीष कुमार

महानिदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग
ए.जी.सी.आर.भवन,
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट
नई दिल्ली–110002

अर्द्ध. शा. प. सं. म.नि.ले.प./वै.वि./पर्या./एस ए आर/रा.ज.वि.अ.–एन डी/2017–18/1684 दिनांकः 01.02.2019

प्रिय श्री श्रीनिवास,

मैनें राश्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) के वर्ष 2017–18 के वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा की है तथा दिनांक 01.02.2019 के पत्र द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है। लेखा परीक्षा के दौरान, कुछ कमियां पाई गई, (अनुलग्नक 'क') पर दर्शाई गई हैं जो अपेक्षाकृत मामूली प्रकृति की हैं तथा जिन्हें लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। उपचारात्मक एवं सुधारात्मक उपायों के लिए इन्हें आपके संज्ञान में लाया जा रहा है।

सादर,
भवदीय,

भवदीय संलग्नक : यथोपरि

श्री एम.के. श्रीनिवास,
महानिदेशक,
राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.),
18–20, सामुदायिक केंद्र,
साकेत, नई दिल्ली –110017.

दूरभाष / Phone : +91-11-23403652, 23403650 फैक्स / Fax : +91-11-23702353

vu|yXud&^d*

(1) रा.ज.वि.अ., अन्वेषण प्रभाग, भोपाल ने बोलेरो वाहन के रजिस्ट्रेशन तथा नम्बर प्लेट पर 1200 रूपये व्यय किए । तथापि इस राशि को पूंजीकृत नहीं किया गया है, जिसके कारण 1200 रूपये को नियत परिसंपत्तियों (मोटर वाहन) में कम दर्शाया गया है। आगे, 180.00 रूपये का मूल्यह्रास (15 प्रतिशत की दर पर पूरे वर्ष) का भी व्यय शीर्ष के अंतर्गत अधिभार नहीं किया गया है जिसके कारण खर्च में कम दर्शाया गया है, इस सीमा तक पूंजीगत निधि में अधिक दर्शाया गया है।

(2) रा.ज.वि.अ., अन्वेषण सर्किल, वलसाड ने अनुसूची–11 में ''ऋण अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियों को बी के अंतर्गत प्राप्त दावे (अवकाश वेतन)'' वर्तमान देयताओं ऋण तथा अग्रिमों के अंतर्गत 7.11 लाख रूपये दर्शाए हैं। यह राशि प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्य कर चुके विभिन्नि कार्यालयों के 09 अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश वेतन अंशदान से संबंधित है। वसूली न किए जाने के कारण (वार्षिक लेखों में प्राप्ति) तथा दावों के अंतर्गत बार–बार दर्शाये जाने के कारण सच्चा और निष्पक्ष निर्णय नहीं लिया जा सकता । मूल कार्यालयों से अवकाश वेतन अंशदान की वसूली न हो पाने के कारण वर्तमान परिसंपत्तियों में इसे बढ़ा कर दिखाया गया है।

(3) रा.ज.वि.अ., हैदराबाद ने अन्य सर्किलों से 12.13 लाख रूपये की परिसंपत्तियां प्राप्त की हैं तथा नियमित आधार पर अन्य सर्किलों को 33.36 लाख रूपये की परिसंपत्तियां अंतरित की है। प्राप्तियों पर नियत परिसंपत्तियों में परिसंपत्तियों की कीमत जोडी गई है लेकिन व्यावहारिक रूप से पूंजीगत निधि को नहीं जोड़ा गया तथा नियत परिसंपत्तियों से अंतरण पर परिसंपत्तियों की कीमत घटा दी गई है, व्यावहारिक कीमत पूंजीगत निधि से नहीं घटाई गई। चूंकि परिसंपत्तियां प्राप्त हुईं और नियमित आधार पर उन्हें अंतरित किया गया तथा उन परिसंपत्तियों को वापिस करने का रा.ज.वि.अ. का कोई दायित्व नहीं हैं, देयताओं के अंतर्गत 12.13 लाख रूपये की अलग से प्रवृष्टि गलत है तथा 33.36 लाख रूपये अधिक दर्शाए गए हैं जो क्रमशः ''अन्य सर्किलों से परिसंपत्तियों की प्राप्ति'' तथा परिसंपत्तियों का अंतरण है।

4- r|yu&i=

4-1 or|eku n|;rk,| 4-29 djkM+ :i;|

रा.ज.वि.अ., अन्वेषण सर्किल, वलसाड कार्यालय के भंडार का किराया बिल (जनवरी से मार्च 2018 तक) 0.03 लाख रूपये तथा कार्यालय भवन जी. एस. टी. प्रतिपूर्ति बिल 0.08 लाख रूपये (फरवरी व मार्च 2018) 31 मार्च 2018 तक भुगतान करना था, को बकाया किराये में नहीं जोड़ा गया था। जिसके कारण तुलनपत्र के देयताओं वाले कॉलम में 0.11 लाख रूपये की वर्तमान देयताओं में कमी दर्शाई गई है।

4-2% ifj l|ifÙk;k|

4.2.1: रा.ज.वि.अ., अन्वेषण प्रभाग, भोपाल ने सॉफ्टवेयर ''एम एस ऑफिस होम तथा बिजनेस 2016'' क्रय किया है जिसकी कीमत 0.41 लाख रूपये है (जी एस टी सहित)। रा.ज.वि.अ. में इस राशि को पूंजीकृत न करके बल्कि वर्ष 2017–18 के लिए आय एवं व्यय लेखा में राजस्व व्यय के रूप में सॉफ्टवेयर की कीमत को अधिभारित किया है। इसके कारण वर्ष 2017–18 के लिए आय एवं व्यय खातों में व्यय को अधिक दिखाया गया है तथा निवल परिसंपत्तियों में 0.28 लाख रूपये (0.40 लाख माइनस) 6 माह के लिए 60 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास 0.12 लाख रूपये घटाकर दर्षाया गया है।

4.2.2: रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली द्वारा 0.34 लाख रूपये में क्रय किया गया यू. पी. एस. अनुसूची–8 नियत परिसंपत्ति में दर्शाया गया है, इस पर 5 प्रतिशत (सितंबर माह के बाद क्रय किये जाने के कारण 10 प्रतिशत की दर से 1/2 मूल्यह्रास) के बजाए 30 प्रतिशत की दर से (सितम्बर माह के बाद क्रय किये जाने के कारण 60 प्रतिशत की दर से 1/2 मूल्यहास) अधिभार किया गया है जिसके कारण 0.80 लाख रूपये का अधिक चार्ज दिखाया गया है, जिससे आगे नियत परिसंपत्ति कम दर्शाई गई तथा इसी सीमा तक व्यय में अधिक दशाया गई है।

4.2.3: चार प्रभागों नामतः भुवनेश्वर, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर ने एक फोटो कॉपी मशीन तथा स्टैबलाइजर, ए.सी., यू.पी.एस., इंवरटर एवं ल्यूमिनस बैटरी सहित 12 वस्तुओं का क्रय किया जिसके लिए 1.15 लाख रूपये रूप का भुगतान किया गया। इन्हें ठीक से वर्गीकृत नहीं किया गया है, या कम्प्यूटर एवं आनुषंगिक उपकरणों या कार्यालय उपस्कर में रखा गया है। 0.07 लाख रूपये का गलत मूल्यह्रास का अधिभार (0.06 लाख रूपये (10 प्रतिशत की जगह 15 प्रतिशत का अधिभार लिया गया), 10 प्रतिशत की जगह 60 प्रतिशत 0.007 लाख रूपये अधिभार, लिया गया जिसके कारण नियत परिसंपत्तियों को कम दर्शाया गया जिससे 0.07 लाख रूपये तक अधिक व्यय दर्शाया गया।

4.2.4: रा.ज.वि.अ. की बैंक जमाओं पर टी. डी. एस. कटौती के कारण रा.ज.वि.अ. को 3.81 लाख रूपये कम देय प्राप्त हुआ है। इस राशि को अनुसूची–11, वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम में नहीं दर्शाया गया है जिसके कारण पूंजीकृत पूंजी में 3.81 लाख रूपये तक कम दर्शाया गया ।

5- vk; ,o 0;; y[kk

5-1 0;;&68-82 djkM : i;

5.1.1 रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली के वार्षिक खातों में 1.35 लाख रूपये की उपयोज्य सामग्री को नहीं दर्शाया गया है जिसके कारण वर्तमान परिसंपत्तियों में 1.35 लाख रूपये की कमी आई है तथा इतना ही व्यय में अधिक दर्शाया गया है। आगे, अन्वेषण प्रभाग भुवनेश्वर में 0.16 लाख रूपये मूल्य के 4

काट्रेज, अन्वेषण प्रभाग कोलकाता अनुसूची–11 में कुल 0.43 लाख रूपये की कीमत वाली 28 वस्तुओं को 31 मार्च 2018 तक कार्यालयी उपयोग के लिए जारी नहीं किया गया जो भंडार में रखे हुए हैं (अनुलग्नक–क एवं ख)। इन मदों का अधिभार व्यय के रूप में दर्शाया गया है तथा 31 मार्च 2018 तक वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतिम शेष में नहीं दर्शाया गया है जिसके कारण वर्तमान परिसंपत्तियों में 0.59 लाख रूपये कम दर्शाया गया है तथा 0.59 लाख रूपये की राशि को अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–21) के अंतर्गत माइनर वर्क्स में राजस्व व्यय में अधिक दर्शाया गया है।

5.1.2 रा.ज.वि.अ. ने 19 वाहनों (नई दिल्ली में 06 वाहनों के लिए 0.58 लाख रूपये, हैदराबाद में 9 वाहनों के लिए 0.91 लाख रूपये तथा ग्वालियर में 4 वाहनों के लिए 0.57 लाख रूपये) के लिए 2.06 लाख रूपये का बीमा प्रीमियम पर व्यय किया है। इस व्यय में वर्ष 2018–19 के प्रीमियम की राशि 1.31 लाख रूपये सम्मिलित है। जबकि, इस पूर्व भुगतान को वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिमों (अनुसूची–11) में नहीं दर्शाया गया है। इस वजह से 1.31 लाख रूपये तक व्यय में अधिक दर्शाया गया है तथा इसी राशि तक वर्तमान परिसंपत्तियों में कम दर्शाया गया है।

5.2 आय 74.83 करोड़ रूपये

5.2.1 रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली ने लेखा शीर्ष वर्क्स–आई. ओ. आर. ए. के अंतर्गत अनुसूची–21 ''अन्य प्रशासनिक व्यय'' में 7.25 लाख रूपये का व्यय बुक किया है जबकि 'इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन' तकनीकी कोर समूह की ओर से जल पर कार्यशाला के आयोजन की मेजबानी करने के लिए 9.65 लाख रूपये प्राप्त हुए। शेष राशि 2.40 लाख रूपये अनुसूची–7 वर्तमान देयताओं में नहीं दर्शाई गई है, जिसके कारण वर्तमान देयताओं में कमी आई है तथा इसी सीमा तक आय में अधिक दर्शाया गया है।

5.2.2 रा.ज.वि.अ. अन्वेषण सर्किल वलसाड ने शेड्यूल बैंकों से बचत खातों पर अर्जित ब्याज के रूप में 1.94 लाख रूपये अनुसूची–17 के अंतर्गत आय एवं व्यय खातों में अर्जित ब्याज वाले कालम में दर्शाया है। लेकिन वर्ष 2017–18 के दौरान बैंक ने बचत खातों पर 1.72 लाख रूपये ब्याज के रूप में दिए हैं। परिणामस्वरूप, आय तथा व्यय खातों में 0.22 लाख रूपये अधिक दर्शाए गए हैं तथा इसी सीमा तक तुलन पत्र के देयताओं में पूंजीगत निधि में अधिक दर्शाया गया है।

5.2.3 रा.ज.वि.अ. भुवनेश्वर में 31 मार्च 2018 तक 0.77 लाख रूपये अर्जित ब्याज के रूप में आय एवं व्यय के रूप में अनुसूची–17 के अन्तर्गत आय एवं व्यय खातों में अर्जित ब्याज दर्शाया गया है। तथापि, वर्ष 2017–18 के लिए बचत/खाता एस. बी. आई. से 51032842805) की संवीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि उक्त खाते के सापेक्ष 0.99 लाख रूपये दिए गए हैं इसके कारण राजस्व आय में 0.22 लाख रूपये तक की कमी दर्शाई गई है।

5.2.4 31.03.2018 तक बचत/बैंक खातों पर प्राप्त 44785.00 रूपये (अन्वेषण प्रभाग, झांसी में 26461.00 रूपये तथा अन्वेषण प्रभाग ग्वालियर के लिए 18324.00 रूपये) की राशि को प्राप्त ब्याज के रूप में वर्ष 2017–18 की आय में नहीं दर्शाया गया है जिसके कारण वर्ष 2017–18 के लिए आय के रूप में 44785.00 रूपये की पूंजीकृत निधि के रूप में कम तथा इसी सीमा तक वर्तमान परिसंपत्तियों में कम दर्शाया गया है

5.2.5 दो प्रभागों नामतः ग्वालियर तथा झांसी में 31.03.2017 तक बैंक से प्राप्त वर्ष 2016–17 तक ब्याज के रूप के 0.48 लाख रूपये वर्ष 2017–18 में बुक किया गया है।

6- çkfIr;k rFkk Hkqxrku

6-1 çkfIr;k 104-84 djkM: i;s

6.1.1 अन्वेषण सर्किल, वलसाड ने बैंक जमाओं पर प्राप्त ब्याज के रूप में 1.94 लाख रूपये को ''प्राप्ति एवं भुगतान खातों'' की प्राप्तियां वाले कालम में दर्शाया है परन्तु नासिक प्रभाग ने 0.13 लाख रूपये की राशि को अपनी कैश बुक में नहीं दर्शाया है। यद्यपि बैंक ने 25.03.2018 को खाते में ब्याज की राशि डाल दी है चूंकि रा.ज.वि.अ. ने 2.07 लाख रूपये (1.94 लाख रूपये 0.13 लाख रूपये) के बजाय बैंक जमाओं से प्राप्त ब्याज के रूप में 1.94 लाख रूपये को प्राप्ति एवं भुगतान खातों की प्राप्तियों में दर्शाया गया है, इसके कारण प्राप्ति एवं भुगतान खातों की प्राप्तियों में 0.13 लाख रूपये तक कम दर्शाया गया है तथा इसी सीमा तक ''परिसंपत्तियों'' में ''वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों'' में कम दर्शाया गया है।

7- lkekU;

7.1 दिनांक 26.07.2016 को 2547.00 रूपये की राशि का एक चैक (अनुसूची–11) जारी किया गया परंतु 31 मार्च 2018 तक इससे नकदी का आहरण नहीं हुआ। उक्त राशि की कैश बुक में नहीं दर्शाई गई, इसके कारण बैंक में कैश में 2547.00 रूपये की राशि वर्तमान परिसंपत्तियों में कम दर्शाई गई तथा देयताओं में भी इतनी ही राशि कम दर्शाई गई।

7.2 रा.ज.वि.अ., दिल्ली ने 12 चैक जारी किए जिनकी कुल राशि 6.50 लाख रूपये है, जिन्हें मार्च 2018 तक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः भुगतान लंबित हैं। दो आई. पी. ओ. कैश बुक में दर्शाए गए हैं, परंतु बैंक में प्राप्त नहीं हुए हैं। 6 चैक, जिनकी कुल राशि 0.59 लाख रूपये है, जारी किए गए वे बैंक को प्राप्त हुए, परन्तु कैश बुक में उन्हें नहीं दर्शाया गया है। 0.22 लाख रूपये की राशि का एक चैक बैंक में जमा किया गया परन्तु अभी तक समाशोधन नहीं हुआ है।

7.3 रा.ज.वि.अ., अन्वेषण सर्किल, वलसाड ने नासिक प्रभाग के अंतर्गत प्राप्त 3740 रूपये को आय एवं व्यय खातों के '' अर्जित ब्याज'' के अंतर्गत क्रम संख्या 3 (क) अग्रिमों पर कर्मचारी/कर्मचारी ब्याज अनुसूची–17 में दर्शाया है। परन्तु यह टैंडर, रद्दी अखबार की बिक्री से अर्जित आय है, इस लिए इसे अनुसूची–18 के 'अन्य आय' में दर्शाना चाहिए जो क्रमशः क्रम संख्या 4 एवं 5 पर विविध आय एवं रद्दी अखबार विक्रय की प्राप्ति के लिए है। परिणामस्वरूप अनुसूची –17, अर्जित ब्याज में 3740 रूपये अधिक दर्शाए गए है तथा इसी राशि तक अनुसूची–18 में अन्य आय को कम दर्शाया गया है।

उपनिदेशक (ई ए)

31 ekp 2018 dks lekIr o"kZ ds fy, jk"Vªh; ty fodkl vfHkdj.k ¼jk-t-fo-v-½ ubZ fnYyh ds [kkrksa ij Hkkjr ds fu;a=d ,oa egkys[kk ijh{kd dh vyx ys[kk ijh{kk ds mÙkj

d- ifjlaifÙk;ka d-1 fu;r ifjlaifÙk;ka 3-14 djksM+ :i;s राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली ने पालिका भवन स्थित कार्यालय के लिए एयर कंडीशनर, फर्नीचर, फायर अलार्म तथा एक्जास्ट फैन्स पर 55.12 लाख रूपये व्यय किया है। परंतु इसे पूंजीकृत नहीं किया है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने एल.ई.डी. टीवी, आयल फिल्ड रेडिएटर, हीटर आदि के क्रय पर 18.52 लाख रूपये व्यय किए हैं। इस राशि को फर्नीचर एवं जुड़नार के अंतर्गत अनुसूची–8 पर नियत परिसंपत्तियों के बजाय आय एवं व्यय खातों में दर्शाया गया है तथा छमाही आधार पर 5 प्रतिशत की दर से 2.76 लाख रूपये एवं 0.93 रूपये मूल्यह्रास का अधिभार किया गया है। इसके कारण 69.96 लाख रूपये की व्यय राशि अधिक दर्शाई गई है तथा इतनी ही राशि को नियत परिसंपत्तियों में कम दर्शाया गया है।	माननीय उच्चतम न्यायालय ने समादेश याचिका (सिविल) सं. 512 वर्ष 2002 ''नदियों के अंतर्योजन'' तथा समादेश याचिका (सिविल) सं. 668 वर्ष 2002 के मामले पर दिनांक 27.02.2012 के अपने निर्णय में भारत संघ विशेषकर जल संसाधन मंत्रालय को नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के लिए माननीय मंत्री, जल संसाधन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निदेश दिया। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने दिनांक 23 सितंबर 2014 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा ''नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति'' का गठन किया। माननीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के जल संसाधन विभागों के प्रधान सचिवों तथा जल संसाधन के विशेषज्ञ नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति के सदस्य हैं। 4 विशेष उप समितियों नामतः (i) नदी जोड़ मुद्दे पर उपलब्ध विभिन्नि अध्ययनों/रिपोर्टों के समेकित मूल्यांकन के लिए उप समिति (पप) सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना को अभिज्ञात करने के लिए प्रणाली अध्ययनों पर उप समिति (iii) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के संस्थागत ढांचे के पुनगर्ठन के लिए उप समिति (iv) संबंधित राज्यों के बीच मध्यस्थता तथा अनुबंध द्वारा मतैक्यता स्थापित कराने पर उप–समिति के गठन का निर्णय लिया गया । जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के दिनांक 13.02.2015 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा उप–समितियों का गठन किया गया। केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने अपनी 24 जुलाई, 2014 को आयोजित बैठक में 'नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति' के गठन को मंजूरी देते समय निर्देश दिया था कि नदियों के अंतर्योजन से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन किया जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुदेशों के अनुपालन में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने दिनांक 13 अप्रैल, 2015 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा श्री बी.एन. नवलावाला, मुख्य सलाहकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्यक्षता में नदियों के अंतर्योजन पर एक कार्यबल का गठन किया। यह कार्यबल नदियों के अंतर्योजन के क्रियान्वयन के संबंध में नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की सहायता करेगा।

उपरोक्त समिति/उपसमिति/ कार्यबल के सचिवालय कार्यालय के लिए पालिका भवन स्थित कार्यालय का तृतीय तल एन. डी. एम. सी. से किराये पर लिया गया था। इसमें 'नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति' का कार्यालय स्थापित किया गया। 'नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति' की यूनिट के लिए केवल निर्माण कार्य शीर्ष के अंतर्गत बजट का आबंटन किया गया था। इसलिए 'नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति' के सभी कार्यों पर व्यय को निर्माण कार्य शीर्ष में बुक किया गया था। उचित रूप से वस्तुसूची का रख–रखाव किया जा रहा है तथा वस्तुसूची में सभी मदों को दर्शाया जा रहा है।

तथापि लेखा परीक्षा द्वारा दिए गए पर्यवेक्षणों को नोट किया जाता है तथा भविष्य में जो भी क्रय किया जाएगा उसे 'नदियों के अंतर्योजन पर विशेष समिति' की नियत परिसंपत्तियों के व्यय में रखा जाएगा।

अतः पैरा छोड़ा जा सकता है।

[k- çkfIr rFkk Hkqxrku

ख.1 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण हैदराबाद कार्यालय ने 16.95 करोड़ रूपये भारत सरकार से प्राप्त कुल अनुदान दर्शाया है। जिसका विवरण इस प्रकार हैः

Ø-l-	fooj.k	jkf'k ¼djksM+ :i;s esa½
1.	राजविअ (मुख्या.), नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान	14.181
2.	योगः अंशदायी भविष्य निधि से वसूली	2.705
3.	योगः जी एस एल आई एस से वसूली	0.035
4.	योगः नई पेंशन योजना से वसूली	0.026
	कुल	16.947

यद्यपि राष्ट्रीय जल विकास अभिकण को अनुदान सहायिकी के रूप में केवल 14.18 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं जिसमें मुख्यालय से वास्तविक नकदी प्रवाह के बिना प्राप्ति एवं भुगतान खानों में अंशदायी भविष्य निधि, जी. एस. एल. आई. एस. तथा नई पेंशन योजना से वसूली गई कुल राशि 2.77 करोड़ रूपये भी शामिल किया गया है। वास्तव में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) में प्राप्त सभी कर्मियों के अंशदायी भविष्य निधि तथा जी.एस.एल.आई.एस. खातों का रख रखाव मुख्यालय, नई दिल्ली में किया जाता है। प्रत्येक प्रभाग/डी डी ओ द्वारा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) कर्मचारियों के वेतन से अंशदायी भविष्य निधि, नई पेंशन योजना तथा जी.एस.एल.आई.एस. के लिए कटौती की गई राशि उनके संबंधित खातों में अंतरित करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) मुख्यालय, नई दिल्ली को भेजा जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा प्रभागों को अनुदान सहायिकी जारी की जाती है। प्रभागों द्वारा मुख्यालय को निधि के भौतिक अंतरण से बचने के लिए प्रभाग वसूली/कटौती का विवरण रखते हैं तथा उनका शेड्यूल मुख्यालय को भेज देते हैं। अनुदान सहायिकी अंतरण करने पर जरनल में इसकी आवश्यक प्रविष्टि करके प्रभागों द्वारा पास की जाती है तथा उस राशि तक अनुदान सहायिकी में वृद्धि की जाती है। इसी प्रकार मुख्यालय भी प्रभागों को अनुदान सहायिकी राशि की कटौती पास करेगा तथा अंशदायी भविष्य निधि, जी.एस.एल.आई.एस. नई पेंशन योजना की कटौती में डालता है। नकदी लेन देन से बचने के लिए ऐसा किया जा रहा है तथा लेखा प्रणाली इससे प्रभावित नहीं होती है।

अतः पैरा छोड़ा जा सकता है।

को 2.77 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त नहीं हुई है। जिसके कारण प्राप्तियों में 2.77 करोड़ रूपये तक अधिक दर्शाया गया है तथा कम दर्शाई गई देयताओं के लेखा समाधान की आवश्यकता है।	
x- lkekU;% **¼i½ lsokfuo`fÙk isa'ku] xzsP;qVh] vodk'k udnhdj.k ds fy, ns;rkvksa dk çko/kku** राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने अनुसूची 7 में अवकाश नकदीकरण, अनुदान आदि को केन्द्रीय स्वयत्तशासी निकायों के लेखों के लिए निर्धारित सामान्य फार्मेट तथा सामान्य फार्मेट के निदेशों पर नोट के अनुसार नहीं दर्शाया गया है। सेवानिवृत्ति, पेंशन, अनुदान तथा अवकाश नकदीकरण की देयताओं को वास्तविक आधार पर तैयार करने की आवश्यकता है तथा अनुसूची–7 के अंतर्गत दर्शाई गयी राशि का प्रावधान वर्तमान देयताओं और प्रावधानों में करने की आवश्यकता है। वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार लेखा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के भाग पर देयताओं की स्थिति को नहीं दर्शाया गया है।	सेवानिवृत्ति के समय भुगतान करने के लिए अलग से सेवानिवृत्ति व उपदान निधि बनाई गई थी। चूंकि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने दिनांक 27.03.2018 के संस्वीकृति आदेश संख्या एन 67025 (132)/1/2017–बी एम अनुभाग 320–26 द्वारा निदेश दिया है कि भविष्य में उपदान तथा सेवानिवृत्ति निधि का प्रावधान नहीं किया जाये। यह अनुभव किया गया कि अनुसूची–7 के अंतर्गत किसी देयता को तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पैरा छोड़ा जा सकता है।
(ii) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली 01.06.2017 से 31.03.2018 तक के बैंक लेखा विवरण का अपनी रोकड़ बही के साथ समाधान नहीं कर पाया है, जिसके कारण लेखा परीक्षा में लेन देन की सत्यता/प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी है।	31.03.2018 तक बैंक लेखा समाधान विवरण तैयार किया गया है और अगली लेखा परीक्षा में दिखया जायेगा। अतः पैरा छोड़ा जा सकता है।
(iii) वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए तैयार किए गए फार्मेट के अनुसार राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, दिल्ली में परिसंपत्तियों का वर्गीकरण नहीं किया है। वित्त मंत्रालय के निदेशानुसार यूपीएस प्रणाली को ''फर्नीचर एवं जुड़नार'' उपशीर्ष में रखा जाना चाहिए जबकि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने इसे ''कंप्यूटर तथा आनुषांगिक उपकरण'' के रूप में वर्गीकृत किया है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, दिल्ली ने एक्वागार्ड को ''कार्यालय उपस्कर'' शीर्ष में रखा है जबकि इसे ''फर्नीचर एवं जुड़नार'' उपशीर्ष में रखना चाहिए था। आगे इलेक्ट्रिक सामान/बिजली तथा अन्य सामानों को ''इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन'' उपशीर्ष में रखा जाना चाहिए जबकि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण दिल्ली में ''इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन'' के नाम से कोई उपशीर्ष नहीं है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण में इसके कारण नियत परिसंपत्तियों का गलत वर्गीकरण हुआ है।	लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार वर्तमान वर्ष से यू.पी.एस. एवं एक्वागार्ड के संबंध में संपत्तियों के वर्गीकरण किए जाएगें। अतः पैरा छोड़ा जा सकता है।

(iv) संस्थान में आय कर अधिनियम में निहित मूल्यह्रास दर के अनुसार कंप्यूटर संबंधी सामग्री एवं तकनीकी पुस्तकों पर मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है।	महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) के अनुमोदन से कंप्यूटर उपकरणों तथा तकनीकी पुस्तकों पर उनके मूल्यों के अनुसार मूल्यह्रास का अधिभार कंप्यूटर उपकरणों पर 60 प्रतिशत तथा तकनीकी पुस्तकों पर 60 प्रतिशत किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष से आयकर विभाग के दर से इसे अधिभार किया जाएगा।
?k- lgk;rk vuqnku राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को सहायता अनुदान के रूप में 74.99 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त 25.27 करोड़ रूपये लंबित राशि (pending balance) तथा अन्य 4.58 करोड़ रूपये अन्य प्राप्तियों के रूप में प्राप्त हुये हैं। कुल उपलब्ध रूपये 104.84 करोड़ रूपये में से राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने 97.35 करोड़ रूपये का भुगतान किया है तथा 7.50 करोड़ रूपये बैंक में जमा हैं।	यह विवरण सत्य है।

çc/ku i= d vuqyXud&1 dk mÙkj

1- vkfjd y[kkijh{kk dh i;kIrrk (i) जल संसाधन मंत्रालय (ज.सं.मं.) ने 13 से 17 अप्रैल, 2017 तक आंतरिक लेखापरीक्षा किया तथा समायोजन के लिए 24 पैरा लंबित हैं ।	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2017 तक किए गए आंतरिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक 10.07.2018 को प्राप्त हुई है। इसके उत्तर के लिए मुख्यालय के सभी अनुभागों को इसे परिचालित किया गया। इसका जवाब शीघ्र ही मंत्रालय को भेज दिया जाएगा।
(पप) रा.ज.वि.अ. की आंतरिक लेखा परीक्षा विंग ने 5 सर्किलों और 17 प्रभागों में से वर्ष 2017–18 में 1 सर्किल (वलसाड) एवं 5 प्रभाग (वलसाड, कोलकाता, हैदराबाद, नासिक तथा चेन्नई) की आंतरिक लेखा परीक्षा की है।	यह विवरण सत्य है।
2- vkfjd fu;=.k ç.kkyh dh i;kIrrk रा.ज.वि.अ. की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में चूंकि कमियां पाई गई हैं, अतः निम्नलिखित सुधार की संभावना हैः	
(i) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली ने वार्षिक खातों के लिए केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के निर्धारित समान फार्मेट का अनुपालन नहीं किया है, तथा लेखों में अनुसूची 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 22 एवं 23 को संलग्न नहीं किया है।	ये सभी शेड्यूल राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) से संबंधित नहीं हैं। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज. वि.अ.) मांगे गए शेड्यूल के अनुसार कार्य नहीं करता है। अतः इन सभी शेड्यूलों को छोड़ा जा सकता है।
(ii) नई दिल्ली मुख्यालय तथा हैदराबाद में जी. ए. आर 3 में कैश बुक का रख–रखाव नहीं किया गया है।	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) व्यावसायिक लेखा प्रक्रिया का पालन करता है। इसलिए कैशबुक का रख रखाव व्यावसायिक लेखा प्रक्रिया के अनुरूप किया जा रहा है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) एक स्वायत्तशासी संगठन है, यह भारत सरकार का कोई विभाग नहीं है। इसलिए कैशबुक का रख रखाव जी.ए.आर.–3 में नहीं किया जा सकता।
(iii) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली में कैश बुक, लेजर तथा अन्य लेखों को हाथ से ही तैयार किया है तथा इन लेखों में पेंसिल से कुल एवं अंतिम राशि दर्शाई गई है जो अस्थाई प्रतीत होती है।	नोट किया गया। यह भविष्य में स्याही से अंकित किया जाएगा।
(iv) रोकड़िया ने प्राप्त नकद राशि को 3 से 11 दिनों के बाद बैंक में जमा किया है।	कार्य की अधिकता होने के कारण रोकड़िया के लिए कभी–कभी प्रतिदिन नकद जमा प्राप्ति जारी करना संभव नहीं हो पाता है। तथापि, भविष्य में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.), लेखा परीक्षा के पर्यवेक्षणों का अनुपालन करेगा।

(v) कार्य नियंत्रण रजिस्टर, ई. एम. डी. रजिस्टर, अनुबंध रजिस्टर तथा अनुबंध रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है।	ई.एम.डी. रजिस्टर का रख रखाव किया जाता है इसे अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाएगा। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) कार्य नियंत्रण रजिस्टर, अनुबंध रजिस्टर का रख रखाव करेगा तथा अगली लेखा परीक्षा में इसे दिखाया जाएगा।
(vi) बहुमूल्य वस्तुओं का रजिस्टर (जी.ए.आर.–5), एसेशन रजिस्टर (जी.एफ.आर.–18), उपयोग योग्य वस्तुओं का रजिस्टर तथा निवेश रजिस्टर निर्धारित प्रोफार्मा में तैयार नहीं किया गया है।	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.), साकेत कार्यालय मुख्यालय में उपयोज्य वस्तुओं के भंडार रजिस्टर तथा व्यय रजिस्टर का रख–रखाव किया जा रहा है तथा इन्हें अगली लेखा परीक्षा में दिखाया जाएगा। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) बहुमूल्य (जी.ए.आर.–5) का रख रखाव करेगा तथा अगली लेखा परीक्षा में इसे दिखाया जाएगा।
(vii) हैदराबाद में नकदी का औचक निरीक्षण नहीं किया जा रहा है।	इस समय, वर्ष 2018–19 के लिए सामान्य खातों के लिए अलग बैंक खाता खोला गया है। वेतन तथा सामान्य खाते में शेष नकद शून्य है, क्योंकि सभी प्रकार के भुगतान आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. द्वारा किए जाते हैं।
(viii) कंप्यूटर अग्रिम जैसे दीर्घ कालीन अग्रिमों की ब्रॉडशीट नहीं तैयार की गई है। ब्रॉडशीट न होने की स्थिति में लेखा परीक्षा में हैदराबाद में तुलन पत्र में दर्शाए गए दीर्घ कालीन अग्रिमों के अंतिम शेष की सत्यता का अनुमान नहीं लगाया जा सका ।	एक और कैश बुक अग्रदाय तथा अस्थाई अग्रिम के भुगतान के लिए सहायक कैश बुक का रख–रखाव किया जा रहा है। लेखा परीक्षा के अनुदेशों के अनुसार सहायक कैश बुक के नकद शेष का औचक निरीक्षण किया जाएगा। अतः पैरा छोड़ा जा सकता है।
(ix) अन्य विभिन्न संगठनों से हैदराबाद सर्किल को अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान के रूप में 4.50 लाख रूपये मिलना अपेक्षित है। इसमें कई वर्षों के दौरान 20 मदें शामिल हो गई हैं। लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि कुल 20 मदों में से 14 मदें 10 वर्षो से अधिक समय की हैं तथापि सर्किल ने इन संदिग्ध वसूलियों से संबंधित अशोध्य कर्ज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। आगे, वर्ष 2017–18 के वार्षिक रिपोर्ट के कॉलम बी एवं सी की अनुसूची 11 के अंतर्गत ''वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम'' में दिए गए विवरणों के अनुसार राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण अन्वेषण सर्किल, ग्वालियर ने विभिन्न निजी पार्टियों तथा रा.ज.वि.अ. के कर्मचारियों को दिए गए 669.64 लाख रूपये को अग्रिम समायोजित नहीं किया है तथा जिसमें से 6.44 लाख रूपये 5 से 35 वर्षों से शेष हैं जिन्हें अनुलग्नक 'क' पर दिया गया है।	वर्ष 2018–19 से इसका रख–रखाव किया जाएगा। अतः पैरा छोड़ा जा सकता है। इसके शीघ्र ही समायोजन के लिए प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मियों के मूल विभाग से इस मुद्दे पर बहुत तेजी से संपर्क किया जा रहा है। अतः पैरा छोड़ा जा सकता है। सर्किल कार्यालय ग्वालियर तथा उसके अधीन कार्य कर रहे संबंधित कार्यालय एवं उच्च कार्यालय शेष अग्रिमों के पूर्ण एवं अंतिम समाधान के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं।

(ग) नई दिल्ली तथा हैदराबाद में जी. एफ. आर. 22 के अनुसार परिसंपत्तियों के रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रहा है अतः मार्च 2018 तक उपलब्ध विशिष्ट प्रकार की परिसंपत्तियों की वास्तविक संख्या, विशेष वर्ष में क्रय की गई परिसंपत्तियों की संख्या तथा परिसंपत्तियों की मूल्यह्रास की कीमतों संबंधी विवरण का आकलन नहीं जा सका।	वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए परिसंपत्तियों का रजिस्टर तैयार किया जा रहा है। इसे अगली लेखा परीक्षा में दिखाया जाएगा। अतः पैरा छोड़ा जा सकता है।
3- lifÙk lph d Hkkfrd lR;kiu dh ç.kkyh (क) वर्ष 2017–18 तक की परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया । फिर भी रा.ज.वि.अ. नई दिल्ली द्वारा चिन्हित परिसंपत्तियों का निपटान अभी होना है। ¼[k½ ifjlifÙk;k d Hkkfrd lR;kiu dh ç.kkyh वलसाड के अतिरिक्त, वर्ष 2017–18 तक स्टेशनरी एवं उपयोग्य वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन किया गया है ।	परिसंपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया प्रगति पर है। अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., वलसाड के स्टेशनरी एवं उपयोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
4- lkfof/kd n;rkvk dk fu;fer Hkxrku राष्ट्रीय जल विकस अभिकरण सांविधिक देयताओं का नियमित भुगतान करता है।	यह विवरण सत्य है।

vuqyXud&^d* dk mÙkj

(1) रा.ज.वि.अ., अन्वेषण प्रभाग, भोपाल ने बोलेरो वाहन के रजिस्ट्रेशन तथा नम्बर प्लेट पर 1200 रूपये व्यय किए। तथापि इस राशि को पूंजीकृत नहीं किया गया है, जिसके कारण 1200 रूपये को नियत परिसंपत्तियों (मोटर वाहन) में कम दर्शाया गया है। आगे, 180.00 रूपये का मूल्यह्रास (15 प्रतिशत की दर पर पूरे वर्ष) का भी व्यय शीर्ष के अंतर्गत अधिभार नहीं किया गया है जिसके कारण खर्च में कम दर्शाया गया है] इस सीमा तक पूंजीगत निधि में अधिक दर्शाया गया है।	अब वर्ष 2018–19 के दौरान परिसंपत्तियों के अंतर्गत व्यय को बुक किया जाएगा। अतः पैरा छोड़ा जा सकता है।
(2) रा.ज.वि.अ., अन्वेषण सर्किल, वलसाड ने अनुसूची–11 में ''ऋण अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियों को बी के अंतर्गत प्राप्त दावे (अवकाश वेतन)'' वर्तमान देयताओं ऋण तथा अग्रिमों के अंतर्गत 7.11 लाख रूपये दर्शाए हैं। यह राशि प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्य कर चुके विभिन्नि कार्यालयों के 09 अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश वेतन अंशदान से संबंधित है। वसूली न किए जाने के कारण ;वार्षिक लेखों में प्राप्ति) तथा दावों के अंतर्गत बार–बार दर्शाये जाने के कारण सच्चा और निष्पक्ष निर्णय नहीं लिया जा सकता । मूल कार्यालयों से अवकाश वेतन अंशदान की वसूली न हो पाने के कारण वर्तमान परिसंपत्तियों में इसे बढ़ा कर दिखाया गया है।	समय–समय पर अनुस्मारक जारी कर प्रयास किए जा रहे हैं। इस राशि की वसूली/वापसी के लिए उनके मूल विभागों को डी.ओ. पत्र जारी किया गया है। परिणाम आने पर लेखा परीक्षा को सूचित किया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए पैरा छोड़ा जा सकता है।
(3) रा.ज.वि.अ., हैदराबाद ने अन्य सर्किलों से 12.13 लाख रूपये की परिसंपत्तियां प्राप्त की हैं तथा नियमित आधार पर अन्य सर्किलों को 33.36 लाख रूपये की परिसंपत्तियां अंतरित की है। प्राप्तियों पर नियत परिसंपत्तियों में परिसंपत्तियों की कीमत जोडी गई है लेकिन व्यावहारिक रूप से पूंजीगत निधि को नहीं जोड़ा गया तथा नियत परिसंपत्तियों से अंतरण पर परिसंपत्तियों की कीमत घटा दी गई है, व्यावहारिक कीमत पूंजीगत निधि से नहीं घटाई गई। चूंकि परिसंपत्तियां प्राप्त हुईं और नियमित आधार पर उन्हें अंतरित किया गया तथा उन परिसंपत्तियों को वापिस करने का रा.ज.वि.अ. का कोई दायित्व नहीं हैं, देयताओं के अंतर्गत 12.13 लाख रूपये की अलग से प्रवृष्टि गलत है तथा 33.36 लाख रूपये अधिक दर्शाए गए हैं जो क्रमशः ''अन्य सर्किलों से परिसंपत्तियों की प्राप्ति'' तथा परिसंपत्तियों का अंतरण है।	रा.ज.वि.अ., मुख्यालय के तुलनपत्र को समेकित करते समय अंतरित परिसंपत्तियो/प्राप्तियों की कीमत को हटा दिया जाता है। अतः पैरा छोड़ा जा सकता है।

4- r|yu&i= 4-1 orZeku ns;rk,¡ 4-29 djksM+ :i;s रा.ज.वि.अ., अन्वेषण सर्किल, वलसाड कार्यालय के भंडार का किराया बिल (जनवरी से मार्च 2018 तक) 0.03 लाख रूपये तथा कार्यालय भवन जी. एस. टी. प्रतिपूर्ति बिल 0.08 लाख रूपये (फरवरी व मार्च 2018) 31 मार्च 2018 तक भुगतान करना था, को बकाया किराये में नहीं जोड़ा गया था। जिसके कारण तुलनपत्र के देयताओं वाले कॉलम में 0.11 लाख रूपये की वर्तमान देयताओं में कमी दर्शाई गई है।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया। अतः पैरा छोड़ा जा सकता है।
4-2% ifjlaifÙk;k¡ 4.2.1: रा.ज.वि.अ., अन्वेषण प्रभाग, भोपाल ने सॉफ्टवेयर ''एम एस ऑफिस होम तथा बिजनेस 2016'' क्रय किया है जिसकी कीमत 0.41 लाख रूपये है (जी एस टी सहित)। रा.ज.वि.अ. में इस राशि को पूंजीकृत न करके बल्कि वर्ष 2017–18 के लिए आय एवं व्यय लेखा में राजस्व व्यय के रूप में सॉफ्टवेयर की कीमत को अधिभारित किया है। इसके कारण वर्ष 2017–18 के लिए आय एवं व्यय खातों में व्यय को अधिक दिखाया गया है तथा निवल परिसंपत्तियों में 0.28 लाख रूपये (0.40 लाख माइनस) 6 माह के लिए 60 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास 0.12 लाख रूपये घटाकर दर्शाया गया है।	चूंकि रा.ज.वि.अ. के अनिवार्य कार्यो को आगे बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इसे मुख्य शीर्ष ''निर्माण'' में बुक किया जाता है इसलिए सॉफ्टवेयर के क्रय को राजस्व व्यय में रखा गया है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण, समय बीतने के साथ–साथ सॉफ्टवेयर अप्रचलित हो जाते हैं। इसलिए निर्माण के अतंर्गत सॉफ्टवेयर को राजस्व व्यय में बुक करना तर्क संगत है। अतः पैरा छोड़ा जा सकता है।
4.2.2: रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली द्वारा 0.34 लाख रूपये में क्रय किया गया यू. पी. एस. अनुसूची–8 नियत परिसंपत्ति में दर्शाया गया है, इस पर 5 प्रतिशत (सितंबर माह के बाद क्रय किये जाने के कारण 10 प्रतिशत की दर से 1/2 मूल्यह्रास) के बजाए 30 प्रतिशत की दर से (सितम्बर माह के बाद क्रय किये जाने के कारण 60 प्रतिशत की दर से 1/2 मूल्यह्रास) अधिभार किया गया है जिसके कारण 0.80 लाख रूपये का अधिक चार्ज दिखाया गया है, जिससे आगे नियत परिसंपत्ति कम दर्शाई गई तथा इसी सीमा तक व्यय में अधिक दशाया गई है।	अगले वित्त वर्ष 2018–19 में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। आगे, लेखा परीक्षा द्वारा सुझावों का भविष्य में अनुपालन किया जाएगा। सभी समायोजित प्रवृष्टियों के बाद अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाएगा।

4.2.3: चार प्रभागों नामतः भुवनेश्वर, भोपाल, ग्वालियर, जयपुर ने एक फोटो कॉपी मशीन तथा स्टैबलाइजर, ए.सी., यू.पी.एस., इंवरटर एवं ल्यूमिनस बैटरी सहित 12 वस्तुओं का क्रय किया जिसके लिए 1.15 लाख रूपये रूप का भुगतान किया गया। इन्हें ठीक से वर्गीकृत नहीं किया गया है, या कम्प्यूटर एवं आनुषंगिक उपकरणों या कार्यालय उपस्कर में रखा गया है। 0.07 लाख रूपये का गलत मूल्यह्रास का अधिभार (0.06 लाख रूपये (10 प्रतिशत की जगह 15 प्रतिशत का अधिभार लिया गया), 10 प्रतिशत की जगह 60 प्रतिशत 0.007 लाख रूपये अधिभार, लिया गया जिसके कारण नियत परिसंपत्तियों को कम दर्शाया गया जिससे 0.07 लाख रूपये तक अधिक व्यय दर्शाया गया।	लेखा परीक्षा द्वारा परिसंपत्तियों के शीर्ष के गलत वर्गीकरण के संबंध में दी गई टिप्पणियों के अनुरूप सुधार किया जाएगा। अगले वित्तर वर्ष 2018–19 के अनुरूप मूलह्रास अधिभार किया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए पैरा छोड़ा जा सकता है।
4.2.4: रा.ज.वि.अ. की बैंक जमाओं पर टी. डी. एस. कटौती के कारण रा.ज.वि.अ. को 3.81 लाख रूपये कम देय प्राप्त हुआ है। इस राशि को अनुसूची–11, वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम में नहीं दर्शाया गया है जिसके कारण पूंजीकृत पूंजी में 3.81 लाख रूपये तक कम दर्शाया गया ।	3.81 लाख रूपये की वापसी के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (रा.ज.वि.अ.) आई.टी.आर फाइल कर रहा है जिसे अगले लेखा परीक्षा में दिखाया जाएगा। उपरोक्त को ध्याान में रखते हुए पैरा छोड़ा जा सकता है।
5- vk; ,oa 0;; y[kk 5-1 0;; & 68-82 djksM: i;s 5.1.1 रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली के वार्षिक खातों में 1.35 लाख रूपये की उपयोज्य सामग्री को नहीं दर्शाया गया है जिसके कारण वर्तमान परिसंपत्तियों में 1.35 लाख रूपये की कमी आई है तथा इतना ही व्यय में अधिक दर्शाया गया है। आगे, अन्वेषण प्रभाग भुवनेश्वर में 0.16 लाख रूपये मूल्य के 4 काट्रेज, अन्वेषण प्रभाग कोलकाता अनुसूची–11 में कुल 0.43 लाख रूपये की कीमत वाली 28 वस्तुओं को 31 मार्च 2018 तक कार्यालयी उपयोग के लिए जारी नही किया गया जो भंडार में रखे हुए हैं (अनुलग्नक–क एवं ख)। इन मदों का अधिभार व्यय के रूप में दर्शाया गया है तथा 31 मार्च 2018 तक वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतिम शेष में नहीं दर्शाया गया है जिसके कारण वर्तमान परिसंपत्तियों में 0.59 लाख रूपये कम दर्शाया गया है तथा 0.59 लाख रूपये की राशि को अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची–21) के अंतर्गत माइनर वर्क्स में राजस्व व्यय में अधिक दर्शाया गया है।	लेखा परीक्षा के सुझाव नोट कर लिए गए हैं भविष्य में इनका अनुपालन किया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए पैरा छोड़ा जा सकता है।

5.1.2 रा.ज.वि.अ. ने 19 वाहनों (नई दिल्ली में 06 वाहनों के लिए 0.58 लाख रूपये, हैदराबाद में 9 वाहनों के लिए 0.91 लाख रूपये तथा ग्वालियर में 4 वाहनों के लिए 0.57 लाख रूपये) के लिए 2.06 लाख रूपये का बीमा प्रीमियम पर व्यय किया है। इस व्यय में वर्ष 2018–19 के प्रीमियम की राशि 1.31 लाख रूपये सम्मिलित है। जबकि, इस पूर्व भुगतान को वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण तथा अग्रिमों (अनुसूची–11) में नहीं दर्शाया गया है। इस वजह से 1.31 लाख रूपये तक व्यय में अधिक दर्शाया गया है तथा इसी राशि तक वर्तमान परिसंपत्तियों में कम दर्शाया गया है।	रा.ज.वि.अ. एक अनुदान ग्राही संस्थान है, यह लाभ कमाने वाला निकाय नहीं है। यह नकद आधार पर लेखों का रख रखाव कर रहा है। यह सोसाइटी के आय/व्यय पर प्रभाव नहीं डालता है। यहां तक कि बीमा की पूरी राशि के भुगतान को जिस वर्ष किया गया है उसे उस वर्ष व्यय के रूप में दर्शाया गया है। अतः पैरा छोड़ा जा सकता है।
5-2 vk; 74-83 djkM :i; 5.2.1 रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली ने लेखा शीर्ष वर्क्स–आई. ओ. आर. ए. के अंतर्गत अनुसूची–21 ''अन्य प्रशासनिक व्यय'' में 7.25 लाख रूपये का व्यय बुक किया है जबकि 'इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन' तकनीकी कोर समूह की ओर से जल पर कार्यशाला के आयोजन की मेजबानी करने के लिए 9.65 लाख रूपये प्राप्त हुए। शेष राशि 2.40 लाख रूपये अनुसूची–7 वर्तमान देयताओं में नहीं दर्शाई गई है, जिसके कारण वर्तमान देयताओं में कमी आई है तथा इसी सीमा तक आय में अधिक दर्शाया गया है।	रा.ज.वि.अ. के अंतिम बैंक शेष में शेष राशि 2.40 लाख रूपये है तथा इसे वर्ष 2018–19 के तुलन–पत्र में वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को उपयोग प्रमाण पत्र पर दिया गया है। धन की वापसी के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से संपर्क किया जाएगा।
5.2.2 रा.ज.वि.अ. अन्वेषण सर्किल वलसाड ने शेड्यूल बैंकों से बचत खातों पर अर्जित ब्याज के रूप में 1.94 लाख रूपये अनुसूची–17 के अंतर्गत आय एवं व्यय खातों में अर्जित ब्याज वाले कालम में दर्शाया है। लेकिन वर्ष 2017–18 के दौरान बैंक ने बचत खातों पर 1.72 लाख रूपये ब्याज के रूप में दिए हैं। परिणामस्वरूप, आय तथा व्यय खातों में 0.22 लाख रूपये अधिक दर्शाए गए हैं तथा इसी सीमा तक तुलन पत्र के देयताओं में पूंजीगत निधि में अधिक दर्शाया गया है।	वर्ष 2017–18 में 2016–17 (पूर्व वर्ष) से संबंधित बचत बैंक खातों में ब्याज आने के कारण यह अंतर आया है। डी डी ओ, अन्वेषण सर्किल, वलसाड को इस संबंध में निदेश दिया गया है कि भविष्य में इस संबंध में ध्यान रखें। अतः पैरा छोड़ा जा सकता है।
5.2.3 रा.ज.वि.अ. भुवनेश्वर में 31 मार्च 2018 तक 0.77 लाख रूपये अर्जित ब्याज के रूप में आय एवं व्यय के रूप में अनुसूची–17 के अन्तर्गत आय एवं व्यय खातों में अर्जित ब्याज दर्शाया गया है। तथापि, वर्ष 2017–18 के लिए बचत/ खाता एस. बी. आई. से 51032842805) की संवीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि उक्त खाते के सापेक्ष 0.99 लाख रूपये दिए गए हैं इसके कारण राजस्व आय में 0.22 लाख रूपये तक की कमी दर्शाई गई है।	अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., कोलकाता के बचत बैंक खाता संख्या 51032842805 में दिनांक 25.03.2018 को ब्याज के रूप में 0.22 लाख रूपये अंतरित किया जिसे 31.03.2018 तक कैश बुक में नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि 31.03.2018 तक बैंक ने न तो सूचित किया और न ही पास बुक में इसकी प्रविष्टि ही की थी। तथापि पास बुक अद्यतन कराने के बाद अप्रैल 2018 में बचत बैंक पर अर्जित ब्याज 0.22 लाख रूपये की राशि को कैश बुक में दर्शाया गया है। भविष्य में दिशानिर्देश के लिए मामले को नोट किया गया है।

5.2.4: 31.03.2018 तक बचत/बैंक खातों पर प्राप्त 44785.00 रूपये (अन्वेषण प्रभाग, झांसी में 26461.00 रूपये तथा अन्वेषण प्रभाग ग्वालियर के लिए 18324. 00 रूपये) की राशि को प्राप्त ब्याज के रूप में वर्ष 2017–18 की आय में नहीं दर्शाया गया है जिसके कारण वर्ष 2017–18 के लिए आय के रूप में 44785. 00 रूपये की पूंजीकृत निधि के रूप में कम तथा इसी सीमा तक वर्तमान परिसंपत्तियों में कम दर्शाया गया है।	जैसे ही बैंक हमारे बचत बैंक खाते में वास्तविक ब्याज अंतरित करता है, इसे ध्यान में रखा जाएगा। तद्नुसार, अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., ग्वालियर, झांसी ने उस वित्त वर्ष में ब्याज की राशि खाते में दर्शाया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए पैरा छोड़ा जा सकता है।
5.2.5 दो प्रभागों नामतः ग्वालियर तथा झांसी में 31.03. 2017 तक बैंक से प्राप्त वर्ष 2016–17 तक ब्याज के रूप के 0.48 लाख रूपये वर्ष 2017–18 में बुक किया गया है।	जैसे ही बैंक हमारे खाते में वास्तविक ब्याज अंतरित करता है, इस पर ध्यान दिया जाता है। तद्नुसार, अन्वेषण प्रभाग, रा.ज. वि.अ. झांसी/ग्वालियर ने वित्त वर्ष में ब्याज की राशि खाते में दर्शाई है। उपरोक्त को ध्याान में रखते हुए पैरा छोड़ा जा सकता है।
6- çkfIr;k rFkk Hkqxrku 6-1 çkfIr;k 104-84 djkM: :i;s 6.1.1 अन्वेषण सर्किल, वलसाड ने बैंक जमाओं पर प्राप्त ब्याज के रूप में 1.94 लाख रूपये को ''प्राप्ति एवं भुगतान खातों'' की प्राप्तियां वाले कॉलम में दर्शाया है परन्तु नासिक प्रभाग ने 0.13 लाख रूपये की राशि को अपनी कैश बुक में नहीं दर्शाया है। यद्यपि बैंक ने 25.03.2018 को खाते में ब्याज की राशि डाल दी है चूंकि रा.ज.वि.अ. ने 2.07 लाख रूपये (1.94 लाख रूपये 0.13 लाख रूपये) के बजाय बैंक जमाओं से प्राप्त ब्याज के रूप में 1.94 लाख रूपये को प्राप्ति एवं भुगतान खातों की प्राप्तियों में दर्शाया गया है, इसके कारण प्राप्ति एवं भुगतान खातों की प्राप्तियों में 0.13 लाख रूपये तक कम दर्शाया गया है तथा इसी सीमा तक ''परिसंपत्तियों'' में ''वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों'' में कम दर्शाया गया है।	वर्ष 2017–18 में 2016–17 (पूर्व वर्ष) से संबंधित बचत बैंक खातों में ब्याज आने के कारण यह अंतर आया है। डी डी ओ, अन्वेषण सर्किल, वलसाड को इस संबंध में निदेश दिया गया है कि भविष्य में इस संबंध में ध्यान रखें। अतः पैरा छोड़ा जा सकता है।
7- lkekU; 7.1 दिनांक 26.07.2016 को 2547.00 रूपये की राशि का एक चैक (अनुसूची–11) जारी किया गया परंतु 31 मार्च 2018 तक इससे नकदी का आहरण नहीं हुआ। उक्त राशि की कैश बुक में नहीं दर्शाई गई, इसके कारण बैंक में कैश में 2547.00 रूपये की राशि वर्तमान परिसंपत्तियों में कम दर्शाई गई तथा देयताओं में भी इतनी ही राशि कम दर्शाई गई ।	दिनांक 26.07.2016 को चैक संख्या 843491 राशि 2547.00 रूपये का एक चैक मैसर्स मैट्रिक्स, साल्टलेक, कोलकाता को उसके भुगतान के लिए जारी किया गया था जो कालातीत हो गया था क्योंकि पार्टी ने समाशोधन के लिए न तो चैक बैंक में प्रस्तुत किया और न ही पुर्नवैधीकरण के लिए कार्यालय को वापिस किया। तथापि, वित्त वर्ष में 2547.00 रूपये की राशि को पुनः खाते में डाल दिया गया है।

7.2 रा.ज.वि.अ., दिल्ली ने 12 चैक जारी किए जिनकी कुल राशि 6.50 लाख रूपये है, जिन्हें मार्च 2018 तक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः भुगतान लंबित हैं। दो आई. पी. ओ. कैश बुक में दर्शाए गए हैं, परंतु बैंक में प्राप्त नहीं हुए हैं। 6 चैक, जिनकी कुल राशि 0.59 लाख रूपये है, जारी किए गए वे बैंक को प्राप्त हुए, परन्तु कैश बुक में उन्हें नहीं दर्शाया गया है। 0.22 लाख रूपये की राशि का एक चैक बैंक में जमा किया गया परन्तु अभी तक समाशोधन नहीं हुआ है।

कुल 12 चैकों में से कुल 619008 रूपये के 9 चैक बैंक द्वारा भुगतान के लिए समाशोधित कर दिये गये। बैंक ने 20.00 रूपये की राशि के दो आई.पी.ओ. का समाशोधन कर दिया है तथा रा.ज.वि.अ. के खाते में अंतरित कर दिया है। 2250 रूपये की राशि का एक चैक बैंक में प्रस्तुत किया गया तथा बैंक ने इसका समाशोधन कर दिया है। चैकों का विवरण तथा इनके नकदीकरण की तिथि नीचे दी जा रही है।

बैंक में प्रस्तुत किये गये चैकों के नकदीकरण का विवरण इस प्रकार है–

p|d l-	fnukd	jkf'k	lek'kk/ku dh rkjh[k	
776956	3.10.2016	10450		चैक रद्द कर दिया जाएगा तथा कैश बुक के प्राप्ति वाले कॉलम में इसे दर्शाया जाएगा। भुगतान रोकने के लिए बैंक को आवष्यक पत्र भेजा जाएगा।
267990	2.6.2017	10450		
703900	1.12.2017	10450		
571388	27.3.2018	14574	13 अप्रैल, 2018	
571364	27.3.2018	282110	16 अप्रैल, 2018	
571370	27.3.2018	259011	13 अप्रैल, 2018	
571371	29.3.2018	45404	24 अप्रैल, 2018	
571379	29.3.2018	825	06 अप्रैल, 2018	
571380	29.3.2018	2830	06 अप्रैल, 2018	
571381	29.3.2018	1770	06 अप्रैल, 2018	
571382	29.3.2018	825	06 अप्रैल, 2018	
571384	29.3.2018	11659	13 अप्रैल, 2018	6,50,358.00

p|d l-	fnukd	jkf'k		
आई पी ओ	22.11.2017	10		
आई पी ओ	22.11.2017	10	20.00	दिनांक 08.05.2018 को बैंक में प्राप्त हुआ

योगः बैंक में अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई परंतु कैश बुक में नहीं दर्शाई गई

	24–02–2017	16705		जमाकर्ता का पता लगाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मंदिर मार्ग शाखा से लगातार पत्राचार किया जा रहा है।
	20–04–2017	10000		
	06–11–2017	9440		
	24–11–2017	1065		
	30–06–2017	11099	कैश बुक में दर्शाई गई	
	31–07–2017	11099	कैश बुक में दर्शाई गई	
			59408.00	

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>p|d l-</td><td>fnukd</td><td>jkf'k</td><td>lek'kk/ku dh rkjh[k</td><td></td></tr>
<tr><td>27659</td><td>31.3.2018</td><td>2250</td><td>03 अप्रैल 2018</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>दिनांक 04.06.2018 को बैंक द्वारा जमा किया गया।</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>7.3 रा.ज.वि.अ., अन्वेषण सर्किल, वलसाड ने नासिक प्रभाग के अंतर्गत प्राप्त 3740 रूपये को आय एवं व्यय खातों के '' अर्जित ब्याज'' के अंतर्गत क्रम संख्या 3 (क) अग्रिमों पर कर्मचारी/कर्मचारी ब्याज अनुसूची –17 में दर्शाया है। परन्तु यह टैंडर, रद्दी अखबार की बिक्री से अर्जित आय है, इस लिए इसे अनुसूची–18 के 'अन्य आय' में दर्शाना चाहिए जो क्रमशः क्रम संख्या 4 एवं 5 पर विविध आय एवं रद्दी अखबार विक्रय की प्राप्ति के लिए है। परिणामस्वरूप अनुसूची – 17, अर्जित ब्याज में 3740 रूपये अधिक दर्शाए गए है तथा इसी राशि तक अनुसूची–18 में अन्य आय को कम दर्शाया गया है।</td>
<td>कृपया भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया । अतः पैरा छोड़ा जा सकता है।</td>
</tr>
</table>

jk"Vªh; t y fodkl vfHkdj.k

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

egRoi.kZ y[kk uhfr;k

¼vuqlwph l[;k 24½

2017 & 18

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण योजना व्यय के अंतर्गत लिया गया है ।
2. वर्ष के दौरान अर्धवार्षिक आधार पर परिसंपत्तियों की खरीद/जोड़ कर मूल्यह्रास की गणना की गई । (30 सितम्बर, 2017 तक अर्जित परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरे वर्ष के लिए तथा 30 सितम्बर, 2017 के बाद अर्जित परिसंपत्तियों पर आधे वर्ष (अर्धवार्षिक) के लिए है)
3. अंकित मूल्य पद्वति से निम्नलिखित दरों पर परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।

क.	भवन	10%
ख.	फर्नीचर, फिक्सचर तथा जुड़नार	10%
ग.	कार्यालय उपकरण	15%
घ.	कम्प्यूटर /अनुषांगिक	60%
ड.	औजार तथा संयंत्र	15%
च.	वाहन	15%
छ	तकनीकी पुस्तकें	60%
ज.	कैंप उपस्कर	15%

4. मार्च, 2017 मास के लिए वेतन तथा किराया लेखाओं में दिया गया है तथा इसे चालू देयताओं में बकाया व्यय के रूप में दिखाया गया है। (अनुसूची–7)
5. वर्ष 2016–17 के लिए देय लेखापरीक्षा शुल्क का प्रावधान कर दिया गया है ।(अनुसूची–7)
6. रा.ज.वि.अ. को पूरा निधियन भारत सरकार के सहायता अनुदान से प्राप्त होता है।
7. एम.ए.सी.पी. योजना लागू करने के वित्तीय निहितार्थ रा.ज.वि.अ. के मौजूदा बजट के भीतर पूरे किए गये हैं ।
8. भारत जल सप्ताह (आई. डब्लू. डब्लू.) के लेखे अलग से तैयार किए गए तथा इन्हें रा.ज.वि.अ. के खातों के साथ संलग्न किया गया है ।
9. जल मंथन के लेखे अलग तैयार किए गए तथा इन्हें रा.ज.वि.अ. के खातों के साथ संलग्न किया गया है ।
10. राशि को निकटतम रूपये में परिवर्तित कर दिया गया है ।
11. सी.जी.ए. द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूपानुसार वार्षिक लेखे तैयार किए गए हैं ।
12. वस्तु सूची मूल्यांकन – लागू नहीं
13. विदेशी मुद्रा विनियम – शून्य

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

jk"Vªh; t y fodkl vfHkdj.k

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

vkdfLed n;rk, vkj y[kkvksa ij fVIi.kh

¼vuqlwph l[;k 25½

2017&18

1.	आकस्मिक देयताएं	–	कोई नहीं
2.	पूंजीगत आश्वासन	–	लागू नहीं
3.	अनुबंध बाध्यताएं	–	शून्य
4.	वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम	–	अनुसूची – 11
5.	आयकर – आबंटनकर्ता संस्थान	–	लागू नहीं
6.	विदेशी मुद्रा लेन – देन	–	शून्य

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को समेकित तुलनपत्र

¼jkf'k :i;s esa½

fooj.k	vuqlwph	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
iwathxr fuf/k rFkk ns;rk,a			
समग्र/पूंजीगत निधि	1	163473862.00	94988141.00
आरक्षित तथा अधिशेष	2	0.00	0.00
विशेष प्रयोजन के लिए उद्दिष्ट/विन्यास निधि	3	326952962.00	354821998.00
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4	0.00	0.00
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5	0.00	0.00
आस्थगित जमा देयताए	6	0.00	0.00
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	7	43223268.00	31484058.00
dqy		**533650092.00**	**481294197.00**
ifjlEifr;k			
नियत परिसंपत्तियां	8	31366771.00	30461123.00
निवेश–उद्दिष्ट/विन्यास निधियों	9	326952962.00	354821998.00
निवेश–अन्य	10	0.00	0.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	175330359.00	96011076.00
विविध व्यय (बट्टे खाते नहीं डालने /समायोजित नहीं करने की सीमा तक)		0.00	0.00
dqy		**533650092.00**	**481294197.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24		
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां	25		

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
वर्ष 2017-18 का समेकित आय तथा व्यय लेखा

¼jkf'k : i;s esa½

0;;	vuqlwph	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ	vk;	vuqlwph	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
स्थापना व्यय	20	**518616646.00**	**538038743.00**	विक्रय/सेवा से आय	12	**0.00**	**0.00**
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	**70334158.00**	**61586698.00**	अनुदान/सहायिकी	13	**741519597.00**	**690883138.00**
निर्माण कार्य	21	**69086245.00**	**55440247.00**	(प्राप्त अप्रत्यादेय अनुदान एवं सहायिकी)			
नदियों को जोड़ने पर टास्क फोर्स/ विशेष प्रकोष्ठ	21	**23018271.00**	**32907655.00**	शुल्क/चंदा	14	**0.00**	**0.00**
अनुदान, सहायिकी आदि व्यय	22	**0.00**	**0.00**	निवेश से आय (उदिदृष्ट/अक्षय निधियों			
ब्याज	23	**0.00**	**0.00**	में निवेश से आय/निधियों से निधियों में			
मूल्यह्रास	8	**7186045.00**	**7589555.00**	किया गया अंतरण)	15	**0.00**	**0.00**
				रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	**0.00**	**0.00**
				अर्जित ब्याज	17	**6511621.00**	**5931976.00**
				अन्य आय	18	**314097.00**	**486840.00**
				तैयार माल के स्टॉक तथा चल रहे कार्यों में वृद्धि/(कमी)	19	**0.00**	**0.00**
dqy ¼[k½		**688241365.00**	**695562898.00**	dqy ¼d½		**748345315.00**	**697301954.00**
व्यय पर आय की अधिकता के कारण							
शेष (क–ख)		**60103950.00**	**1739056.00**				
विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)							
सामान्य आरक्षित से/को अंतरण		0.00	0.00				
अधिशेष (कमी) के कारण शेष							
समग्र/पूंजीगत निधि में अंतरित करना		**60103950.00**	**1739056.00**				
विशिष्ट लेखा नीतियां							
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां							

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
वर्ष 2017–18 का समेकित आय तथा व्यय लेखा

¼jkf'k : i;s e½

	RECEIPT	pkyw o"kZ	fiNys o"kZ		Hkqxrku	pkyw o"kZ	fiNys o"kZ	
I.	1- vkfn 'ks"k			I.	O;;			
	क. रोकड़ शेष	101901.00	67705.00		क. स्थापना व्यय	**512608497.00**	**542734373.00**	67705.00
	ख. बैंक शेष				(अनुसूची 20ए के तद्नुरूप)			
	i. बचत खातों में	59379604.00	49302475.00		ख. प्रशासनिक व्यय	**69069236.00**	**61148963.00**	49302475.00
	ii. मार्गस्थ चैक / ड्राफ्ट	0.00	0.00		(अनुसूची 21ए के तद्नुरूप)			0.00
	ग. डाक टिकट शेष	30032.00	39292.00					39292.00
	सेवा निवृत्ति / ग्रेच्युटी निधि	193199800.00	95206708.00					95206708.00
				II.	fofHkUu ifj;kstukvksa ds fy, fd,			0.00
II.	çkIr vuqnku				x, fuos'k ds fy, Hkqxrku			
	क. भारत सरकार से	748936368.00	700164444.00		fyad ugj ifj;kstuk	**157610494.00**	**88527902.00**	
	ख. वाइब्रेंट गुजरात वैष्विक व्यापार प्रदर्षनी	0.00	0.00					0.00
	ग. ग्रांट (आई. ओ. आर. ए.)	965000.00	0.00					
	घ. राज्य सरकार से		0.00	III.	fd, x, tek rFkk fuos'k			0.00
III.	fuos'k ij vk;				क. उद्दिश्ट / अक्षय निधि से	**0.00**	**0.00**	0.00
	क. उद्दिश्ट / अक्षय निधि	0.00	0.00		ख. अपने निवेशों से (निवेश–अन्य)	**0.00**	**0.00**	
	ख. अपनी निधि (निवेश पर)	0.00	0.00		सेवानिवृत्ति तथा अनुदान निधि–एफ.डी.आर.	**69500000.00**	**24000000.00**	
IV.	çkIr C;kt			IV.	fu;r rFkk iwathxr fuekZ.kk/khu			0.00
	क. बैंक जमाओं पर रा.ज.वि.अ.	6113942.00	5508727.00		dk;ksZa ij O;;			
	सेवा निवृत्ति / ग्रेच्युटी निधि	24085934.00	1847899.00		क. नियत परिसंपत्तियों का क्रय	**8376271.00**	**9281306.00**	1847899
	ख. ऋण तथा अग्रिम आदि	451089.00	371830.00		ख. पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय	**0.00**	**0.00**	371830.00
					c). Jal Manthan	**3396505.00**		0.00
								0.00
V.	vU; vk; ¼fofufnZ"V djsa½				C;kt rFkk nh/kkof/k vfxzeksa dh okilh	**0.00**	**0.00**	
	नोटिस अवधि की राशि की वसूली	0.00	0.00	V.	(ख) वाईब्रैट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शिनी	**0.00**	**0.00**	

	परिसंपत्तियों की बिक्री पर प्राप्तियां	431857.00	626018.00		foÙkh; vf/kHkkj ¼C;kt½	**0.00**	**0.00**	
	विविध प्राप्तियां	153433.00	93944.00		vU; Hkqxrku ¼Li"V dj½			
					सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	**53199940.00**	**35454807.00**	0.00
VI.	m/kkj yh xbZ jkf'k	0.00	0.00	VI.	सुरक्षा जमा / वापसी	**310014.00**	**289279.00**	0.00
VII.	dkbZ vU; ikorh ¼fooj.k n½		2776673.00		कर्मचारियों को अग्रिम	**4038890.00**	**1806927.00**	
	प्राप्त एल एस पी सी	0.00	60809.00		भारत जल सप्ताह (आई.डब्लू .डब्लू.) – 2016	**0.00**	**0.00**	60809.00
				VII.	अन्य को अग्रिम / अतिरिक्त. अग्रिमों की वापसी	**38762.00**	**1837418.00**	
	अग्रिम तथा कर्जों की प्राप्ति				प्रेषणा / धरोहर जमा	**0.00**	**171000.00**	0
	– कर्मचारियों से	2842950.00	5501456.00		स्टेल चेक	**492493.00**	**0.00**	5501456
	– अन्यों से	749305.00	520404.00		निष्पादन गारंटी / ई एम डी	**140899.00**	**1500.00**	
	प्रेषणा	32166.00	3900.00		सी.पी.एफ.	**0.00**	479189	3900.00
	कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय राहत	0.00	8000.00		टी डी एस	**3204.00**	11496	8000.00
	– भारत जल सप्ताह	0.00	0.00		जी एस एल आई एस	**0.00**	722054	0.00
	तात्कालिक वित्तीय सहायता							0.00
	जी.एस.एल.आई.एस.	993863.00	0.00		vfre 'k"k			0.00
	एन.पी.एस.	149162.00	27112.00					27112.00
	सी.पी.एफ.	8604784.00	0.00					0.00
	प्राप्त छुट्टी वेतन	267911.00	90140.00	VIII.	सेवानिवृति और अनुदान निधि बचत बैंक	**94585794.00**	**193199800.00**	90140.00
	अग्रिम राशि जमा	186717.00	299850.00					299850.00
	टेलिफोन प्राप्य	0.00	0.00		क. रोकड़ शेष	**73050.00**	**101903.00**	0.00
	निष्पादन गारंटी जमा की धरोहर जमा	714470.00	38734.00		ख. बैंक शेष			38734.00
	सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्यूटी निधि लेखा	0.00	155600000.00		i. चालू खाते में	**74970208.00**	**59379604.00**	155600000.00
	कबाड़/निविदा प्रपत्र की बिक्री	43453.00	21431.00		ग. डाक शेष	**19484.00**	**30030.00**	21431.00
	टी डी एस	0.00	0.00					0.00
	भारत जल सप्ताह	0.00	1000000.00					1000000.00
	dy	**1048433741.00**	**1019177551.00**		dy	**1048433741.00**	**1019177551.00**	**1019177551.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को सर्किलवार तुलनपत्र

¼jkf'k : i;s esa½

fooj.k	vuqlwph	Ekq[;ky;	Xokfy;j	Hkqous'oj	oylkM	gSnjkckn	iVuk	dqy	fiNyk o"kZ
iwath fuf/k rFkk nkf;Ro									
समग्र निधि/पूंजीगत निधि	1	47227121.00	79234906.00	5949834.00	3815040.00	15093337.00	12153624.00	**163473862.00**	94988141.00
आरक्षित तथा अधिशेष	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
उद्दिश्ट/विन्यास निधि	3	326952962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**326952962.00**	354821998.00
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
आस्थगित ऋण देयताएं	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	7	15251194.00	4594135.00	4628490.00	3619398.00	9936206.00	5193845.00	**43223268.00**	31484058.00
अन्य सर्किलों से परिसंपत्तियों की प्राप्ति		2851857.00	4629526.00	1120247.00	1864813.00	1212939.00	3700079.00	**15379461.00**	14472035.00
dqy		**392283134.00**	**88458567.00**	**11698571.00**	**9299251.00**	**26242482.00**	**21047548.00**	**549029553.00**	**495766232.00**
ifjlaifRr;k									
नियत परिसंपत्तियां	8	9025455.00	5851368.00	2626814.00	2670095.00	5304321.00	5888718.00	**31366771.00**	30461123.00
निवेश–उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से	9	326952962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**326952962.00**	354821998.00
निवेश–अन्य	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	52511212.00	77919151.00	6945012.00	5952139.00	17601979.00	14400866.00	**175330359.00**	96011076.00
विविध व्यय (बट्टे खाते नहीं डालने /									
समायोजित नहीं करने की सीमा तक)									
अन्य सर्किलों से परिसंपत्तियों का अंतरण		3793505.00	4688048.00	2126745.00	677017.00	3336182.00	757964.00	**15379461.00**	14472035.00
dqy		**392283134.00**	**88458567.00**	**11698571.00**	**9299251.00**	**26242482.00**	**21047548.00**	**549029553.00**	**495766232.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24								
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों									
पर टिप्पणी	25								

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

¼jkf'k : i;s eas½

fooj.k	vuq lph	Ek[;ky;	Xokfy;j	Hkqous'oj	oy lkM	gnjkckn	iVuk	dqy	fiNyk o"kZ
स्थापना व्यय	20	160780484	61446487	59250085	45930203	133669298	57540089	**518616646**	538038743
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	20724819	8204425	4058507	6008946	22262277	9075184	**70334158**	61586698
निर्माण कार्य	21	37470664	7319659	2398811	8623475	7307076	5966560	**69086245**	55440247
नदियों को जोड़ने पर टास्क् फोर्स/विशेष प्रकोष्ठ	21	23018271	0	0	0	0	0	**23018271**	32907655
अनुदान,सहायिकी आदि पर व्यय	22	0	0	0	0	0	0	**0**	0
ब्याज	23	0	0	0	0	0	0	**0**	0
मूल्यह्रास	8	2557647	1092943	591960	617381	1315550	1010564	**7186045**	7589555
		244551885	**78063514**	**66299363**	**61180005**	**164554201**	**73592397**	**688241365**	**695562898**
व्यय पर आय की अधिकता									
0;; ¼d&[k½		**-24987294**	**70004542**	**2818834**	**1133149**	**3949572**	**7185147**	**60103950**	**1739056**
विशेष आरक्षित में अंतरण (प्रत्येक का विवरण दें)		0	0	0	0	0	0	**0**	
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण		0	0	0	0	0	0	**0**	0
अधिकता के कारण षेश (कमी)									
सामान्य आरक्षित को/से अंतरण		**-24987294**	**70004542**	**2818834**	**1133149**	**3949572**	**7185147**	**60103950**	**1739056**
समग्र निधि / पूंजीगत निधि को ले जाया गया									
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां									
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पण									

ह./—
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./—
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./—
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
CIRCLE WISE INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2017 - 18 [INCOME]

¼jkf'k : i;s eas½

fooj.k	vuqlph	Eq[;ky;	Xokfy;j	Hkqous'oj	oyl kM	gnjkckn	iVuk	dqy	fiNyk o"kZ
विक्रय/सेवा से आय	12	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
अनुदान/सहायिकी	13	214342873.00	147682073.00	68843949.00	62100714.00	167941345.00	80608643.00	**741519597.00**	**690883138.00**
शुल्क/चंदा	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
निवेश से आय									
(उद्दिष्ट/अक्षय निधियों में निवेश से आय जो									
निधियों में अंतरित की गई हो)	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
अर्जित ब्याज	17	5172200.00	229581.00	229786.00	212028.00	519613.00	148413.00	**6511621.00**	5931976.00
अन्य आय	18	49518.00	156402.00	44462.00	412.00	42815.00	20488.00	**314097.00**	486840.00
तैयार माल के स्टॉक तथा									
निर्माणाधीन कार्यों में वृद्धि (कमी)	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
Total:(A)		**219564591.00**	**148068056.00**	**69118197.00**	**62313154.00**	**168503773.00**	**80777544.00**	**748345315.00**	**697301954.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
वर्ष 2017-18 में सर्किलवार प्राप्ति तथा भुगतान खाते (प्राप्ति)

¼jkf'k : i;s eas½

	fooj.k	Ek[;ky;	Xokfy;j	Hkqous'oj	oylkM	gnjkckn	iVuk	dqy	fiNys o"kZ
I.	1- vkfn 'ks"k								
	क. रोकड़ शेष	31474.00	33379.00	0.00	12217.00	10470.00	14361.00	**101901.00**	67705.00
	ख. बैंक शेष								
	i. चालू खातों में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
	ii. बचत खातों में	45270598.00	4501940.00	711152.00	2183107.00	5285830.00	1426977.00	**59379604.00**	49302475.00
	iii. मार्गस्थ चैक/ड्राफ्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
	ग. डाक टिकट शेष	11190.00	4060.00	910.00	1590.00	9988.00	2294.00	**30032.00**	39292.00
	घ. सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	193199800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**193199800.00**	95206708.00
II.	çkIr vuqnku								
	क. भारत सरकार से	216678421.00	148732822.00	69090977.00	62476004.00	169491477.00	82466667.00	**748936368.00**	700164444.00
	ख. वाइब्रेंट गुजरात वैष्विक व्यापार प्रदर्षनी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
	ग. राज्य सरकार से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
	घ. अन्य स्रोतों से (विवरण)	965000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**965000.00**	
III.	fuos'k ls vk;								
	क. उद्दिश्ट/विन्यास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
	ख. निजी निधि (अन्य निवेश)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
IV.	çkIr C;kt							**0.00**	
	क. बैंक जमाओं पर	4952763.00	181922.00	157812.00	193639.00	488334.00	139472.00	**6113942.00**	5508727.00
	ख. सेवा निवृत्ति तथा अनुदान निधि	24085934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**24085934.00**	1847899.00
	ग. ऋण तथा अग्रिमों आदि	219437.00	47659.00	71974.00	14649.00	88429.00	8941.00	**451089.00**	371830.00
V.	vU; vk; ¼fofufn"V djs½								
	जी एस एल आई एस	993863						**993863.00**	
	सी पी एफ	8604784.00	0.00	0.00	0.00		0.00	**8604784.00**	
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर प्राप्ति	118000.00	233442.00	4850.00	2500.00	23340.00	49725.00	**431857.00**	626018.00
	विविध प्राप्तियां	15618.00	7908.00	20.00	4162.00	124767.00	958.00	**153433.00**	93944.00

VI.	m/kkj fy;k x;k /ku	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
VII.	dkbZ vU; ikorh ¼fooj.k n½					0.00		**0.00**	2776673.00
	प्राप्त एल एस पी सी	0.00	0.00					0.00	60809.00
	कर्ज तथा अग्रिमों की /वसूली								
	– कर्मचारियों से	260824.00	0.00	890.00	1365929.00	966026.00	249281.00	**2842950.00**	5501456.00
	– अन्यों से	661760.00	0.00	0.00	0.00	87545.00	0.00	**749305.00**	520404.00
	प्रेषणा	4100.00	0.00	0.00	0.00	28066.00	0.00	**32166.00**	3900.00
	कर्मचारियों को तत्काल वित्तीय राहत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	8000.00
	एन.पी.एस.	149162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**149162.00**	27112.00
	छुट्टी वेतन की प्राप्ति	0.00	0.00	267911.00	0.00	0.00	0.00	**267911.00**	90140.00
	धरोहर राशि/सुरक्षित जमा	0.00	121217.00	55000.00	0.00	500.00	10000.00	**186717.00**	299850.00
	दूरभाश प्राप्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
	निष्पादन गारंटी जमा	714470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**714470.00**	38734.00
	टी.डी.एस.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	
	सेवा निवृत्ति/ग्रेच्यूटी निधि खाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	155600000.00
	भारत जल सप्ताह	0.00	0.00						1000000.00
	कबाड़/निविदा प्रपत्र की बिक्री	30000.00	0.00	8153.00	0.00	5150.00	150.00	**43453.00**	21431.00
	dqy	**496967198.00**	**153864349.00**	**70369649.00**	**66253797.00**	**176609922.00**	**84368826.00**	**1048433741.00**	**1019177551.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
वर्ष 2017-18 में सर्किलवार प्राप्ति तथा भुगतान लेख (भुगतान)

¼jkf'k : i;s esa½

	fooj.k	Ek[;ky;	Xokfy;j	Hkqous'oj	oylkM	gSnjkckn	iVuk	dqy	fiNys o"kZ
I.	0;;								
	क. स्थापना व्यय	158971998.00	60583556.00	58232580.00	45586151.00	132407741.00	56826471.00	**512608497.00**	537193122.00
	(अनुसूची 20ए के तद्नुरूप)								
	ख. प्रशासनिक व्यय	20724819.00	8194376.00	4138475.00	5752722.00	22135518.00	8123326.00	**69069236.00**	61148962.00
	(अनुसूची 21ए के तद्नुरूप)								
II.	fofHkUu ifj;kstukvksa dk fy, fuf/k l								
	fd;k x;k Hkqxrku								
	लिंक नहर परियोजना (निर्माण कार्य)	60488935.00	72825637.00	2398811.00	8623475.00	7307076.00	5966560.00	**157610494.00**	88527902.00
III.	fd, x, tek rFkk fuos'k								
	क. उद्दिश्ट/अक्षय निधि से	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	ख. निजी निधि से (निवेश–अन्य)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	सेवानिवृत्ति तथा अनुदान निधि–एफ.डी.आर.	69500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**69500000.00**	24000000.00
IV.	dk;k dh ixfr ij fu;r rFkk iwathxr 0;;								
	क. नियत परिसंपत्तियों की खरीद	3295048.00	1050749.00	247028.00	375290.00	1550132.00	1858024.00	**8376271.00**	9281306.00
	ख. बड़े कार्यों की प्रगति पर खर्च	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	श्रंस डंदजींद	3396505.00						**3396505.00**	
V.	nh/kkZof/k vfxze rFkk C;kt dh okilh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	7 वां वायब्रैंट गुजरात व्यापार प्रदर्शिनी – 2015, ज.सं.मं.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
VI.	foÙkh; iHkkj ¼C;kt½	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
VII.	vU; Hkqxrku ¼Li"V djsa½								
	सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	53199940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**53199940.00**	35454807.00
	धरोहर जमा/ई एम डी	29000.00	32598.00	0.00	182000.00	0.00	66416.00	**310014.00**	290779.00
	कर्मचारियों को अग्रिम	733319.00	222475.00	415036.00	1582695.00	1085365.00	0.00	**4038890.00**	1806927.00
	स्टेल चेक	0.00	0.00	0.00	0.00	492493.00	0.00	**492493.00**	0.00
	अन्यों को अग्रिम/अतिरिक्त. अग्रिमों की वापसी	38762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**38762.00**	1837418.00

	भारत जल सप्ताह–2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	प्रेषणा/धरोहर राशि जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	171000.00
	टी.डी.एस.	3204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3204.00**	11496.00
	सी.पी.एफ.	0.00						**0.00**	6020441.00
	जी.एस.एल.आई.एस	0.00						**0.00**	722054.00
	निष्पादन गारंटी	0.00	0.00	0.00	140899.00		0.00	**140899.00**	0.00
VIII.	bfr 'k"k								
	सेवानिवृति एवं ग्रेच्युटी निधि –बचत खाता	94585794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**94585794.00**	193199800.00
	नियत जमा (एफ.डी.आर.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	क. रोकड़ शेष	28620.00	24880.00	0.00	6317.00	5430.00	7803.00	**73050.00**	101903.00
	ख. बैंक शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	पण बचत खाते में	31971045.00	10928256.00	4937196.00	4002825.00	11613334.00	11517552.00	**74970208.00**	59379604.00
	ग. डाक शेष	209.00	1822.00	523.00	1423.00	12833.00	2674.00	**19484.00**	30030.00
	घ. मार्गस्थ ड्राफ्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	कुल	**496967198.00**	**153864349.00**	**70369649.00**	**66253797.00**	**176609922.00**	**84368826.00**	**1048433741.00**	**1019177551.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s es½

vuqlwph & 1½ iwathxr fuf/k								
fooj.k	Ek[;ky;	Xokfy;j	Hkqous'oj	oylkM	gSnjkckn	iVuk	dqy	fiNys o"kZ
वर्ष के प्रारंभ में शेष	68913867.00	8179615.00	2883972.00	2306601.00	9593633.00	3110453.00	**94988141.00**	83967779.00
जमा– वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों की खरीद	3300548.00	1050749.00	247028.00	375290.00	1550132.00	1858024.00	**8381771.00**	9281306.00
mi dqy ¼d½	**72214415.00**	**9230364.00**	**3131000.00**	**2681891.00**	**11143765.00**	**4968477.00**	**103369912.00**	**93249085.00**
– ज.सं. मंत्रालय को अंतरित परिसंपत्तियां (वाहन)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
– बट्टे खाते में डाले गए पूंजीगत निवेश	0.00	0.00		0.00	0	0.00	**0.00**	0.00
जमा/घटा : निवल आय का शेष/(व्यय)								
आय तथा व्यय खाते से अंतरित	-24987294.00	70004542.00	2818834.00	1133149.00	3949572.00	7185147.00	**60103950.00**	1739056.00
उप कुल (ख)	**-24987294.00**	**70004542.00**	**2818834.00**	**1133149.00**	**3949572.00**	**7185147.00**	**60103950.00**	**1739056.00**
o"kZ dk var esa "k'k	**47227121.00**	**79234906.00**	5949834.00	3815040.00	15093337.00	12153624.00	163473862.00	94988141.00

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s ea½

vuqlwph & 3¼ mnfn"V @ foU;kl fuf/k;ka ¼lsokfuo`fr ,oa xzsP;qVh fuf/k½

fooj.k	Ek[;ky;	Xokfy;j	Hkqous'oj	oyly kM	gnjkckn	iVuk	dqy	fiNyk o"kZ
d- fuf/k;ksa dk vkdfLed jkdM 'k"k								
(सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि)								
बैंक बचत खाते	193199800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**193199800.00**	95206708.00
नियत जमाएं (एफ.डी.आर.)	148000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**148000000.00**	124000000.00
[k- fuf/k;ksa esa tek	**341199800.00**							
बैंक ब्याज : प्राप्त	0							
उपार्जित	24085934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**24085934.00**	1847899.00
वर्ष के दौरान प्राप्त	14867168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**14867168.00**	13622198.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	155600000.00
x- ?kVk mi;ksx@O;;	**380152902.00**							
घटा किए गए भुगतान	53198917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**53198917.00**	35454272.00
घटा बैंक अधिभार	1023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1023.00**	535.00
dqy	**326952962.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326952962.00**	**354821998.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

(राशि रुपये में)

अनुसूची – 7 वर्तमान दायित्वएं तथा प्रावधान

	Particulars	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछले वर्ष
A.	क. वर्तमान दायित्व								
	अन्य वर्तमान दायित्व								
	बकाया व्यय								
	वेतन तथा भत्ते	9441830.00	4268375.00	4310764.00	3145846.00	9279195.00	3811648.00	**34257658.00**	28249509.00
	किराया, दर तथा कर	0.00	148707.00	147843.00	368552.00	327089.00	1356197.00	**2348388.00**	1083466.00
	प्रेषणा	17119.00	0.00	0.00	0.00	28066.00	0.00	**45185.00**	13019.00
	स्टेल चैक	0.00	0.00	0.00	0.00	1716.00	0.00	**1716.00**	494209.00
	अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.)	3552205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**3552205.00**	0.00
	जी.एस.एल.आई.एस.	954646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**954646.00**	0.00
	अन्य (एल.एस.पी.सी. प्राप्त)	60809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**60809.00**	60809.00
	धरोहर राशि/सुरक्षित जमा	147500.00	59560.00	169883.00	105000.00	110500.00	26000.00	**618443.00**	964233.00
	बकाया लेख परीक्षा शुल्क	62615.00							
	निष्पादन गारंटी जमा	714470.00	117493.00	0.00	0.00	189640.00	0.00	**1021603.00**	252994.00
	सेवा निवृत्ति/ग्रेच्युटी निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	टी.डी.एस.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	3204.00
	उप कुल (क)	**14951194.00**	**4594135.00**	**4628490.00**	**3619398.00**	**9936206.00**	**5193845.00**	**42923268.00**	**31184058.00**
B.	ख. प्रावधान								
	देय लेखापरीक्षा शुल्क	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**300000.00**	300000.00
	सेवा निवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	उप कुल (ख)	**300000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300000.00**	**300000.00**
	कुल	**15251194.00**	**4594135.00**	**4628490.00**	**3619398.00**	**9936206.00**	**5193845.00**	**43223268.00**	**31484058.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s esa½

vuqlwph & 8½ fu;r ifjlaifÙk;ksa dk fooj.k

	fooj.k	ldy laifÙk;,				eY;gzkl				'kq) dqy laifÙk;,	
		वर्ष के प्रारम्भ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान कटौती	चालू वर्ष तक	चालू वर्ष के अंत तक	पूर्व वर्ष के अंत तक
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	**10**	11
A.	d-fu;r ifjlaifÙk;k										
	भवन	5825436.00	0	0	5825436	5634100	19134	0	5653234	**191336**	191336
	औजार तथा संयंत्र	19207327.00	183688	128979	19262036	17417807	280468	117269	17581006	**1681030**	1789520
	मोटर वाहन	24884016.00	1871417	1774591	24980842	15197188	1482344	1363282	15316250	**9664592**	9881665
	फर्नीचर तथा जुड़नार	21098068.00	2062465	923550	22236983	10784290	1127775	789734	11122331	**11114652**	10313778
	कार्यालय उपस्कर	14598089.00	1115008	1844757	13868340	10399109	695753	1729475	9365387	**4502953**	4195569
	कम्प्यूटर/अनुषंगी उपकरण	32369004.00	3770553	2534659	33604898	28295629	3573233	2490392	29378470	**4226428**	4073375
	तकनीकी पुस्तकें	366377.00	0	8361	358016	353957	7334	8164	353127	**4889**	12420
	कैंप उपस्कर	9571.00	0	5179	4392	9522	4	5159	4367	**25**	3460
									0		
	mi dqy	**118357888**	**9003131**	**7220076**	**120140943**	**88091602**	**7186045**	**6503475**	**88774172**	**31366771**	**30461123**
	[k& fVIi.kh dkye 6 esa vfre 'ks"k dk vrj] vUo"k.k iHkkx t;iqj dk vrfjr 198437 cjkcj gS rFkk blss dkye 8 ls djk;k x;k gSA										
	dqy ;ksx	**118357888.00**	**9003131.00**	**7220076.00**	**120140943.00**	**88091602.00**	**7186045.00**	**6503475.00**	**88774172.00**	**31366771.00**	**30461123.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s eas½

vuqlwph & 8 ¼fu;r ifjlEifÙk;ka dk fooj.k ¼LrEHk 2 o"kZ dh çkjEHk esa ykxr@eY;kdu½

	fooj.k	Ek[;ky;	Xokfy;j	Hkqous'oj	oylkM	gSnjkckn	iVuk	dqy
d-	fu;r ifjlEifÙk;ka							
	भवन	5825436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5825436.00**
	औजार तथा संयंत्र	4708778.00	6344837.00	1174739.00	3694572.00	2099479.00	1184922.00	**19207327.00**
	मोटर वाहन	4761069.00	4616292.00	2917962.00	3047193.00	4718663.00	4822837.00	**24884016.00**
	फर्नीचर तथा जुड़नार	5886992.00	3125036.00	2352078.00	2239088.00	3394590.00	4100284.00	**21098068.00**
	कार्यालय उपस्कर	4884312.00	2590108.00	655950.00	1663794.00	3022568.00	1781357.00	**14598089.00**
	कम्प्यूटर/अनुषंगी उपकरण	13316860.00	3305365.00	2241487.00	4143187.00	6161274.00	3200831.00	**32369004.00**
	तकनीकी पुस्तकें	305650.00	14923.00	14852.00	3619.00	14732.00	12601.00	**366377.00**
	कैंप उपस्कर	0.00	9571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**9571.00**
	mi dqy	**39689097.00**	**20006132.00**	**9357068.00**	**14791453.00**	**19411306.00**	**15102832.00**	**118357888.00**
						0		
B.	[k- iwathxr dk;Z & çxfr ij	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	mi dqy	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	dqy ;ksx	**39689097.00**	**20006132.00**	**9357068.00**	**14791453.00**	**19411306.00**	**15102832.00**	**118357888.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s eas½

vuqlwph & 8¼ fu;r ifjlEifr fooj.k ¼LrEHk % 3 o"kZ dk nkSjku tek½

	fooj.k	Ek[;ky;	Xokfy;j	Hkksiky	oylkM	gSnjkckn	iVuk	dqy
d-	fu;r ifjlEifÙk;k							
	भवन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	औजार तथा संयंत्र	0.00	40688.00	0.00	0.00	143000.00	0.00	**183688.00**
	मोटर वाहन	660368.00	587411.00	0.00	0.00	0.00	623638.00	**1871417.00**
	फर्नीचर तथा जुड़नार	557987.00	293307.00	94048.00	109300.00	417375.00	590448.00	**2062465.00**
	कार्यालय उपस्कर	343160.00	268208.00	0.00	103590.00	282873.00	117177.00	**1115008.00**
	कम्प्यूटर/अनुषंगी उपकरण	1739033.00	482495.00	152980.00	162400.00	706884.00	526761.00	**3770553.00**
	तकनीकी पुस्तक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	कैंप उपस्कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	mi dqy	**3300548.00**	**1672109.00**	**247028.00**	**375290.00**	**1550132.00**	**1858024.00**	**9003131.00**
[k-	iwathxr dk;Z & çxfr ij	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	mi dqy	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	dqy ldy	**3300548.00**	**1672109.00**	**247028.00**	**375290.00**	**1550132.00**	**1858024.00**	**9003131.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

(राशि रुपये में)

अनुसूची – 8 (नियत परिसंपत्तियों का विवरण (स्तंभ 4) वर्ष के दौरान कटौती)

	विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल
क.	नियत परिसंपत्तियां							
	भवन	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	औजार तथा संयंत्र	0.00	66323.00	8700.00	1000.00	41818.00	11138.00	**128979.00**
	मोटर वाहन	596083.00	814843.00	0.00	0.00	0.00	363665.00	**1774591.00**
	फर्नीचर तथा जुड़नार	616801.00	56516.00	9994.00	36881.00	82232.00	121126.00	**923550.00**
	कार्यालय उपस्कर	1183728.00	217173.00	249051.00	1140.00	121306.00	72359.00	**1844757.00**
	कम्प्यूटर/अनुशंगी उपकरण	1830682.00	217155.00	52800.00	9950.00	321477.00	102595.00	**2534659.00**
	तकनीकी पुस्तकें	0.00	0.00	0.00	0.00	8361.00	0.00	**8361.00**
	कैंप उपस्कर	0.00	5179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5179.00**
	उप कुल	**4227294.00**	**1377189.00**	**320545.00**	**48971.00**	**575194.00**	**670883.00**	**7220076.00**
ख.	पूंजीगत कार्य – प्रगति पर	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	उप कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल योग	**4227294.00**	**1377189.00**	**320545.00**	**48971.00**	**575194.00**	**670883.00**	**7220076.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s esa½

vuqlwph & 8¼ fu;r ifjlEifRr;ksa dk fooj.k ¼LrEHk 5½ o"kZ esa ykxr@eqY;kadu½

	fooj.k	Ekq[;ky;	Xokfy;j	Hkqous'oj	oylkM	gSnjkckn	iVuk	dqy
d-	fu;r ifjlEifRr;k							
	भवन	5825436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5825436.00**
	औजार तथा संयंत्र	4708778.00	6319202.00	1166039.00	3693572.00	2200661.00	1173784.00	**19262036.00**
	मोटर वाहन	4825354.00	4388860.00	2917962.00	3047193.00	4718663.00	5082810.00	**24980842.00**
	फर्नीचर तथा जुड़नार	5828178.00	3361827.00	2436132.00	2311507.00	3729733.00	4569606.00	**22236983.00**
	कार्यालय उपस्कर	4043744.00	2641143.00	406899.00	1766244.00	3184135.00	1826175.00	**13868340.00**
	कम्प्यूटर/अनुशंगी उपकरण	13225211.00	3570705.00	2341667.00	4295637.00	6546681.00	3624997.00	**33604898.00**
	तकनीकी पुस्तकें	305650.00	14923.00	14852.00	3619.00	6371.00	12601.00	**358016.00**
	कैंप उपस्कर	0.00	4392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**4392.00**
		0.00						
	mi dqy	**38762351.00**	**20301052.00**	**9283551.00**	**15117772.00**	**20386244.00**	**16289973.00**	**120140943.00**
[k-	iwathxr dk;Z & çxfr ij	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	mi dqy	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	dqy ;ksx	**38762351.00**	**20301052.00**	**9283551.00**	**15117772.00**	**20386244.00**	**16289973.00**	**120140943.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s esa½

vuqlwph & 8% fu;r ifjlEifr;ksa dk fooj.k ¼LrEHk 6% o"kZ dk vkjEHk eas½

	fooj.k	Ekq[;ky;	Xokfy;j	Hkqous'oj	oylkM	gSnjkckn	iVuk	dqy
d-	fu;r ifjlEifÙk;k							
	भवन	5634100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5634100.00**
	औजार तथा संयंत्र	4547199.00	5934614.00	969936.00	3213719.00	1762236.00	990103.00	**17417807.00**
	मोटर वाहन	2161214.00	2467082.00	1650631.00	2336436.00	3603670.00	2978155.00	**15197188.00**
	फर्नीचर तथा जुड़नार	3178476.00	1319326.00	1345462.00	1138233.00	1832845.00	1969948.00	**10784290.00**
	कार्यालय उपस्कर	3445999.00	2036643.00	471129.00	1427208.00	1774374.00	1243756.00	**10399109.00**
	कम्प्यूटर/अनुशंगी उपकरण	11608706.00	2833094.00	1919967.00	3757607.00	5338582.00	2837673.00	**28295629.00**
	तकनीकी पुस्तकें	295003.00	14752.00	14636.00	3554.00	14418.00	11594.00	**353957.00**
	कैंप उपस्कर	0.00	9522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**9522.00**
	mi dqy	**30870697.00**	**14615033.00**	**6371761.00**	**11876757.00**	**14326125.00**	**10031229.00**	**88091602.00**
[k-	iwathxr dk;Z & çxfr ij	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	mi dqy	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	dqy ;ksx	**30870697.00**	**14615033.00**	**6371761.00**	**11876757.00**	**14326125.00**	**10031229.00**	**88091602.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s eas½

vuqlwph & 8% fu;r ifjlEifr;ksa dk fooj.k ¼LrEHk 7½ o"kZ dh nkSjku tek ij½

	fooj.k	Ekq[;ky;	Xokfy;j	Hkqous'oj	oyl kM	gSnjkckn	iVuk	dqy
d-	fu;r ifjlEifÙk;ka							
	भवन	19134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**19134.00**
	औजार तथा संयंत्र	24237.00	63042.00	30686.00	72107.00	61236.00	29160.00	**280468.00**
	मोटर वाहन	428847.00	314182.00	190100.00	106613.00	167249.00	275353.00	**1482344.00**
	फर्नीचर तथा जुड़नार	292946.00	197236.00	105280.00	115345.00	176263.00	240705.00	**1127775.00**
	कार्यालय उपस्कर	235855.00	92279.00	27047.00	43212.00	208190.00	89170.00	**695753.00**
	कम्प्यूटर/अनुशंगी उपकरण	1550240.00	426098.00	238717.00	280065.00	702542.00	375571.00	**3573233.00**
	तकनीकी पुस्तकें	6388.00	102.00	130.00	39.00	70.00	605.00	**7334.00**
	कैंप उपस्कर	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**4.00**
	mi dqy	**2557647.00**	**1092943.00**	**591960.00**	**617381.00**	**1315550.00**	**1010564.00**	**7186045.00**
[k-	iwathxr dk;Z & çxfr ij	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
	mi dqy	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	dqy ;ksx	**2557647.00**	**1092943.00**	**591960.00**	**617381.00**	**1315550.00**	**1010564.00**	**7186045.00**

नोटः परिसंपत्तियों के शीर्ष में आपसी बदलाव करने के लिए अन्वेतषण सर्किल, पटना द्वारा वर्ष 2016 – 17 में रू. 8114576/– (8521392 – 406816) ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। इसे स्तंभ – 8 में शामिल किया गया है जिससे वर्ष 2015 – 16 स्तंभ – 9 में ली गई कुल राशि समायोजित हो गई है।

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s esa½

vuqlwph & 8% fu;r ifjlEifr;ksa dk fooj.k ¼LrEHk 8% o"kZ dks nkSjku dVkSrh ij½

	fooj.k	Ek[;ky;	Xokfy;j	Hkqous'oj	oylkM	gSnjkckn	iVuk	dqy
d-	fu;r ifjlEifÙk;k							
	भवन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	औजार तथा संयंत्र	0.00	56026.00	8353.00	858.00	41315.00	10717.00	**117269.00**
	मोटर वाहन	194837.00	778973.00	0.00	34827.00	0.00	354645.00	**1363282.00**
	फर्नीचर तथा जुड़नार	558740.00	45105.00	8081.00	830.00	74431.00	102547.00	**789734.00**
	कार्यालय उपस्कर	1132102.00	159230.00	237982.00	9946.00	119594.00	70621.00	**1729475.00**
	कम्प्यूटर/अनुशंगी उपकरण	1805769.00	213799.00	52568.00	0.00	316248.00	102008.00	**2490392.00**
	तकनीकी पुस्तकें	0.00	0.00	0.00	0.00	8164.00	0.00	**8164.00**
	कैंप उपस्कर	0.00	5159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5159.00**
	mi dqy	**3691448.00**	**1258292.00**	**306984.00**	**46461.00**	**559752.00**	**640538.00**	**6503475.00**
[k-	iwathxr dk;Z & çxfr ij	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	mi dqy	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	dqy ;ksx	**3691448.00**	**1258292.00**	**306984.00**	**46461.00**	**559752.00**	**640538.00**	**6503475.00**

ह./—
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./—
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./—
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s eas½

vu|lph & 8% fu;r ifjlifr;ksa dk fooj.k ¼LrHk 9% o"kZ ds vr rd dqy½

	fooj.k	Ek[;ky;	Xokfy;j	Hkqous'oj	oyl kM	gSnjkckn	iVuk	dqy
d-	fu;r ifjlifÙk;k							
	भवन	5653234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5653234.00**
	औजार तथा संयंत्र	4571436.00	5941630.00	992269.00	3284968.00	1782157.00	1008546.00	**17581006.00**
	मोटर वाहन	2395224.00	2002291.00	1840731.00	2408222.00	3770919.00	2898863.00	**15316250.00**
	फर्नीचर तथा जुड़नार	2912682.00	1471457.00	1442661.00	1252748.00	1934677.00	2108106.00	**11122331.00**
	कार्यालय उपस्कर	2549752.00	1969692.00	260194.00	1460474.00	1862970.00	1262305.00	**9365387.00**
	कम्प्यूटर/अनुशंगी उपकरण	11353177.00	3045393.00	2106116.00	4037672.00	5724876.00	3111236.00	**29378470.00**
	तकनीकी पुस्तकें	301391.00	14854.00	14766.00	3593.00	6324.00	12199.00	**353127.00**
	कैंप उपस्कर	0.00	4367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**4367.00**
	mi dqy	**29736896.00**	**14449684.00**	**6656737.00**	**12447677.00**	**15081923.00**	**10401255.00**	**88774172.00**
[k-	iwathxr dk;Z & çxfr ij	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00				
	mi dqy	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				0.00				
	dqy ;ksx	**29736896.00**	**14449684.00**	**6656737.00**	**12447677.00**	**15081923.00**	**10401255.00**	**88774172.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s esa½

vuqlwph & 8¼ fu;r ifjlEifr;ksa dk fooj.k ¼LrEHk 10½ pkyw o"kZ dk vr esa½

	fooj.k	Ek[;ky;	Xokfy;j	Hkqous'oj	oyl kM	gnjkckn	iVuk	dqy
d-	fu;r ifjlEifÙk;ka							
	भवन	172202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**236218.00**
	औजार तथा संयंत्र	137342.00	377572.00	173770.00	408604.00	418504.00	165238.00	**1681030.00**
	मोटर वाहन	2430130.00	2386569.00	1077231.00	638971.00	947744.00	2183947.00	**9664592.00**
	फर्नीचर तथा जुड़नार	2915496.00	1890370.00	993471.00	1058759.00	1795056.00	2461500.00	**11114652.00**
	कार्यालय उपस्कर	1493992.00	671451.00	146705.00	305770.00	1321165.00	563870.00	**4502953.00**
	कम्प्यूटर/अनुशंगी उपकरण	1872034.00	525312.00	235551.00	257965.00	821805.00	513761.00	**4226428.00**
	तकनीकी पुस्तकें	4259.00	69.00	86.00	26.00	47.00	402.00	**4889.00**
	कैंप उपस्कर	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**25.00**
	mi dqy	**9025455.00**	**5851368.00**	**2626814.00**	**2670095.00**	**5304321.00**	**5888718.00**	**31366771.00**
[k-	iwathxr dk;Z & çxfr ij	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	mi dqy	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00						
	dqy ;ksx	**9025455.00**	**5851368.00**	**2626814.00**	**2670095.00**	**5304321.00**	**5888718.00**	**31366771.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

(राशि रुपये में)

अनुसूची – 8 (नियत परिसंपत्तियों का विवरण (स्तंभ 11) पूर्व वर्ष के आंकड़े)

	विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल
क.	नियत परिसंपत्तियाँ							
	भवन	191336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**191336.00**
	औजार तथा संयंत्र	161579.00	410223.00	204803.00	480853.00	337243.00	194819.00	**1789520.00**
	मोटर वाहन	2599855.00	2344047.00	1267331.00	710757.00	1114993.00	1844682.00	**9881665.00**
	फर्नीचर तथा जुड़नार	2708516.00	1805710.00	1006616.00	1100855.00	1561745.00	2130336.00	**10313778.00**
	कार्यालय उपस्कर	1438313.00	553465.00	184821.00	236586.00	1248194.00	537601.00	**4198980.00**
	कम्प्यूटर/अनुशंगी उपकरण	1708154.00	472271.00	321520.00	385580.00	822692.00	363158.00	**4073375.00**
	तकनीकी पुस्तकें	10647.00	171.00	216.00	65.00	314.00	1007.00	**12420.00**
	कैंप उपस्कर	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**49.00**
	उप कुल	**8818400.00**	**5585936.00**	**2985307.00**	**2914696.00**	**5085181.00**	**5071603.00**	**30461123.00**
ख.	पूँजीगत कार्य – प्रगति पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल योग	**8818400.00**	**5585936.00**	**2985307.00**	**2914696.00**	**5085181.00**	**5071603.00**	**30461123.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को तुलन पत्र का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k :i;s esa½

vuqlwph & 9¼ mnfn"V@foU;kl fuf/k;ksa ls fuos'k ¼lsokfuo`fÙk rFkk xzsP;qVh fuf/k½

	fooj.k	Ek[;ky;	Xokfy;j	Hkqous'oj	oyl kM	gSnjkckn	iVuk	dqy	fiNys o"kZ
1	mnfn"V fuf/k ls fuos'k								
	सरकारी प्रतिभूतियों में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	राष्ट्रीय बैंकों में बचत खाता	94585794.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	95206708.00	95206708.00
	नियत जमा	217500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124000000.00	124000000.00
	उद्भूत ब्याज	14867168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7970816.00	13622198.00
	dqy ;ksx	**326952962.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326952962.00**	**354821988.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को आय तथा व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k :i;s esa½

vu|l|ph & 11½ or|eku ifj l|ifr;k] _.k] vfxze vkfn

	fooj.k	Ek[;ky;	Xokfy;j	Hkqou'oj	oylkM	gnjkckn	iVuk	dy	fiNyk o"k
d-	or|eku ifj l|ifÙk;k								
	रोकड़ शेष	28620.00	24880.00	0.00	6317.00	5430.00	7803.00	**73050.00**	101902.00
	बचत बैंक खाते में शेष	31971045	10928256.00	4937196.00	4002825.00	11613334.00	11517552	**74970208.00**	59379603.00
	चालू खाते में शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	डाक टिकट शेष	209.00	1822.00	523.00	1423.00	12833.00	2674.00	**19484.00**	30032.00
	मार्गस्थ ड्राफ्ट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	रा.ज.वि.अ. सेवानिवृत्ति लाभ खाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	mi dy ¼d½	**31999874.00**	**10954958.00**	**4937719.00**	**4010565.00**	**11631597.00**	**11528029.00**	**75062742.00**	**59511537.00**
[k-	_.k] vfxze rFkk vU;& ifj l|ifÙk;k								
	ऋण तथा अग्रिमः								
	कर्मचारियो को	1358807.00	810786.00	825770.00	535940.00	1257003.00	516682.00	**5304988.00**	4220534.00
	अन्य को	12898580.00	66059985.00	861486.00	693812.00	4262874.00	1634622.00	**86411359.00**	21408221.00
	भारत जल सप्ताह	2000000.00							2000000.00
	mi dy ¼[k½	**16257387.00**	**66870771.00**	**1687256.00**	**1229752.00**	**5519877.00**	**2151304.00**	**91716347.00**	**27628755.00**
x-	çkI; nko								
	वसूली योग्य अवकाश वेतन	746687.00	93422.00	320037.00	711822.00	450505.00	721533.00	**3044006.00**	3311917.00
	प्रतिभूति जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.)	110759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**110759.00**	259921.00
	प्रेषणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	सी.पी.एफ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	5202579.00
	जल मंथन	3396505.00							
	जी.एस.एल.आई.एस.	0.00							39217.00
	उद्भूत ब्याज	**0.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	57150.00
	mi dy ¼x½	**4253951.00**	**93422.00**	**320037.00**	**711822.00**	**450505.00**	**721533.00**	**721533.00**	**8870784.00**
	dy ;kx	**52511212.00**	**77919151.00**	**6945012.00**	**5952139.00**	**17601979.00**	**14400866.00**	**175330359.00**	**96011076.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के अंत में आय एवं व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s eå½

vuqlph & 13¼ vuqnku@NwV ¼ikIr vifrlgj.kh; vuqnku@NwV½

	fooj.k	Ek[;ky;	Xokfy;j	Hkou'oj	oylkM	gnjkckn	iVuk	dqy	fiNyk o"k
1	सहायता अनुदान (केन्द्र सरकार)	214342873.00	147682073.00	68843949.00	62100714.00	167941345.00	80608643.00	**741519597.00**	**690883138.00**
2	सातवॉं वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी हेतु सहायता अनुदान								
	जल ससांधन, नदी विकास और गंगा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
	संरक्षण मंत्रालय को वापसी								
	dqy ;kx	**214342873.00**	**147682073.00**	**68843949.00**	**62100714.00**	**167941345.00**	**80608643.00**	**741519597.00**	**690883138.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को आय तथा व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k :i;s esa½

vuqlwph&17 ¼vftZr C;kt½

	fooj.k	Ek[;ky;	Xokfy;j	Hkqous'oj	oylkM	gSnjkckn	iVuk	dqy	fiNyk o"kZ
क.	बचत बैंक खातों पर	4952763.00	181922.00	157812.00	193639.00	431184.00	139472.00	**6056792.00**	5560146.00
ख.	ऋण तथा अग्रिम	219437.00	47659.00	71974.00	18389.00	88429.00	8941.00	**454829.00**	371830.00
ग.	अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	dqy	**5172200.00**	**229581.00**	**229786.00**	**212028.00**	**519613.00**	**148413.00**	**6511621.00**	**5931976.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को आय तथा व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

(राशि रुपये में)

अनुसूची – 18 (अन्य आय)

विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछले वर्ष
परिसंपत्तियों का निपटान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ/हानि	3900.00	148494.00	-8711.00	-10.00	7898.00	19380.00	**170951.00**	407765.00
विविध आय	15618.00	0.00	48553.00	422.00	4061.00	958.00	**69612.00**	31031.00
संसदीय राजभाषा समिति के व्यय की वापसी	0.00	0.00	0.00	0.00	25706.00	0.00	**25706.00**	0.00
निविदा फार्म आदि की ब्रिकी	30000.00	7908.00	4620.00	0.00	5150.00	150.00	**47828.00**	48044.00
कुल	**49518.00**	**156402.00**	**44462.00**	**412.00**	**42815.00**	**20488.00**	**314097.00**	**486840.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को आय तथा व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

(राशि रुपये में)

अनुसूची – 20 (स्थापना व्यय)

	विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क.	वेतन तथा पगार (वेतन)	85366213.00	33721368.00	40977035.00	28226744.00	87100278.00	34986718.00	**310378356.00**	124098252.00
ख.	भत्ते तथा बोनस	41575717.00	27725119.00	18273050.00	17703459.00	46160563.00	22553371.00	**173991279.00**	239520629.00
ग.	भविष्य निधि में अंशदान (सी.पी.एफ.) तथा		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
घ.	सी.पी.एफ. पर ब्याज	31305981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**31305981.00**	16890980.00
ङ.	सी.पी.एफ./जी.एस.एल.आई.एस.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
च.	कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत हितलाभ पर व्यय		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	(सेवानिवृत्ति एवं गेच्युटी निधि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	155600000.00
छ.	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	613470.00	0.00	0.00	0.00	408457.00	0.00	**1021927.00**	660443.00
ज.	नई पेंशन योजना सरकारी अंशदान	1919106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1919106.00**	1268439.00
	कुल	**160780487.00**	**61446487.00**	**59250085.00**	**45930203.00**	**133669298.00**	**57540089.00**	**518616649.00**	**538038743.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को आय तथा व्यय का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

(राशि रुपये में)

अनुसूची - 21 (अ) प्रशासनिक व्यय

	विवरण	मुख्यालय	ग्वालियर	भुवनेश्वर	वलसाड	हैदराबाद	पटना	कुल	पिछला वर्ष
क.	यात्रा व्यय	3715011	4088634.00	1745141.00	2913160.00	6117603.00	3739131.00	**22318680.00**	17615045.00
ख.	कार्यालय व्यय								
	विद्युत प्रभार	1749369	314081.00	236223.00	158587.00	1026679.00	336556.00	**3821495.00**	3574663.00
	दूरभाष तथा ट्रंक कॉल	449083	149852.00	121337.00	54540.00	133727.00	162811.00	**1071350.00**	1528972.00
	प्रकाशन, पत्रिका तथा पुस्तक	177984	47841.00	55580.00	36983.00	103588.00	40849.00	**462825.00**	459732.00
	जल प्रभार	84825	68065.00	6487.00	0.00	88317.00	193597.00	**441291.00**	441672.00
	स्टेशनरी तथा मुद्रण	29651	30830.00	16219.00	26069.00	34937.00	16726.00	**154432.00**	1008579.00
	वाहन	0	10206.00	2376.00	2452.00	16007.00	10702.00	**41743.00**	50342.00
	वर्दी	124630	18130.00	6695.00	8411.00	1569.00	58133.00	**217568.00**	139011.00
	टेलीग्राम, टेलेक्स तथा फैक्स	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	2901.00
	डाक टिकट	175430	49433.00	34779.00	42641.00	93489.00	38605.00	**434377.00**	459473.00
	रबड़ स्टैंप	0	370.00	0.00	1380.00	5580.00	3780.00	**11110.00**	6530.00
	कार्यालय की साइकिलों की मरम्मत	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	बैंक प्रभार	10061	15312.00	2923.00	168709.00	2995.00	3900.00	**203900.00**	21353.00
	विविध व्यय	244450	194422.00	145564.00	147264.00	169561.00	261665.00	**1162926.00**	1294683.00
	वकील का शुल्क	0	0.00	2700.00	0.00	18900.00	34610.00	**56210.00**	25720.00
	आतिथ्य	163692	37440.00	23697.00	11349.00	9903.00	27144.00	**273225.00**	153739.00
	विज्ञापन	140512	23558.00	21566.00	20554.00	17291.00	7594.00	**231075.00**	128780.00
	लेखा परीक्षा शुल्क	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	इंटरनेट अधिभार	0	**0**	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	ई टी डी एस शुल्क				0.00	0.00	0.00		
	अन्य प्रशासनिक व्यय	277981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**277981.00**	110070.00

	vU; 'kYd	255672				0.00		**255672.00**	
x-	fdjk;k] nj o dj	9767468	1888733.00	899116.00	1352428.00	22135518.00	3065547.00	**39108810.00**	25410620.00
?k	ejEer rFkk j[kj[kko	3359000	1267518.00	738104.00	1064419.00	1641390.00	1073834.00	**9144265.00**	8475679.00
	mi dqy	**20724819**	**8204425.00**	**4058507.00**	**6008946.00**	**22262277.00**	**9075184.00**	**61586699.00**	**61586699.00**
					0.00				
M-	fuekZ.k dk;Z	**37470664.00**	7319659.00	2398811.00	8623475.00	7307076.00	5966560.00	**69086245.00**	55440247.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0
p-	7 okW okbcsV xqtjkr oSf'od 0;kikj çn'kZuh *	**37470664.00**	**7319659.00**	**2398811.00**	**8623475.00**	**7307076.00**	**5966560.00**	**69086245.00**	**55440247.00**
	उप कुल								
		23018271.00	0.00	0.00		0.00	**0.00**	**23018271.00**	32907655.00
N-	ufn;ksa dh vUr;ksZtu ij fo'ks"k lfefr @ iSdkZ'B								
	dqy	**81213754.00**	**15524084.00**	**6457318.00**	**14632421.00**	**29569353.00**	**15041744.00**	**153691215.00**	**149934601.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को प्राप्ति एवं भुगतान का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k :i;s esa½

vuqlwph & 20 d% LFkkiuk O;;

	fooj.k	Ek[;ky;	Xokfy;j	Hkqous'oj	oylkM	gSnjkckn	iVuk	dqy	fiNyk o"kZ
d-	वेतन तथा पगार (वेतन)	85975293.00	31396050.00	39159935.00	26678204.00	84887500.00	33227981.00	**301324963.00**	128493446.00
[k-	भत्ते तथा बोनस	39158148.00	29187506.00	19072645.00	18907947.00	47111784.00	23598490.00	**177036520.00**	234279814.00
x-	भविष्य निधि में सरकारी अंशदान (सी.पी.एफ.) और सी.पी.एफ. पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
घ	जी.एस.एल.आई.एस. को भुगतान	31305981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**31305981.00**	16890980.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
p-	कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत हितलाभ पर व्यय (सेवानिवृत्ति एवं ग्रेच्युटी निधि)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	155600000.00
N-	नई पेंशन योजना सरकारी अंशदान	1919106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1919106.00**	1268439.00
ज.	अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	613470.00	0.00	0.00	0.00	408457.00	0.00	**1021927.00**	660443.00
>-	नई पेंषन योजना	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	dqy	**158971998.00**	**60583556.00**	**58232580.00**	**45586151.00**	**132407741.00**	**56826471.00**	**512608497.00**	**537193122.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31 मार्च 2018 को प्राप्ति एवं भुगतान का सर्किलवार अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s eas½

vuqlwph & 21 d½ vU; iz'kklfud 0;;

	fooj.k	Ek[;ky;	Xokfy;j	Hkqou'oj	oyl kM	gSnjkckn	iVuk	dqy	fiNyk o"kZ
d	;k=k 0;;	3715011	4088634.00	1745141.00	2913160.00	6117603.00	3739131.00	**22318680.00**	17615045.00
[k	dk;kZy; 0;;								
	विद्युत प्रभार	1749369	314081.00	236223.00	158587.00	1026679.00	336556.00	**3821495.00**	3574663.00
	दूरभाष तथा ट्रंक कॉल	449083	149852.00	121337.00	54540.00	133727.00	162811.00	**1071350.00**	1517972.00
	प्रकाशन, पत्रिका तथा पुस्तक	177984	47841.00	55580.00	36983.00	103588.00	40849.00	**462825.00**	459732.00
	जल प्रभार	84825	68065.00	6487.00	0.00	88317.00	193597.00	**441291.00**	441672.00
	स्टेशनरी तथा मुद्रण	29651	30830.00	16219.00	26069.00	34937.00	16726.00	**154432.00**	1008579.00
	वाहन	0	10206.00	2376.00	2452.00	16007.00	10702.00	**41743.00**	50342.00
	वर्दी	124630	18130.00	6695.00	8411.00	1569.00	58133.00	**217568.00**	139011.00
	टेलीग्राम, टेलेक्स तथा फैक्स	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	2901.00
	डाक टिकट	175430	49433.00	34779.00	42641.00	93489.00	38605.00	**434377.00**	459473.00
	रबड़ स्टैंप	0	370.00	0.00	1380.00	5580.00	3780.00	**11110.00**	6530.00
	कार्यालय की साइकिलों की मरम्मत	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	बैंक प्रभार	10061	15312.00	2923.00	168709.00	2995.00	3900.00	**203900.00**	21353.00
	विविध व्यय	244450	194422.00	145564.00	147264.00	169561.00	261665.00	**1162926.00**	1294683.00
	वकील का शुल्क	0	0.00	2700.00	0.00	18900.00	34610.00	**56210.00**	25720.00
	आतिथ्य	163692	37440.00	23697.00	11349.00	9903.00	27144.00	**273225.00**	153739.00
	विज्ञापन	140512	23558.00	21566.00	20554.00	17291.00	7594.00	**231075.00**	128780.00
	लेखा परीक्षा शुल्क	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	इंटरनेट अधिभार	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	अन्य प्रशासनिक व्यय	277981	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**277981.00**	110070.00

	बट्टा खाता		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	ई.टी.डी.एस. शुल्क	0				0.00			
	अन्य शुल्क	255672							
x-	fdjk;k] nj o dj	9767468	1878684.00	979084.00	1096204.00	12653982.00	2113689.00	**28489111.00**	24983884.00
?k	ejEer rFkk j[kj[kko	3359000	1267518.00	738104.00	1064419.00	1641390.00	1073834.00	**9144265.00**	8475679.00
	mi d|y	**20724819.00**	**8194376.00**	**4138475.00**	**5752722.00**	**22135518.00**	**8123326.00**	**69069236.00**	**60469828.00**
M-	नदियों के अंतर्योजन पर	**23018271.00**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**23018271.00**	32907655.00
p-	निर्माण कार्य	**37470664.00**	72825637.00	2398811.00	8623475.00	7307076.00	5966560.00	**134592223.00**	55620247.00
छ	7 वां वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	mi d|y	**60488935.00**	**72825637.00**	**2398811.00**	**8623475.00**	**7307076.00**	**14089886.00**	**157610494.00**	**88527902.00**
	d|y	**81213754.00**	**81020013.00**	**6537286.00**	**14376197.00**	**29442594.00**	**14089886.00**	**226679730.00**	**148997730.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविश्य निधि
31 मार्च 2018 का संतुलन परीक्षण
(राशि रूपये में)

¼jkf'k :i;s e½

	-	[kkrk cgh iUuk	Tkek	0;;
			:i;s	:i;s
1.	अंशदायी भविश्य निधि अग्रिम	87	20696750.00	
2.	पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान	99	46475280.00	
3.	कर्मचारी का योगदान	101		485351799.00
4.	नियोक्ता का योगदान	103		364644508.00
5.	अंशदायी भविश्य निधि आहरण	96	25439892.00	
6.	नियत जमा प्राप्तियॉ	106	231000000.00	
7.	केन्द्रीय सरकार प्रत्याभूति	107	393375000.00	
8.	विशेश जमा योजना	109	40311609.00	
9.	नियोक्ता के योगदान पर ब्याज	115	30620996.00	
10.	कर्मचारी योगदान पर ब्याज	113	23196163.00	
11	निवेश पर ब्याज	123	21009350.00	
12	निवेश पर अर्जित ब्याज	125		21009350.00
13	कर्मचारी द्वारा दावा न किया गया अंशदान	127		122694.00
14	राजविअ का खाता	131	3552206.00	
15	एस.बी.बी.जे.		122421991.00	
16	पी.एन.बी.		20663432.00	
		;kx	**924945510.00**	**924945510.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविश्य निधि
31 मार्च 2018 का तुलन पत्र

¼jkf'k : i;s esa½

fooj.k	vuqlwph	Pkkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
iwathxr fuf/k rFkk n;rk,a			
समग्र निधि / पूंजीगत निधि	1		0.00
सुरक्षित तथा अधिशेष निधि	2		0.00
उद्दिश्ट / विन्यास निधि	3		0.00
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4		0.00
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5		0.00
आस्थगित जमा देयताएं	6	21009350.00	24714761.00
चालू देयताएं तथा प्रावधान	7	807772032.00	704350240.00
कुल		**828781382.00**	**729065001.00**
ifjlaifÙk;ka			
नियत परिसंपत्तियां	8		
निवेश – उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से	9		
निवेश – अन्य	10	685695959.00	661101370.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि विविध व्यय (बट्टे खाते नहीं डालने / समायोजित नहीं करने की सीमा तक)	11	143085423.00	67963631.00
dqy		**828781382**	**729065001.00**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविश्य निधि
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

¼jkf'k : i;s e½

0;;	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ	vk;	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
सरकारी अंशदान	49846875.00	11696758.00	एफ.डी.आर पर ब्याज	38995795.00	16521475.00
सरकारी अंशदान पर ब्याज	30620996.00	23009706.00	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	26849637.00	27676812.00
कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज	23196163.00	27960284.00	बचत बैंक खाते पर ब्याज	1209249.00	1664024.00
बैंक प्रभार	1896.00	1347.00	एस.डी.एस. खाते पर ब्याज	3174235.00	3324327.00
सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद पर अधिक राशि का भुगतान		3409522.00	सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए प्राप्त छूट	2131033.00	----
			कमी	31305981.00	16890979.00
d|y	**103665930.00**	**66077617.00**	d|y	**103665930.00**	**66077617.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता

¼jkf'k : i;s e½

ikfIr	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ	Hkxrku	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
बैंक आदि शेष			अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम	20696750.00	25011874.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7512888.00	27941220.00	पूरा एवं अंतिम भुगतान	46475280.00	56293982.00
पंजाब नेशनल बैंक	60450743.00	12424964.00	अंतिम आहरण	25439892.00	19945016.00
सरकारी प्रतिभूतियां परिपक्वता	5700000.00	30800000.00	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	55868968.00	45709522.00
नियत जमाओं की परिपक्वता	108000000.00	55200000.00	एफ.डी.आर. में निवेश	84000000.00	69000000.00
बचत खाते पर ब्याज	1209249.00	1664024.00	बैंक प्रभार	1896.00	1348.00
एस.डी.एस. खाते पर ब्याज	3174235.00	3324327.00	नई पेंशन योजना कर्मचारी अंशदान	5052578.00	
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	26849637.00	27676812.00	रा.ज.वि.अ. के पूर्ण वर्ष की राशि खाते पर बैंक जमा		
नियत जमाओं पर ब्याज	38995795.00	16521475.00			
कर्मचारी का अशंदान, कर्मचारी की किस्त पर नियोक्ता तथा सरकार का अशंदान	128728239.00	108372551.00	पंजाब नेशनल बैंक	20663432.00	7512888.00
		283925373.00	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	122421990.00	60450743.00
dqy	**380620786.00**		dqy	**380620786.00**	**283925373.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
(31.03.2018)

¼jkf'k :i;s esa½

vuqlwph & 6% vkLFkfxr tek ns;rk,sa		
fooj.k	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज	21009350	24714761

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
(31.03.2018)

¼jkf'k : i;s esa½

vuqlwph&7 ¼ orZeku nkf;Roksa ,oa izko/kku					
fooj.k			pkyw o"kZ	fiNys o"kZ	
deZpkfj;ksa dk va'knku					
आदि शेष		384382382.00		350263212.00	
वर्ष के दौरान जमा					
कर्मचारियों का अंशदान	92382107.00			74905892.00	
अग्रिमों की वापसी	8587310.00			10368198.00	
सदस्यों के खातों में जमा ब्याज	23196163.00	124165580.00	---	27964975.00	
o"kZ ds nkSjku dVkSrh		508547962.00		463502277.00	
बिना दावे वाले अंशदान का अंतरण	-----			----	
अंतिम भुगतान	23306130.00			34163005.00	
अंतिम आहरण	25439892.00			19945016.00	
सदस्यों को ऋण/अग्रिम	20696750.00			25011874.00	
नई पेंशन योजना धारक निधि में अंतरित	--------	69442772.00	439105190.00	79119895.00	384382382.00
म्उचसवलममे न्दबसंपउमक`नइेबतपचजपवद			122694.00	122694.00	122694.00
fu;ksDrk dk va'knku					
आदि शेष		314792586.00		302205750.00	
वर्ष के दौरान जमा					
नियोक्ता का अंशदान	49851922.00			11708107.00	
सदस्यों के खातों में जमा ब्याज	30620996.00	80472918.00		23009706.00	
				34717813.00	
		395265504.00		336923563.00	
वर्ष के दौरान कटौती					
अंतिम भुगतान	23169150.00				
नई पेंशन योजना धारक निधि में अंतरित	----	23169150.00		22130997.00	
			372096354.00	314792586.00	314792586.00
रा.ज.वि.अ. खाता			(-) 3552206.00		(-) 5052578.00
			dqy	**807772032.00**	**704350240.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
(31.03.2018)

¼jkf'k : i;s esa½

vuqlwph & 10% fuos'k & vU;

fooj.k		pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
नियत जमा	231000000.00		
जमा – प्रोद्दभूत ब्याज	15417659.00	246417659.00	275467041.00
प्रोमिसरी नोट (सरकारी प्रतिभूतियां)	393375000.00		
जमा – प्रोद्दभूत ब्याज	4798132.00	398173132.00	344491638.00
विशेष जमा योजना	40311609.00		
जमा – प्रोद्दभूत ब्याज	793559.00	41105168.00	41142691.00
dqy		**685695959.00**	**661101370.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविश्य निधि
(31.03.2018)

¼jkf'k : i;s esa½

vu|lph & 11½ or|eku ifj|lEifr;k] _.k] vfxze vkfn

fooj.k	pkyw o"kZ	fiNyk o"kZ
dk- v- ç- >kalh jk-t-fo-v- ls çkIr jk-t-fo-v-	----------	
बैंक शेष	0.00	0.00
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, साकेत, नई दिल्ली	122421991.00	7512888.00
पंजाब नेशनल बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली	20663432.00	60450743.00
dqy	**143085423.00**	**67963631.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

vuqlwph & I

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविश्य निधि
वर्ष 2017-18 के लिए सी.पी.एफ. अभिदान (कर्मचारी अंशदान) तथा अग्रिम की वापसी का माहवार विवरण

¼jkf'k :i;s esa½

ekg	vfHkknku ¼deZpkjh va'knku½	vfxzeksa dh okilh	dqy
4/2016	6474174.00	799646.00	7273820.00
5/2016	6463561.00	744521.00	7208082.00
6/2016	6469470.00	730169.00	7199639.00
7/2016	6374694.00	716508.00	7091202.00
8/2016	7030369.00	688806.00	7719175.00
9/2016	8990443.00	715033.00	9705476.00
10/2016	8343068.00	713833.00	9056901.00
11/2016	8089596.00	705808.00	8795404.00
12/2016	8478359.00	683708.00	9162067.00
1/2017	8506060.00	711428.00	9217488.00
2/2017	8670204.00	674828.00	9345032.00
3/2017	8486704.00	703022.00	9189726.00
TOTAL	**92376702.00**	**8587310.00**	**100964012.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

vuqlwph & II

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविश्य निधि
वर्ष 2017 – 18 में अंतिम और पूरा भुगतान /अंतरण का विवरण

Ø-la-	uke rFkk inuke	lh-ih-,Q- ys[kk la[;k	deZpkjh dk va'knku ¼vfHknku½	fu;ksDrk dk va'knku	dqy
1.	श्री पी. के साहू, क. ले.	170	111828	810903	922731
2.	श्रीमती बी पी सेठी, प्र. श्रे. लि.	608	1817827	608546	2426373
3.	श्री रमेंश कुमार हटवाल, एम. टी. एस	24	781502	477718	1259220
4.	श्री एस. एस. इंगलेश्व.र, अधी.	469	1021974	857942	1879916
5.	श्री आधार कुमार राय, प्र. श्रे. लि.	240	166560	585015	751575
6.	श्री एस सी डे, एम. टी. एस	274	135929	491246	627175
7.	श्री सी एच मकवाना,	541	145807	588007	733814
8.	श्री कमल कांत बहेरा, प्र. लि.	234	761172	1442371	2203543
9	श्री पी के पाढी, प्र. श्रे. लि.	609	1344246	628186	1972432
10.	श्री एन. साहू, चालक	271	374973	662256	1037229
11.	श्री आर एल परमार, एम. टी. एस	55	382355	448640	830995
12.	श्री आर के सेठी, चालक	186	55968	487219	543187
13.	श्री पी सोसम्मा	727	1744419	654498	2398917
14.	श्री एम पी गुप्ता निदेशक (वित्त)	955		19535	19535
15.	श्री आर पी रावत, कार्यपालक अभियंता	328		61440	61440
16	श्री एन.के. सिंह, सहायक निदेशक	39		55426	55426
17	श्री एस भद्रा, अ. श्रे. लि.	745		31783	31783
18	श्री रमेश कुमार, एम. टी. एस	24		39270	39270
19	श्री एस.एस. इंगलेश्व.र, अधी.	469		64688	64688
20	श्री जय सिंह, चालक	885	322557	570582	893139
21	श्री राम कुमार, क. ले. अ.	682	1796443	978655	2775098
22	श्री के भट्टाचार्य,	788	314954	518294	833248
23	श्रीमती बी नागरमणि, प्र. लि.	106	617240	786801	1404041
24	श्रीमती सी. पदमावती, प्र. लि.	393	1180308	696558	1876866
25	श्री एम बी राठौड, सहायक अभियंता	84	1197975	1076285	2274260
26	श्री ओ पी. एस कुशवाह, अधी. अभि.	204	1382355	1939280	3321635
27	श्री फहीम अशरफ, अधी. अभि.	449	3137698	1764877	4902575
28	श्री के कवींद्र, पी एस	447	112295	987590	1099885
29	श्री हीरे लाल, एम. टी. एस	58	120119	483138	603257

30	श्री एन वाई कोलकर, एम. टी. एस	636	896381	494299	1390680
31	श्री पी के जेना, एम. टी. एस	183	54706	514388	569094
32	श्री वी कंपाराज, प्र. श्रे. लि.	675	245207	576406	821613
33	श्री के. वेंकटाराव,	495		12609	12609
34	श्रीमती बी पी सेठी, प्र. श्रे. लि.	608		39781	39781
35	श्री पी के पाढी, प्र. श्रे. लि.	609		44742	44742
36	श्री आर के सेठी, चालक	186		52416	52416
37	श्री के. एन. साहू, चालक	271		46491	46491
38	श्री के श्रीहरि, क. ले. अ.	387		27324	27324
39	श्रीमती टी एन संगीता, आशुलिपिक	438		19850	19850
40	श्री पी के साहू, क. ले. अ.	170		51450	51450
41	श्री जी रामचंद्रप्पा, स. अ.	753	1005137	833033	1838170
42	श्री सी सुधाकर नादर, एम. टी. एस	150	604717	554758	1159475
43	श्री ए संबाशिवाराव, क. ले. अ	433		21873	21873
45	श्रीमती के पदमावती, प्र. लि.	393		57390	57390
46	श्रीमती टी पी सोसम्मा, आशुलिपिक	727		60312	60312
47	श्री के सदाशिवन, अ. श्रे. लि.	785		11730	11730
48	श्री टी मसीलामणि, अधीक्षक	94	1473478	933549	2407027
49					
		d|y	**23306130**	**23169150**	**46475280**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

vu|lph & **III**

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नियत जमा को दिखाने वाली विवरणिका

Ø-l-	fu;r tek l[;k ¼,Q-Mh-vkj½	jkf'k	C;kt nj ¼%½	i.krk dh frfFk	i.krk jkf'k	ftll ,Q-Mh-vkj Ø; dh xÃ
						LVsV cSd v,Q chdkusj ,.M- t;iqj] lkdsr] ubZ fnYyh
1	681272 दि. 20.4.15	9000000	8.50	20.4.2018	11583168	वही
2	681304 दि. 24.4.15	9000000	8.50	24.4.2018	11583168	वही
3	681313 दि. 27.4.15	9000000	8.50	27.4.2018	11583168	वही
4	681316 दि. 28.4.15	9000000	8.50	28.4.2018	11583168	वही
5	681312 दि. 29.4.15	9000000	8.50	29.4.2018	11583168	वही
6	681736 दि. 27.7.15	9000000	8.15	24.6.2018	11388744	वही
7	681737 दि. 27.7.15	9000000	8.15	27.6.2018	11388744	वही
8	682381 दि. 18.01.16	8400000	7.75	18.12.2018	10508529	वही
9	682386 दि. 19.01.16	8400000	7.75	19.12.2018	10508529	वही
10	682394 दि. 20.01.16	8400000	7.75	20.12.2018	10508529	वही
11	682398 दि. 21.01.16	8400000	7.75	21.12.2018	10508529	वही
12	682424 दि. 25.01.16	8400000	7.75	25.12.2018	10508529	वही
13	682676 दि. 18.04.16	9000000	7.50	18.3.2019	11174286	वही
14	682684 दि. 19.04.16	9000000	7.50	19.3.2019	11174286	वही
15	KF 882213 दि. 21.07.16	8000000	7.50	21.7.2019	9997731	केनरा बैंक,साकेत, नई दिल्ली
16	KF 882217 दि. 22.07.16	8000000	7.50	22.7.2019	9997731	वही
17	KF 882219 दि. 26.07.16	8000000	7.50	26.7.2019	9997731	वही
18	882915 दि. 16.12.17	84000000	6.50	16.12.2018	8959433	वही
19.	882918 दि. 19.12.17	84000000	6.50	19.12.2018	8959433	वही
20	882922 दि. 20.12.17	84000000	6.50	20.12.2018	8959433	वही
21	882926 दि. 22.12.17	84000000	6.50	22.12.2018	8959433	वही
22	882928 दि. 26.12.17	84000000	6.50	26.12.2018	8959433	वही
23	882930 दि. 27.12.17	84000000	6.50	22.12.2018	8959433	वही
24	882933 दि. 28.12.17	84000000	6.50	28.12.2018	8959433	वही
25	882942 दि. 29.12.17	84000000	6.50	29.12.2018	8959433	वही
26	882943 दि. 30.12.17	84000000	6.50	30.12.2018	8959433	वही
27	882949 दि. 01.02.18	84000000	6.50	02.01.2019	8959433	वही
	dqy	**231000000**				

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

vuqlph & IV

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्रोमिसरी – नोटों / सरकारी प्रतिभूतियों के विवरण को दिखाने वाली विवरणिका

Ø-l-	ikfe l jh ukV l-	Ø; dh frfFk	Ql eY;	i.krk vof/k
1.	6.05% जीएस 2019	20.01.2006	2600000	12.01.2019
2.	10.45% जीएस 2018	26.09.2007	2500000	30.04.2018
3.	6.35 % जीएस 2020	24.09.2009	13625000	02.01.2020
4.	6.90% जीएस 2019	19.01.2010	15000000	13.07.2019
5.	6.35 % जीएस 2020	22.04.2010	11800000	02.01.2020
6.	8.20% जीएस 2024	12.08.2010	6200000	15.09.2024
7.	8.20% जीएस 2024	23.12.2010	13950000	15.09.2024
8.	8.20% जीएस 2023	25.05.2011	7200000	10.11.2023
9.	8.08% जीएस 2022	02.08.2011	5500000	02.08.2022
10.	8.79% जीएस 2021	08.12.2011	6900000	08.11.2021
11.	8.28% जीएस 2027	02.03.2012	14800000	21.09.2027
12.	8.28% जीएस 2027	19-06-2012	15800000	21-09-2027
13.	8.33% जीएस 2026	31-10-2012	15200000	09-072026
14.	8.35% जीएस 2024	7-06-2013	25600000	27-03-2024
15.	8.20 % जीएस 2025	25-11-2013	9100000	25-09-2025
16.	8.28 % जीएस 2027	13-02-2014	12300000	21-09-2027
17.	7.16 % जीएस 2023	27-03-2014	7600000	20-05-2023
18.	6.90% जीएस 2026	17.7.2014	11000000	4.2.2026
19.	8.20% जीएस 2025	15.9.2014	6700000	24.9.2025
20.	8.35% जीएस 2024	3.2.2015	20600000	27.3.2024
21.	8.35% जीएस 2024	16.4.2015	29000000	27.3.2024
22.	7.16% जीएस 2023	4.8.2015	12400000	25.5.2023
23.	7.68% जीएस 2023	21.1.2016	27700000	15.12.2023
24.	8.40% जीओआई 2026	26.4.2016	11000000	24.7.2024
25	7.95% जीओआई 2026	3.8.2016	14800000	18.2.2026
26	7.73% जीओआई 2034	24.3.2016	9000000	19.12.2034
27	7.32% जीओआई 2032	24.3.2016	75000000	2.8.2032
28	6.79% जीओआई 2027	08.03.2018	58000000	15.05.2027
	dy		**393375000**	

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को भारत जल सप्ताह 2017 का तुलन पत्र

¼jkf'k : i;s eas½

fooj.k	vuqlwph	Pkkyw o"kZ
iwathxr fuf/k rFkk nkf;Ro		
समग्र निधि /पूंजीगत निधि	1	6011957.00
सुरक्षित तथा अधिशेष निधि	2	0.00
उद्दिष्ट /विन्यास निधि	3	0.00
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4	0.00
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5	0.00
आस्थगित जमा देयताएं	6	0.00
चालू देयताएं तथा प्रावधान	7	752500.00
dqy		**6764457.00**
ifjlEifRr;k		
नियत परिसंपत्तियां	8	0.00
निवेश – उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से	9	0.00
निवेश – अन्य	10	0.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	6764457.00
विविध व्यय		0.00
(बट्टे खाते नहीं डालने /समायोजित नहीं करने की सीमा तक)		
dqy		**6764457.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को भारत जल सप्ताह 2017 का प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

¼jkf'k : i;s e½

	i kfIr	Hkkjr ty lIrkg 2017		Hkxrku	Hkkjr ty lIrkg 2017
I.	vkfn 'k"k		I.	0; ;	
	क. रोकड़ शेष			क. स्थापना व्यय	0.00
	ख. बैंक शेष			(अनुसूची 20ए के तद्नुरूप)	
	i. बचत खातों में			ख. प्रशासनिक व्यय	
	ii. एस.बी.आई.	0.00		(अनुसूची 21ए के तद्नुरूप)	24498807.00
	ग. एच.डी.एफ.सी.	0.00			
			II.	ofHkUu ifj;kstukvk dh fy, fd,	
II.	çkIr vunku			x, fuos'k dh fy, Hkxrku	
	क. भारत सरकार से	10000000.00		लिंक नहर परियोजना	0.00
	ख. राज्य सरकार से	0.00			
			III.	Investment and Deposit Made	
III.	fuos'k ij vk; lh			क. उद्दिष्ट/अक्षय निधि से	0.00
	क. उद्दिष्ट /अक्षय निधि	0.00		ख. अपने निवेशों से (निवेश–अन्य)	0.00
	ख. अपनी निधि (निवेश पर)	0.00			
IV.	çkIr C;kt		IV.	fu;r rFkk iwthxr fuekZ.kk/khu	
	क. बैंक जमाओं पर	341957.00		dk;kZ ij 0;;	0.00
	ख. ऋण तथा अग्रिम आदि			d- fu;r ifjlEifÙk;kW dk Ø;	92700.00
				ख. पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों पर व्यय	661271.00
V.	vU; vk; ¼fofufn"V djs½			ब्याज तथा दीर्घावधि अग्रिमों की वापसी	0.00
	पंजीकरण मूल्य	920743.00	V.	Vh- Mh- ,l-	3658.00
	प्रदर्शनी शुल्क	10909526.00		foÙkh; vf/kHkkj ¼C;kt½	0.00

	Exihibition fee	**5214468.00**	**VI.**	vU; Hkxrku ¼Li"V dj½	0.00
	आई.टी.पी.ओ. बुकिंग राशि की वापसी	**1612616.00**			
				Closing Balances	
VI.	m/kkj yh xbZ jkf'k jk-t-fo-v-	**700000.00**	**VII.**	क. रोकड़ शेष	**7389.00**
VII.	dkbZ vU; ikorh ¼fooj.k n½			ख. बैंक शेष	
	भारत यूरोपीय यूनियन	**1511454.00**		पण चालू खाते में एस.बी.बी.जे	**5499439.00**
				एच.डी.एफ.सी.	**500000.00**
	इ.एम.डी./निष्पादन गारंटी	52500			
				c). Postage in Hand	
	dqy	**31263264.00**		dqy	**31263264.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को भारत जल सप्ताह 2017 का आय तथा व्यय लेखा

¼jkf'k : i;s e½

0;;	vuqlph	Hkkjr ty lIrkg 2017	vk;	vuqlph	Hkkjr ty lIrkg 2017
स्थापना व्यय	20	**0.00**	विक्रय/सेवा से आय	12	**0.00**
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	**24498807.00**	अनुदान/सहायिकी	13	**10000000.00**
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	**0.00**			
ब्याज	23	**0.00**	प्राप्त अप्रत्यादेय अनुदान एवं सहायिकी) शुल्क/चंदा	14	**18556191.00**
			निवेश से आय (उदिदृष्ट /अक्षय निधियों में निवेश		
			से आय/निधियों से निधियों में किया गया अंतरण)	15	**0.00**
			रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	**0.00**
			अर्जित ब्याज	17	**341957.00**
			अन्य आय	18	**1612616.00**
			तैयार माल के स्टॉक तथा चल रहे कार्यों में		
			वृद्धि/(कमी)	19	**0.00**
dqy ¼[k½		**24498807.00**	**TOTAL (A)**		**30510764.00**
व्यय पर आय की अधिकता के कारण शेष (क – ख)		**6011957.00**			
तुलनपत्र में अंतरण					

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को भारत जल सप्ताह 2017 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k :i;s e½

vu|lıph & 13½ lgk;rk @ NlV ¼vifjorluh; lgk;rk ,o ikIr NlV½

fooj.k	Hkkjr ty lIrkg 2017
भारत जल सप्ताह 2017 के लिए जल संसाधन,	
नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से प्राप्त निधि	10000000.00
d|y	**10000000.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को जल मंथन 2017 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k :i;s esa½

vuqlwph & 13¼ lgk;rk @ NwV ¼vifjorZuh; lgk;rk ,oa ikl NwV½

fooj.k	ty eFku 2017
जल मंथन 2017 के लिए जल संसाधन, नदी विकास	
और गंगा संरक्षण मंत्रालय से प्राप्त निधि	10000000.00
dqy	**10000000.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को जल मंथन 2017 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s eas½

vuqlwph & 7% orZeku ns;rk,a rFkk çko/kku

	fooj.k	ty eaFku 2017
d-	orZeku ns;rk,a	
	अन्य वर्तमान देयताएं	
	बकाया व्यय	
	वेतन और भत्ते	0.00
	किराया, दर और कर	0.00
	प्रेषणा	0.00
	स्टैल चैक	0.00
	सी पी एफ	0.00
	अन्य रा. ज. वि. अ.	700000.00
	धरोहर राशि सुरक्षा जमा	2500.00
	निष्पादन की गारंटी जमा	50000.00
	सेवा निवृत्ति / ग्रेच्युटी निधि	0.00
	टी डी एस	0.00
	उप कुल (क):	**752500.00**
[k-	çko/kku	
	लेखा परीक्षा शुल्क	0.00
	सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी निधि	0.00
	mi dqy ¼[k½	**0.00**
	dqy	**752500.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को जल मंथन 2017 के तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s e½

vuqlwph & 11% orZeku nkf;Rok,a] _.k ,oa vfxze

	fooj.k	t y eaFku 2017
d-	orZeku nkf;Rok,a	
	आदि शेष	7389.00
	बचत बैंक खाता	5499439.00
	एस बी आई	500000.00
	एच डी एफ सी	0.00
	डाक टिकट	0.00
	मार्गस्थ ड्राफ्ट	
	mi dqy ¼d½	**6006828.00**
[k-	_.k vfxze ,oa vU; ifjlaifRr;ka	
	ऋण एवं अग्रिम	
	कर्मचारियों को	92700.00
	अन्य (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय केंन्द्र)	613600.00
	विज्ञान भवन	0.00
	टी डी एस	3658.00
	आई टी पी ओ	47671.00
	डी ए वी पी	**757629.00**
x-	çkIr; nkos	0
	उप कुल (ग)	**0.00**
	dqy ;ksx	**6764457.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को भारत जल सप्ताह 2017 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s eas½

vuqlwph & 14¼ “kqYd @ pank

	fooj.k	t y eFku 2017
	India Water Week	
1	भारत जल सप्ताह पंजीकरण/प्रतिनिधि मंडल शुल्क	920743.00
2	वार्षिक शुल्क / चंदा	0.00
3	सेमिनार / कार्यक्रम शुल्क	0
4	प्रायोजक शुल्क	10909526.00
5	भारत जल सप्ताह में स्टाल लगाने का शुल्क	5214468.00
6	भागीदार देश – भारतीय यूनियन यूरोपियन	1511454.00
7		0.00
	dqy	**18556191.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को भारत जल सप्ताह 2017 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k :i;s e½

vuqlwph & 17% vftZr C;kt

	fooj.k	t y eFku 2017
क.	बचत बैंक खातों पर	341957.00
ख.	ऋण एवं अग्रिमों पर	0.00
ग.	अन्य	0.00
	dqy	**341957.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को भारत जल सप्ताह 2017 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s esa½

vuqlwph & 18% vU; vk;

fooj.k	t y eFku 2015
परिसंपत्तियों का निपटान	0.00
परिसंपत्तियों के निपटान पर लाभ / हानि	0.00
विविध आय	0.00
आई. टी. पी. ओ. (बुकिंग राशि वापसी)	1612616.00
टेंडर फार्म आदि की बिक्री पर	0.00
dqy	**1612616.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को भारत जल सप्ताह 2017 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s esa½

vuqlwph & 21% vU; Ikz'kklfud O;;

fooj.k	tyeFku 2017
यात्रा व्यय	175240.00
प्रकाशन व्यय	2311099.00
दूरभाष / ट्रंक काल	4000.00
पंजीकरण सामग्री व्यय	1500736.00
वेब साईट अलग शुभारंभ करना	768772.00
स्मृति चिन्ह की खरीद	297809.00
डाक व्यय	122151.00
सहायक कर्मचारी	0.00
इवेंट प्रोमोशन	7386417.00
बैंक प्रभार	2486.00
आतिथ्य व्यय	3346750.00
मार्ग सूचक चिन्ह पर व्यय	201000.00
ओडियो विजन उपकरण व्यय	1524040.00
परिवहन किराया व्यय	408207.00
प्रदर्शनी निर्माण व्यय	4623093.00
किराया, रेट और टैक्स	1331000.00
विज्ञान भवन में बकेट एवं फ्लावर	496007.00
विज्ञान भवन	0.00
dqy	**24498807.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को भारत जल सप्ताह 2017 के प्राप्ति एवं भुगतान की अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k :i;s esa½

(Common for Income & Expenditure for also)

vuqlwph & 21d¼ vU; Ikz'kklfud O;;

fooj.k	ty eFku 2015
यात्रा व्यय	175240.00
प्रकाशन	2311099.00
दूरभाष तथा ट्रंक कॉल	4000.00
पंजीकरण सामग्री व्यय	1500736.00
अलग वेबसाइट आरंभ करना	790130.00
स्मृति चिन्ह की खरीद	297809.00
डाक व्यय	122151.00
सहायक कर्मचारी	0.00
इवेंट प्रोमोशन	4343025.00
बैंक प्रभार	2907.00
आतिथ्य व्यय	3346750.00
मार्ग सूचक चिंह पर व्यय	733000.00
दृश्य – श्रव्य उपकरण पर व्यय	1524040.00
यातायात व्यवस्था	408207.00
प्रदर्शनी निर्माण व्यय	4623093.00
विज्ञान भवन का किराया दर और कर	1331000.00
विज्ञान भवन में बूके एवं पुष्प पर व्यय	496007.00
इवेंट मैनेंजमेंट एजेंसी पर व्यय	2736392.00
dqy	**24745586.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल ससांधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को भारत जल सप्ताह 2017 का तुलन पत्र

¼jkf'k : i;s esa½

fooj.k	vuqlwph	Pkkyw o"kZ
iwathxr fuf/k rFkk ns;rk,a		
समग्र निधि /पूंजीगत निधि	1	1512365.00
सुरक्षित तथा अधिशेष निधि	2	0.00
उद्दिष्ट /विन्यास निधि	3	0.00
सुरक्षित ऋण तथा उधार	4	0.00
असुरक्षित ऋण तथा उधार	5	0.00
आस्थगित जमा देयताएं	6	0.00
चालू देयताएं तथा प्रावधान	7	2210000.00
dqy		**3722365.00**
ifjlEifRr;k		
नियत परिसंपत्तियां	8	0.00
निवेश – उद्दिष्ट/विन्यास निधियों से	9	0.00
निवेश – अन्य	10	0.00
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	11	3722365.00
विविध व्यय		
(बट्टे खाते नहीं डालने /समायोजित नहीं करने की सीमा तक)		
dqy		**3722365.00**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24	
आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां	25	

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को जल मंथन 2017 का आय तथा व्यय लेखा

¼jkf'k : i;s esa½

0;;	vuqlwph	t y eFku	vk;	vuqlwph	t y eFku
स्थापना व्यय	20	0	विक्रय/सेवा से आय	12	0
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	2767188.00	अनुदान/सहायिकी	13	3522906.00
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	0	(प्राप्त अप्रत्यादेय अनुदान एवं सहायिकी)		
ब्याज	24	0.00	शुल्क/चंदा	14	0
			निवेश से आय (उदिदृष्ट /अक्षय निधियों में निवेश से		
			आय/निधियों से निधियों में किया गया अंतरण)	15	0
			रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	0
			अर्जित ब्याज	17	111751.00
			अन्य आय	18	0
			तैयार माल के स्टॉक तथा चल रहे कार्यों		
			में वृद्धि/(कमी)	19	0
dqy ¼d½		**2767188**	dqy ¼[k½		**3634657**
व्यय पर आय की अधिकता के कारण					
शेष (क – ख)	867469				
तुलनपत्र में अंतरण					

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को जल मंथन 2017 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s e½

vu|l|ph & 7½ or|eku n|;rk,| rFkk çko/kku

	fooj.k	
d-	or|eku n|;rk,|	
	vU; or|eku n|;rk,|	
	बकाया व्यय	
	वेतन और भत्ते	0.00
	किराया, दर और कर	0.00
	प्रेषणा	0.00
	स्टैल चैक	0.00
	सी पी एफ	0.00
	अन्य रा. ज. वि. अ.	2200000.00
	धरोहर राशि सुरक्षा जमा	10000.00
	निष्पादन की गारंटी जमा	0.00
	सेवा निवृत्ति / ग्रेच्युटी निधि	0.00
	टी डी एस	0.00
	mi d|y ¼d½	**2210000.00**
[k-	çko/kku	
	लेखा परीक्षा शुल्क	0.00
	सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी निधि	0.00
	mi d|y ¼[k½	**0.00**
	d|y	**2210000.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को जल मंथन 2017 के तुलन पत्र का अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s esa½

vuqlwph & 11¼ orZeku ns;rk,] _.k ,oa vfxze

	fooj.k	ty eaFku 2017
d-	orZeku ns;rk,¡	
	आदि शेष	14519.00
	बचत बैंक खाता – एस बी आई	3639545.00
	एच डी एफ सी	
	डाक टिकट	0.00
	मार्गस्थ ड्राफ्ट	0.00
	उप कुल (क)	**3654064.00**
[k-	_.k vfxze ,oa vU; ifjlEifRr;k	
	ऋण एवं अग्रिम	0.00
	कर्मचारियों को	14101.00
	अशोक होटल आई टी डी सी को अग्रिम (सुरक्षा जमा	54200.00
	mi dqy ¼[k½	**68301.00**
x-	çkIr; nkos	0
	mi dqy ¼x½	**0.00**
	dqy ;ksx	**3722365.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को जल मंथन 2017 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k :i;s esa½

vuqlph & 13½ lgk;rk @ NwV ¼vifjorZuh; lgk;rk ,oa ikIr NwV½

fooj.k	ty eaFku 2017
जल मंथन 2017 के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से प्राप्त निधि	3522906.00
;kx	**3522906.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को जल मंथन 2017 के आय एवं व्यय की अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k :i;s eas½

vuqlwph & 17¼ vftZr C;kt

	fooj.k	ty eaFku
क.	बचत बैंक खातों पर	111751.00
ख.	ऋण एवं अग्रिमों पर	0.00
ग.	अन्य	0.00
	;ksx	**111751.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को जल मंथन 2017 के आय एवं व्यय का अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k :i;s esa½

vuqlwph & 21¼ vU; iz'kklfud O;;

fooj.k	tyeaFku
विज्ञान भवन में बुके एवं फ्लावर	132017.00
प्रकाशन व्यय	85440.00
परिवहन व्यय	41244.00
यात्रा व्यय	0.00
ठहरने की व्यवस्था	739805.00
आतिथ्य व्यय	964562.00
विज्ञान भवन का किराया	271000.00
स्मृति चिन्ह व्यय	56112.00
डेलीगेशन किट पर व्यय	476400.00
बैंक प्रभार	608.00
;ksx	**2767188.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
31.03.2018 को जल मंथन 2017 को तुलन पत्र की अनुसूची बनाने वाला भाग

¼jkf'k : i;s esa½

vuqlwph & 1½ iwathxr fuf/k

fooj.k	t y eaFku 2017
वर्ष के प्रारंभ में षेश	644896.00
शेष नकद एवं बैंक	
mi dqy ¼d½	**644896.00**
– बट्टे खाते में डाले गए पूंजीगत निवेश	
जमा / घटाः निवल आय का शेष / (व्यय)	867469
आय तथा व्यय खाते से अंतरित	
उप कुल (ख)	0.00
वर्ष के अन्त में षेश	**1512365.00**

ह./–	ह./–	ह./–
(जगमीत सिंह)	(आर. के. सिन्हा)	(एम. के. श्रीनिवास)
लेखा अधिकारी	निदेशक (वित्त)	महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत दीर्घ सिंचाई निधि – वर्ष 2017 – 18 का प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

¼jkf'k : i;s eas½

	ikfIr	pky o"k	iov o"k		Hkxrku	pky o"k	iov o"k
I.	1- vkfn 'k"k			I.	0;;		
	क. रोकड़ शेष	0.00	0.00		क. स्थापना व्यय		
	ख. बैंक शेष				(अनुसूची 20ए के तद्नुरूप)	0.00	0.00
	i. चालू खातों में	0.00	0.00		ख. प्रशासनिक व्यय		
	ii. मार्गस्थ चैक / ड्राफ्ट	0.00	0.00		(अनुसूची 21ए के तद्नुरूप)	0.00	0.00
II.	çkIr vunku			II.	fofHkUu ifj;kstukvksa d		
	क. भारत सरकार से	6,101,141,263.00	446,635,556.00		fy, fd, x, fuos'k d fy, Hkxrku		
	ख. राज्य सरकार से	0.00	0.00		dUnh; lgk;rk ¼1h ,½ i/kkue=h d f"k flpkbZ ;kstuk ,y Vh vkbZ ,Q d vrxr tkjh jkT;ka dh ;kstuk		
III.	fuos'k ij vk; l				आंध्र प्रदेश	152,300,000.00	74,000,000.00
	क. उद्दिष्ट /अक्षय निधि	0.00	0.00		बिहार	550,800,000.00	126,433,000.00
	ख. अपनी निधि (निवेश पर)	0.00	0.00		छत्तीसगढ़	290,300,000.00	132,900,000.00
					गुजरात	21,009,610,000.00	14,768,577,000.00
IV.	çkIr C;kt				झारखंड	3,051,000,000.00	1,457,500,000.00
	क. बैंक जमाओं पर.	0.00	0.00		कर्नाटक	4,747,600,000.00	882,970,000.00
					मध्य प्रदेश	2,840,510,000.00	2,854,140,000.00
V.	vU; vk; ¼fooj.k nsa½	0.00	0.00		मणिपुर	254,200,000.00	1,269,940,000.00
					महाराष्ट्र	3,958,478,000.00	2,078,520,000.00
VI.	m/kkj yh xbZ jkf'k	0.00	0.00		ओडिशा	5,232,757,000.00	4,930,120,000.00

	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की एल टी आई एफ के अंतर्गत कृषि एवं ग्रामीण विकास (नाबार्ड) के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण	**65,347,847,000.00**	**57,510,400,000.00**		पंजाब	**0.00**	524,160,000.00
					राजस्थान	2,193,450,000.00	458,900,000.00
VII.	dkbZ vU; ikorh ¼fooj.k nsa½	**0.00**	**0.00**		तेलंगाना	234,620,000.00	2,454,320,000.00
					उत्तर प्रदेश	656,000,000.00	1,356,320,000.00
					पोलावरम परियोजना प्राधिकरण	20,000,000,000.00	24,141,600,000.00
					जम्मू और कश्मीर	**95,722,000.00**	**0.00**
					उत्तर कोइल जलाशय	80,500,000.00	**0.00**
				III.	fd, x, fuos'k vkj tek	**0.00**	**0.00**
				IV.	fu;fer rFkk i|thxr fuek.kk/khu dk;kZ ij	**0.00**	**0.00**
						0.00	**0.00**
				V.	0;; rFkk nh/kZ vof/k 0;; vfxzeksa dh okilh	**0.00**	**0.00**
				VI.	foÙkh; vf/kd ¼C;kt½		**0.00**
					प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की एल टी आई एफ के अंतर्गत कृषि एवं ग्रामीण विकास (नाबार्ड) के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए	**4,257,427,140.00**	**446,635,556.00**
					on EBR	**1,843,714,123.00**	**0.00**
				VII.	vU; Hkqxrku ¼fooj.k nsa½ fy, x, _.k ij fn;k x;k C;kt		
				VIII.	vkfn 'ks"k		
					क) रोकड़ शेष	**0.00**	**0.00**
					ख) बैंक शेष	**0.00**	**0.00**
					1) चालू खातों में	**0.00**	**0.00**
	d[y	**71,448,988,263.00**	**57,957,035,556.00**			**71,448,988,263.00**	**57,957,035,556.00**

ह./–
(जगमीत सिंह)
लेखा अधिकारी

ह./–
(आर. के. सिन्हा)
निदेशक (वित्त)

ह./–
(एम. के. श्रीनिवास)
महानिदेशक

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

(जल संसाधन, नदी विकास और
गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)

18.20, सामुदायिक केन्द्र, साकेत, नई दिल्ली-110017

मुद्रण: विवा प्रैस प्रा. लि., 9810049515